राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार, 18 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, विद्युत, स्वायत्त शासन, पशुपालन, खादी एवं ग्रामोद्योग, खाद्य, राजस्व, कृषि, सिंचाई-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री अमृतलाल गहलोत।

जोधपुर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में सड़क का निर्माण

(1) **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि खनिज विभाग ने जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1974-75 में नाडलाव से सोडों की ढ़ाणी तक सड़क के निर्माण के लिए तीस हजार रुपयों की स्वीकृति दी थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सड़क की अनुमानित निर्माण लागत लगभग दो लाख रुपये है ?

(3) वित्तीय वर्ष 1975-76 में उपरोक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां।

(2) सड़क की अनुमानित लागत 3.60 लाख रुपए है।

(3) सन् 1975-76 में इस कार्य के लिये 1.50 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सड़क की महत्ता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 3।। लाख की कुल लागत है। यदि इस गति से वहां पर काम हुआ तो दो साल और लग जायेंगे। उस सड़क पर 10 हजार गाड़ियां चलती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हो सके तो इस सड़क को आगामी वर्ष में पूरा करने का कष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : कोशिश यही की जायगी कि सड़क जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए लेकिन खनिज विभाग को जितने

Page No. 2

(2)

(श्री जुझारसिंह)
फंड्स सड़कों के लिए उपलब्ध होते हैं उसके हिसाब से हम धनराशि खर्च करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : चुनाव से पहले जरूर करें।

श्री अमृतलाल गहलोत : खनिज विभाग 4 करोड़ रुपये की हर साल आय करता है, परन्तु 4 लाख भी सड़कों पर खर्च नहीं करता। आप आमदनी का एक निश्चित अंश विकास पर लगायें नहीं तो जो आमदनी हो रही है यह अमाउंट बहुत बड़े पैमाने पर गिर भी सकता है जिससे उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।

श्री जुझारसिंह : मैं बिल्कुल सहमत हूं हम चाहते हैं कि माइनिंग रोड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान हो, लेकिन यह काम पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जाता है। फिर भी हम इस बात के लिये आग्रह करेंगे कि माइनिंग रोड्स के लिए ज्यादा एलॉटमेंट किया जाय।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : जिस तरह से मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि वे कोशिश करेंगे परन्तु खानों का राजस्थान में ऐसा सवाल है कि जहां कहीं पत्थर की खानें हैं सैंकड़ों की तादाद में मवेशी मर जाते हैं, अन्दर से बाहर पत्थर लिये जाते हैं, ऐसे रास्तों को ठीक करने के लिये जितनी क्वेरीज हैं, रॉयल्टी वसूल होती है, उसका एक प्रतिशत भी सड़कों पर नहीं लगाया जाता है। नागौर और लाडनूं का उदाहरण मैं दे सकता हूँ ...

श्री अध्यक्ष : बहस न करें, प्रश्न पूछिए।

श्री दीपंकर : क्या सरकार के पास में इस तरह का लेखा-जोखा है कि राजस्थान में कुल कितनी खानें हैं और कितने लाख रॉयल्टी का अमाउंट है और खानों में आवागमन की सुविधा के लिए क्या योजना है ?

श्री जुझार सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा खानों को सड़कों से जोड़ना चाहते हैं लेकिन खनिज विभाग की जो आय है वह जनरल रेवेन्यू के तहत सरकार के पास चली जाती है, वह एलोकेशन करते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या यह सही है कि खानों से करोड़ों रुपयों की आमदनी है ? यदि हां, तो सड़कों पर लाखों रुपये भी खर्च नहीं करते। आप खनिज विभाग की कठिनाइयों को सामने रखकर यह नहीं कह सकते कि आप सड़क नहीं बना सकते एक साल में लाखों रुपयों की सड़क बन जानी चाहिए।

श्री जुझार सिंह : पहले प्रश्न उठा था कि इस आमदनी का सर्टेन पर्सेंटेज खनिज विभाग को सड़क विकास के लिए दे दिया जाय, लेकिन वह बात मंजूर नहीं की गई। जो रुपया हमको दिया जाता है उसका पूरा उपयोग करते हैं। मैं महसूस करता हूं कि खनिज की जो सड़कें हैं छोटे छोटे डिसटेंस की हैं, प्रोडक्टिव रोड्स हैं, उन पर रुपया खर्च करने से आमदनी और भी बढ़ेगी। अगर सरकार हमको पैसा मंजूर करके देती है तो हम वेलकम करेंगे।

प्रश्न संख्या 2

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गोरधन सिंह ।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिए)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा ।

जयपुर जिले में सड़कों के निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि

3. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले को सन् 1965 से अब तक सड़क–निर्माण व मरम्मत कार्य के लिए कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस स्वीकृत राशि में किस-किस तहसील में किस-किस सड़क पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू एवं फागी में नई सड़क बनाने व मरम्मत कार्य में बहुत कम पैसा खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आगामी वर्ष अधिक राशि प्रदान की जा सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) वर्ष 1965-66 से दिसम्बर, 1974 तक सड़क–निर्माण व मरम्मत कार्य के लिए 260.83 लाख रुपया व्यय किया गया है । विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) एक ही सड़क कई तहसीलों में से निकलती है इसलिए सड़कों का पैसा तहसील वाइज न बांटा जाता है और न रखा जाता है ।

(3) जैसा कि ऊपर बताया गया है सड़कों का पैसा तहसील वाइज नहीं रखा जाता । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि तहसील चाकसू एवं फागी के लिए कम पैसा रखा गया । सड़कों की मरम्मत आवश्यकतानुसार की जाती है व नई सड़कें बनवाने का काम प्रॉयोरिटी के आधार पर तय किया जाता है । यदि तहसील चाकसू व फागी में ऐसा कोई कार्य हुआ तो उस पर विचार किया जा सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : प्रश्न दो के जवाब में मंत्रीजी ने बताया कि तहसीलवाइज हिसाब नहीं रखा जाता है तो फिर क्या रखा जाता है ? राजस्थान लेवल पर रखा जाता है या आल इन्डिया लेवल पर रखा जाता है ? जिस तहसील से हम आते हैं उस क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारी है । इस प्रकार का अधूरा जवाब देना वास्तविकता नहीं है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी तहसील चाकसू और फागी में किस हिसाब से पैसा रखा है ? सही रूप से सूची मेरे पास नहीं पहुंची है । जो सूची मिली है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उत्तर मैंने मुकम्मल दिया है । यह संदेह माननीय सदस्य को नहीं होना चाहिये कि मैंने गलत उत्तर दिया है । मैंने कहा है कि सड़कों का हिसाव तहसीलवाइज नहीं रखा जाता क्योंकि एक सड़क कई तहसीलों से गुजरती है । सड़क के लिये पैसा मंजूर होता है । जिले या तहसील के लिये पैसा मंजूर नहीं

Page No. 4

(५)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
होता है। न तहसीलवार हिसाब दिया जा सकता है, यह सड़कों के आधार पर होता है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरी फागी तहसील में केवल मात्र 4–5 सड़कें हैं इसके अतिरिक्त कोई सड़क नहीं, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ है। मेरी तहसील वाला इलाका पिछले 20 वर्षों से पिछड़ा हुआ है इसलिए विवरण देना कठिन बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : मंत्री महोदय से कह दीजिये कि धनाभाव है।

श्री मोठालाल मीणा(लालसोट): जैसे आखिरी प्रश्न में बताया कि भविष्य में चाकसू और फागी में सड़कें बनायेंगे तो ध्यान रखा जायगा···

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह नहीं कहा।

श्री मोठालाल मीणा : उत्तर के आखीर में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : आश्वासन देने में क्यों कंजूसी करते हो ? दे दो कौनसा पूरा करना है ?

श्री मोठालाल मीणा: चाकसू तहसील में चाकसू-गढ़वासी और लिंक जोड़ने के लिए चाकसू से कोटखावदा सड़क पर केवल मिट्टी डालकर, बजरी डालकर और रॉलर भेजकर अधूरी छोड़ दीं, सड़कों पर पैसा खर्च हो गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने चाकसू और फागी तहसील के लिए नहीं कहा है। मैंने उस संदर्भ में कहा है कि आपने कहा कि मरम्मत के लिए क्या तरीका है। मैंने कहा है कि सड़कों की मरम्मत आवश्यकतानुसार की जाती है और नई सड़कें बनवाने का काम प्रॉयोरिटी के आधार पर तय किया जाता है। यदि तहसील चाकसू व फागी में ऐसा कोई कार्य हुआ तो उस पर विचार किया जा सकेगा। जब यहां की सड़कों और मरम्मत की बात होती है तो हम इलाके को प्रॉयोरिटी के आधार पर जिस सड़क का नम्बर आएगा उसको लेंगे। जहां चाकसू और फागी तहसीलों का सवाल है कि सड़कें अधूरी पड़ी हैं, राजस्थान में कई सड़कें अधूरी पड़ी हैं, कई फेमिन रिलीफ में शुरू की गई हैं, कई डी. पी. ए. पी. में शुरू की गई हैं जो योजना में अभी नहीं ले पाए हैं। जब तक सड़क प्लान में नहीं लेंगे तब तक पी. डब्ल्यू. डी. के बजट से पूरा करना सम्भव नहीं होगा। उनको किस प्रकार से लिया जाए, उनको प्रॉयोरिटी के आधार पर तय करना पड़ेगा कि कौनसी सड़क क्या महत्व रखती है। मैंने उस सन्दर्भ में कहा कि यदि ऐसी स्थिति फागी और चाकसू तहसीलों में हुई तो विचार किया जा सकेगा। आपने जो सवाल पूछा है उनकी तहसील में 3–4 सड़कें हैं। स्पेसीफिकली किसी सड़क के बारे में जानकारी चाहेंगे तो मैं जानकारी करके उत्तर दे सकूंगा।

श्री मोठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अपने उत्तर में लास्ट में कहा है कि यदि चाकसू और तहसील फागी

Page No. 5

(5)

(श्री मीठालाल मीणा)
में ऐसा कोई हुआ तो उस पर विचार किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आज लालसोट तहसील के कई गांवों के आस पास की सड़कें जैसा कि कोटखावदा, हरनारायणपुरा और जो आसपास की सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनके लिये कहा गया था कि जो अकाल राहत के समय में अधूरी सड़कें पड़ी हैं उनको पूरा करने में प्राथमिकता दी जायेगी। उन्हें विभागीय स्तर पर पूरा किया जायेगा। तो क्या राज्य सरकार उनको पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का प्रयत्न रहेगा कि वह पूरी हो जायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपूतली तहसील पंचायतों का पंचायत समिति विराटनगर से कोटपूतली में सम्मिलित करने का अनुरोध

4. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटपूतली तहसील की कितनी पंचायतें पंचायत समिति विराटनगर में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों के तहसील, निजामत, मुन्सफी, पुलिस, व व्यापारिक सम्बन्ध कोटपूतली से हैं ?

(3) क्या सह सही है कि उपरोक्त पंचायतों ने तथा पंचायत समिति कोटपूतली व विराटनगर ने प्रस्ताव पास करके कोटपूतली पंचायत समिति में शामिल करने का सरकार से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी : (1) 8 पंचायतें हैं।

(2) जी हां, केवल पंचायत पाछडोली का सम्बन्ध थाना कोटपूतली से न होकर थाना विराटनगर से है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह महसूस नहीं करते हैं कि कोटपूतली तहसील की पंचायतें, पंचायत समिति विराट नगर में होने से लोगों को दुविधा होती है क्योंकि उक्त पंचायतों के तहसील, निजामत, मुन्सिफी व एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर कोटपूतली में हैं। इसके अलावा मन्त्री महोदय को यह भी मालूम है कि दोनों ही कोटपूतली और पंचायत समिति विराट नगर व उक्त क्षेत्र की पंचायतों ने प्रस्ताव पास इस आशय का कर दिया है कि उनको पंचायत समिति कोटपूतली में शामिल कर लिया जाय। क्या सरकार न्याय की दृष्टि से और उक्त क्षेत्र की जनता को चक्कर काटने से बचाने के लिये तथा जनता को पूरी सहूलियतें मिलें उसके लिये इन आठ पंचायतों को पंचायत समिति कोटपूतली में शामिल करने का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार जल्दी लेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये शीघ्र ही मुनासिब निर्णय लेगी।

Page No. 6

(6)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायतों के डिलिमिटेशन के मामले कई वर्षों से विचाराधीन हैं कि पंचायतों को उनके तहसील हैडक्वार्टर वाली पंचायत समितियों में शामिल किया जाना चाहिये। उसके लिये राज्य सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ? यह मामला सिर्फ कोटपूतली से ही संबंधित नहीं हैं बल्कि और भी कई पंचायतों के हैडक्वार्टर अलग होने से वहां के लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कब तक राज्य सरकार क्रियान्वित कर देगी ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायतों के एलोकेशन के बारे में व पंचायत समितियों के डिलिमिटेशन के मामले कई दिनों से विचाराधीन राज्य सरकार के हैं उस पर फाईनल डिसीजन गवर्नमेन्ट कब तक ले लेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इसका पूरक प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय उत्तर इस बात का देना नहीं चाहते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो यह व्यवस्था तो आपकी है कि आप इसका उत्तर मन्त्री महोदय से दिलावें अन्यथा इनको देखकर दूसरे मन्त्री भी उत्तर नहीं देने की प्रेरणा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह डिलिमिटेशन के मामले काफी लम्बे अर्से से विचाराधीन चल रहे हैं राज्य सरकार के सामने । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया ना कि मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय उत्तर देने का विचार कर रहे हैं क्या ? हां, हां, खड़े हो जाइये ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का उतर दे दिया है और श्री दीपंकर ने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जालोर जिले का खनिज सर्वेक्षण

5. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले का खनिज सर्वेक्षण अभी तक नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा अब जालोर जिले का खनिज सर्वेक्षण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में कई खनिज खनन की पूरी पूरी गुन्जाइश है ? अगर हां, तो कौन से खनिजों की ? इस बारे में सरकार द्वारा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि जालौर जिले के नीचे ग्रेनाइट पत्थरों की बड़ी भारी खान निकलती है ? अगर हां, तो इस खान के विकास के लिये एवं सस्ते रंगीन पत्थरों को तैयार करने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं भविष्य में क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) :

(1) जी नहीं 1961–62 में जालौर जिले में खनिज सर्वेक्षण किया गया था वर्तमान में भी सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(2) जालौर जिले के गांव भादराजून के पास क्ले के भण्डार हैं तथा गांव रोपी के निकट संगमरमर के निक्षेप हैं । वेनेडियम युक्त लोह खनिज के पाये जाने की भी सम्भावना है। जालौर जिले में ग्रेनाइट के बहुल भण्डार का भी पता चला है। ग्रेनाइट भण्डार को छोड़कर अन्य खनिजों के भण्डार या तो निम्न क्वालिटी के हैं, या थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः इनका खनन करना लाभदायक नहीं है ।

(3) यह सही है कि जालौर जिले में ग्रेनाइट पत्थर के बड़े भण्डार उपलब्ध हैं। ग्रेनाइट एक्स्प्लाइटेशन का कार्य आर. आई. एम. डी. सी. को सौंप दिया गया है जो इसके विकास के लिये योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां जो ग्रेनाइट निकला है वह कितने कलर्स का निकला है ? इसके अलावा क्या राज्य सरकार ने उसका सर्वेक्षण करवा कर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो मंत्री महोदय को यह मालूम हो गया होगा कि वहां जो पत्थर निकला है वह कई रंगों का और वह बहुतायत में है, इसलिये क्या राज्य सरकार उस उद्योग को पनपाने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री जुझारसिंह : जैसा कि मैंने पहले ही उत्तर में निवेदन कर दिया कि उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी गयी है और उसके विकास का कार्य आर. आई. एम. डी. सी. को दे दिया है। इसमें कुछ और कन्टेन्ट्स की जरूरत रहेगी जिसमें कि फॉरेन एक्सचेन्ज की जरूरत रहती है इसलिये उस पर विचार हो रहा है । चूंकि मशीनरी बाहर से आयेगी और इसमें फॉरेन एक्सचेन्ज इनवॉल्व है अतः इसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो जायेगा और यह योजना कब तक चालू होगी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी उत्तर में बताया है कि इसमें फॉरेन एक्सचेन्ज इनवॉल्व है अतः इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वैसे राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कोशिश करके इसको शुरू करेगी। (1)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें कहां-कहां का सर्वे पूरा हो चुका है और कहां-कहां पर करना है ?

श्री जुझारसिंह : मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है। इसके अलावा वहां संगमरमर की भी खानें पायी गयी हैं लेकिन वह कुछ हल्के किस्म का संगमरमर है और वह चूंकि ज्यादा लाभदायक नहीं है। इसके अलावा सतवाणा जो कि भीनमाल से 20 मील दूर है वहां पर संगमरमर है उसका सर्वे हो रहा है जिसके कि रिजल्ट एनकरेजिंग नहीं हैं पार्टियां सर्वे कर रही हैं। लेकिन ग्रेनाइट की काफी बहुतायत है उसके लिये जैसा कि मैंने कहा राज्य सरकार जल्दी ही शुरू करने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मीठालाल।

जयपुर जिले की लालसोट तहसील की विद्युतिकरण की योजना

6. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की कितनी ग्रामीण विद्युतिकरण परियोजनायें इस समय निगम के पास विचाराधीन हैं ? कृपया जिलेवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील की एक योजना उक्त निगम के पास काफी अर्से से विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक मन्जूर कर दी जायेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) राज्य की 21 ग्रामीण विद्युतिकरण योजनायें निगम के पास विचाराधीन हैं ? सूची संलग्न है।

(2) जी हां। शीघ्र ही मन्जूर किये जाने की आशा है।

(सूची के लिये कृपया उत्तर आगे देखें)

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ने अपने उत्तर में कहा है कि सूची संलग्न है। तो इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जो सूची मुझे दी गयी है उसमें कहीं भी ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई टीम वहां आ रही है। आज बोर्ड से कोई टीम उन योजनाओं के लिये नहीं आ रही है, न ही वहां पर सर्वे हो पा रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, लालसोट पंचायत समिति के गांवों के विद्युतिकरण के बारे में कह सकता हूं। एक टीम कुछ समय पहले आयी थी और बाद में उसका कुछ नहीं हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार कृषि के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो राज्य सरकार को इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप लालसोट के बारे में कह रहे हैं ?

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : साथ में फागी तहसील को भी ले लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, लालसोट पंचायत समिति के ग्रामों के लिये स्कीम बन चुकी है और वह आर.एस.ई.बी. के कन्ट्रोल बोर्ड के पास सैंक्शन होने को पड़ी है। मैं समझता हूं कि वह महीने डेढ़ महीने में सैंक्शन हो जायगी। इसके लिये कुछ आब्जेक्शन्स इनवाइट किये हैं और उसमें

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जो दो तीन ग्राब्जेक्शन्स हैं उनको ठीक करके उसकी सैंक्शन हो जायेगी। जहां तक सवाल ग्रार.ई.सी. की स्कीम्स को जल्दी लागू करने के लिये है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि ग्रार. ई. सी. स्कीम्स के लिये एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर की नियुक्ति इस प्रोजेक्ट के लिये कर दी गयी है ग्रौर वह ग्रार.ई.सी की स्कीम्स को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करेंगे।

श्री मीठालाल मीणा : तो क्या जो लालसोट के लिए स्कीम सैंक्शन होगी उसमें कुछ गांवों की कटौती कर दी गयी है या 70–80 गांवों को बिजली मिलेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रार. ई. सी. स्कीम जो होती है वह मुकम्मिल स्कीम है ग्रौर 60 से लेकर 70 गांव के बीच में उस स्कीम के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं। ग्रब लालसोट के ग्रन्दर कितने गांवों को बिजली ग्रार. ई. सी स्कीम के ग्रन्तर्गत दी जायगी इसमें टोटल गांवों का मुझे पता नहीं है कि वह पंचायत समिति कितने गांव कवर करती है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे कोटा जिले में ग्रार. ई. सी. स्कीम के ग्रन्तर्गत कौन सी कौन सी योजनायें हैं ?

श्री जयकिशमलाल तोसावड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी फागी तहसील में भी बिजली की बहुत कमी है हमारे वहां तो तहसील हैडक्वार्टर फागी में भी बिजली नहीं है। तो क्या राज्य सरकार फागी तहसील ग्रौर फागी पंचायत समिति के ग्रामों के विद्युतिकरण के लिये आर. ई. सी की स्कीम्स लागू करेगी ?

मेरा यह प्रश्न है। फागी के ग्रन्दर तीन वर्ष हो गये। न चाकसू तहसील को जोड़ा जा रहा है। यदि कोई ग्राम पंचायत ग्रौर ग्राम एक या डेढ़ किलोमीटर दूर है वहां पर भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये। कनेक्शन उनको दिये जायं, हैडक्वार्टर पर लाइन पहुंचा दी जाय तब ही जाकर यह स्कीम सही है।

श्री रामगोपाल : 31 परियोजनायें हैं जो कि निगम के पास पड़ी हुई हैं। कोटा जिले में कौन कौन सी परियोजनायें बनायी हैं ग्रौर उनमें से कितनी विचाराधीन हैं ? शाहबाद पंचायत समिति परियोजना को शामिल किया है या विचाराधीन में शामिल है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जनरल प्रश्न नहीं है कितनी योजनायें निगम के पास विचाराधीन हैं इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तीन क्लासिफिकेशन किया है इनका एक तो जिनकी सैंक्शन भेजी है, दूसरी जिनकी सैंक्शन हो चुकी है लेकिन कार्यक्रम में आनी बाकी हैं, कुछ परियोजनायें जिनकी सैंक्शन होना बाकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारी स्टेट में ये ही योजनायें हैं। दूसरी योजनायें हैं, सर्वे भी हो रहा है। 30 योजनायें लास्ट इयर स्वीकार करायीं, कार्यक्रम में ली जाने वाली हैं। जनरल क्वेश्चन नहीं पूछ कर यदि कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो इस सम्बन्ध में पूछ लीजिये।

(10)

एक माननीय सदस्य : कौन-कौन सी योजनायें हैं, यह पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत-सी योजनायें हैं।

कई माननीय सदस्य : सारे राजस्थान का मसला है। पढ़ कर सुनाया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : वे योजनायें जो कि निगम के पास इस समय विचाराधीन हैं और राज्य सरकार से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पहले सुनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सूची मांगी गई थी जो सदन की मेज पर रख दी गई।

तीन कैटेगरीज हैं इस की:--

Position of R. E. Schemes for Sanction of Loan Assistance by Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi. Schemes Submitted to Rural Electrification Corporation.

(i) Schemes awaiting sanction after revision based on the observations of REC's pre-sanction appraisal teams.—

1. P. S. Pindwara, Distt. Sirohi (M.N.P.).
2. P. S. Kushalgarh, Distt. Banswara (M.N.P.).
3. P. S. Begun, Distt. Chittorgarh (M.N.P.).
4. P. S. Lalsot, Distt. Jaipur (Normal OV).
5. P. S. Pali, Distt. Pali (M.N.P.).
6. P. S. Mandalgarh, Distt. Bhilwara (P.P.A.).
7. 132 KV Dausa, Distt. Jaipur (ST).

(ii) Scheme awaiting observations of pre-sanction appraisal teams for revision—

1. P. S. Sewar, Distt. Bharatpur (Normal).
2. P. S. Kishangarh, (Silora) Distt. Ajmer (Normal).
3. P. S. Kherwara, Distt. Udaipur (M.N.P.).
4. P. S. Dausa, Distt. Jaipur (Normal).

(iii) Schemes awaiting pre-sanction appraisal visit of REC. Teams.—

1. P. S. Weir, Distt. Bharatpur (Normal).
2. P. S. Chhabra, Distt. Kota (Normal).
3. P. S. Kharchi, Distt. Pali (M.N.P).
4. P. S. Abu Road, Distt. Sirohi (M.N.P.).
5. P. S. Arain, Distt. Ajmer (Normal).
6. P. S. Sultanpur, (Digod) Distt. Kota (Normal).
7. P. S. Bansur, Distt. Alwar (Normal).
8. P. S. Gangapur, Distt. Sawai Madhopur (P.P.A.).
9. P. S. Sawai Madhopur, Distt. Sawai Madhopur (P.P.A.)
10. P. S. Ganganagar, Distt. Ganganagar (Normal.).

श्री अध्यक्ष । नेक्स्ट! श्री जनार्दन सिंह गहलोत !

गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि

7. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि पर अब भी अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो किन-किन पर और क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि को अवाप्त नहीं किया जावेगा?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां, जिन निर्माण सहकारी समितियों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इस सूची में अंकित समितियों से सम्बन्धित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही जयपुर में चल रही है। यह कार्यवाही नगर के योजनाबद्ध विकास हेतु जारी है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : उसके बाद क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री शंकरलाल (पाली) : इसमें जयपुर तो लिखा हुआ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता :

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। यह प्रश्न सदन के अन्दर कई बार आ चुका है। और मंत्री महोदय ने कुछ घोषणायें की हैं। भूतपूर्व राजस्व मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन के अन्दर कहा था कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वापिस ले रहे हैं। और कार्यवाही क्या हो रही है यह भी देख रहे हैं। भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी रामचन्द्रजी चौधरी ने यह घोषणा की थी या नहीं? इस सम्बन्ध में क्यों हमको बार-बार पूछने पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। आपने 25 समितियों का बताया। ये 80 प्रतिशत गांधीनगर क्षेत्र की सोसाइटीज हैं। चालीस पचास हजार आदमी इन समितियों से अफेक्टेड हैं। विभाग के मंत्रीजी बतायेंगे, यू. आई. टी. ने 59 के बाद सामान्य नागरिक को कोई भूमि नहीं दी है। हमने यह पूछा था कि क्या यह भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वाजिब है इस सूरत में तो उन्होंने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया है। नगर विकास का आपने ध्यान उस दृष्टि से भी नहीं रखा कि सरकारी अधिकारियों की जो जमीनें थीं उनके प्रति आपने बेरुख अपनाया। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकारी अधिकारीगण जो कि राज्य सरकार में ऊंचे ओहदोंपर बैठे हैं उनकी जमीनों के प्रति बेरुख अपनाया और उनको अवाप्ति से वंचित किया, अवाइड किया। सामान्य नागरिकों के लिये आपने इस प्रकार का रुख अपनाया और उनके लिये कुछ नहीं किया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये लोग बस्तियों में आबाद हैं, गलत तरीके से पैसा देकर उन्होंने सोसाइटीज से जमीनों को खरीद लिया, उनको बसाये जाने के बारे में आपने क्या तय किया है। उनको उखाड़ना है या बसाना है ?

श्री शंकरलाल : यह पूरे राजस्थान के लिये प्रश्न है। बड़े बड़े-नगरों की यह सब ही जगह समस्या है चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, पाली हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय मंत्रीजी यह भी बतायें कि गृह निर्माण समितियों की जमीनों पर मकान पक्के बन चुके हैं, पानी का कनेक्शन दिया नहीं, बिजली का कनेक्शन मिल चुका है, क्यों नहीं दुबारा मास्टर प्लान में संशोधन कर दिया जाता है। उन लोगों को बसाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ था, एक मीटिंग हुई और उस कमेटी को भंग कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को सूचना दे दी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूं कि कमेटी की मीटिंग हुई या नहीं, जिन जमीनों को अवाप्त करने जा रहे हैं, उस कमेटी ने उनके बारे में कोई सुझाव तो दिया नहीं, आपने कमेटी को ही भंग कर दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि सहकारी समितियों ने भूमि बेची और गरीब लोगों ने, मध्यमवर्गीय लोगों ने खरीद ली उनका क्या कसूर है ? नम्बर दो, मकान निर्माण कर लिये और आप तोड़ने जा रहे हैं। सहकारी समितियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। राज्याधिकारियों के बारे में, आई. ए. एस., आर. ए. एस., पी. डब्ल्यू. डी. के अफसरों के बारे में आपने एक मकान को नहीं छुआ। माननीय मंत्रीजी मीणाजी ने, पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स. ई. एन. ने कब्जा किया, कनेक्शन तोड़ दिया और वैकेट नहीं कराया उन्होंने।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अवाप्ति कौनसी तारीख को हुई है ? दूसरा यह जानना चाहता था कि डवलपमेंट की क्या कार्यवाही चल रही है और सहकारी समितियों के बारे में आपकी क्या नीति है ? सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं और 8 हजार आदमियों ने शेयरहोल्डर बन कर जमीनें लीं हैं और जगह जगह परेशानी हो रही है। गांधीनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी ने सदन के अन्दर घोषणा की थी क्या राज्य सरकार उनकी घोषणा से पीछे हट रही है सहकारी समितियों के बारे में ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य व्यापी प्रश्न है और मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि राज्य सरकार ने गृह निर्माण समितियों को मान्यता क्यों दी ? और जब दी है तो उनकी जमीन को अवाप्त करने की कार्यवाही रद्द क्यों नहीं की जाती ? यदि यह बोगस हैं, तो इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? राज्य सरकार इसमें क्या नीति अपनाने जा रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 1959 के बाद यू.आई.टी. जयपुर ने जयपुर के निवासियों को भूखण्ड आवंटन नहीं किया। इस बात से मैं सहमत हूँ, यह इसलिये है कि जयपुर के आसपास की भूमि जिसे यू. आई. टी. लेना चाहती है, उस जमीन को गृह निर्माण समितियों ने खरीद लिया और आवाप्ति की कार्यवाही उन समितियों के खिलाफ चल रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने फर्माया कि श्री रामचन्द्र चौधरीजी, भूतपूर्व राजस्व मंत्री, ने इस सदन में घोषणा की थी कि इस प्रकार की भूमि अवाप्त नहीं की जायेगी, इसकी जानकारी, अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं है। मैंने वर्तमान राजस्व मंत्री से जानकारी प्राप्त की तो मुझे बताया गया कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की थी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भूतपूर्व राजस्व मंत्री यहां बिराजे हुये हैं, उनसे पूछ लिया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सदन की प्रोसीडिंग्स देखने का कष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : सदन के रेकार्ड में है, घोषणा की गई है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): नहीं, नहीं।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है घोषणा हुई थी, अब क्या शब्द हैं, यह प्रोसीडिंग्स में देख लिया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर की यह बड़ी समस्या है, राज्य सरकार ने इस समस्या को महत्व दिया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने इन सहकारी समितियों की भूमि के सम्बन्ध में कुछ रिकमन्डेशन्स भी दी हैं जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही है और अभी निर्णय होना शेष है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नगर विकास न्यास ने 1959 के बाद कोई प्लाट अलाट नहीं किया। जब राज्य सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है और गरीब लोगों को भूखण्ड देने की कोई स्कीम नहीं है, तो राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार सहकारी गृह निर्माण समितियों का निर्माण हुआ और जयपुर के नागरिक इन समितियों से मकान लेने लगे। अब आज बारह साल के बाद भी यह समस्या अधर–झूल में पड़ी हुई है और अब नगर विकास न्यास अवाप्ति की कार्यवाही चला रहा है। तो राज्य सरकार कम से कम, जब तक कि इस बात का कोई निर्णय न हो जाये, तब तक इस हैरसमेंट को तो बन्द रखे।

मंत्री महोदय ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अन्दर कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सहकारी समितियों से जमीन ले ली और तीन तीन बार लेकर बेच दी और आज कमेटी में बैठ कर उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आपने साठ गृह निर्माण समितियों की सूची दी है...

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि आपका जो प्रश्न है वह इतना महत्वपूर्ण है कि वह प्रश्न काल में हल नहीं होगा। आपको इस प्रश्न को और किसी रूप में लाना चाहिये।

श्री दीपंकर : हाफ एन ग्रवर डिस्कशन हो जाये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हाफ एन ग्रावर डिस्कशन की इजाजत दे दें ।

श्री ग्रध्यक्ष : जो भी ग्राप चाहें वह होगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ग्राठ सहकारी समितियों की जो ग्रापने सूची दी है उसमें कई ग्रधिकारी···

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप प्रश्न काल में केवल सूचना ले सकते हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सरकार का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है । घोषणा करके उससे मुकर रहे हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो ग्रापकी सरकार का हाल है, ग्राश्वासन दें ग्रौर मुकर जायें ।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट श्री ग्राचार्य ।

श्री निरंजन नाथ ग्राचार्य : प्रश्न संख्या 8 ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुख्य सचिव की ग्रध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है···

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : ग्रध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है ।

एक माननीय सदस्य : महिलाग्रों को मौका दिया जाये ।

श्री ग्रध्यक्ष : सदन का मत है कि ग्रापको मौका दिया जाये ।

श्री केदारनाथ : ग्रध्यक्ष महोदय, यह साल भी महिलाग्रों का है ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : महिला वर्ग की प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं बल्कि पीपुल्स रिप्रेजन्टेटिव की हैसियत से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

जब सहकारिता विभाग के नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनके पास जमीन होगी उन्हीं समितियों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, तो जयपुर में या ग्रन्य किसी जगह जिन समितियों के पास जमीन नहीं थी, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया गया ? किस के ग्रादेश से उनका रजिस्ट्रेशन किया गया । ग्राज हजारों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मैं जानना चाहूंगी मुख्य मंत्री से ग्रौर सहकारिता मंत्री से, जो ग्राज स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, कि यह ग्राखिर किसकी गलती है ? यह विभाग की गलती है जिसने रजिस्ट्रेशन किया ?

श्री शंकर लाल : ग्रौर ग्रब सरकार की क्या नीति है ?

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है ग्रौर इस बात को हम मानते हैं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का जो गठन हुग्रा वह उन्हीं समितियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था जिनके पास कि भू-खण्ड होते हैं लेकिन यह सहकारी समितियां एग्रीकल्चरल लैंड काश्तकारों से खरीद कर बनाई गई ग्रौर उन्होंने ग्रपने सदस्यों को एग्रीकल्चरल लैंड बेचा । ग्रब जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि जयपुर की बढ़ती हुई ग्राबादी को ध्यान में रखते

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुए योजनाबद्ध तरीके से जयपुर का विकास हो, इन सोसायटियों ने जयपुर के आस-पास सारी जमीनें खरीदी हैं। अब प्रश्न यह रहता है कि जयपुर की बढ़ती हुई मांग के अनुसार निवासियों को आवश्यक भूखण्ड मिलें, इधर इन सहकारी समितियों के अन्दर भी जो सदस्य हैं उनके पास भी कुछ काफी सदस्य ऐसे हैं जिनके पास जयपुर में जमीन नहीं है, यह बात भी सही है। लेकिन इस सारी समस्या को किस प्रकार से निपटाया जाय इस पर राज्य सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है और विचार करने के बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, उसकी रिकमण्डेशन्स, सिफारिशें राज्य सरकार के सामने विचाराधीन हैं। उन पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाय तब तक, अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

माननीय सदस्य जो गांधीनगर से आ रहे हैं, वे भी इस कमेटी की रिकमण्डेशन्स से जानकारी में हैं और उनको पता है कि उन पर शीघ्रता से कार्यवाही हो रही है। तो मुझे विश्वास है कि इस मामले में सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष । माननीय खनिज मंत्रीजी।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कोई टाइम तो तय कर लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्रीजी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राज्य सरकार ने वह कमेटी भंग कर दी है। जब कमेटी ही भंग कर दी तो कमेटी की सिफारिशें कहां से आ गई। यह बात बिल्कुल गलत है। कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। कमेटी को सरकार ने भंग कर दिया, माननीय मंत्रीजी का यह कहना बिल्कुल गलत है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह कहना सही नहीं है कि कमेटी को भंग कर दिया गया है....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह बिल्कुल सही है कि कमेटी को भंग कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूं कि सरकार ने कमेटी को भंग कर दिया है, सरकार का नोटिफिकेशन मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : You challenge the statement of Chief Minister.

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, कमेटी को भंग कर दिया गया है यह बात बिल्कुल सत्य है।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप मुझे नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कमेटी भंग कर दी गई है यह बात बिल्कुल सही है, मैं इसको चैलेंज करता हूं और इसके डाक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब एक बार मुझ से मिले थे तब मैंने उनसे कहा कि यह क्या मामला है कि जब आप आपस में मिलते हैं तो बड़े धैर्य पूर्वक बात करते हैं और हाऊस में मिलते हैं तब धैर्यपूर्वक बात नहीं करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं ···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने आर्डर देखा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करता हूं कि आप सुन लीजिए मुझे।

श्री अध्यक्ष : देखिए, सदन की परम्परा रही है कि जब सदन के नेता बोलते हैं तो उनको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और सुनते हैं। उसके बाद कोई कहने की बात हो तो कह दें लेकिन पहले उनको सुनने का मौका तो दें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक परपज के लिए एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी इसलिए उस कमेटी का काम समाप्त हो गया। इसलिए जहां तक उस कमेटी के एग्जिस्टेंस का सवाल है वह एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, उसने अपना काम पूरा कर दिया। जो टर्म और रेफरेंस थे और जिस पर रिपोर्ट देनी थी वह दे दी। अब वह रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास में है। उसकी सीटिंग्स हो चुकी है, मेरे साथ में हो चुकी है। अब वह मुश्किल क्या है कि माननीय सदस्य आस पास के वातावरण के हिसाब से सरकार के निर्णय को प्रभावित करने के लिए फैसला चाहते हैं। यह मामला इतना उलझा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस दरमियान में इसका जल्दी फैसला नहीं हो सका। बरकत साहब के लाइफ टाइम में हम लोग सिरस्का में केवल इसी चीज को लेकर बैठे थे और पूरी केबिनेट ने कई घण्टे इस पर लगाए और लगाने के बाद भी उस पर निर्णय नहीं हो सका था। किन्तु इश्यू स्ट्रीमलाइन हो चुका है, चीज साफ हो चुकी है और हम यह चाहते हैं कि चाहे बिगाड़ पहले कितना भी हो चुका हो, लेकिन आपरेशन ऐसा किया जावे कि जिससे खून कम से कम निकले और बीमारी दूर हो। इसके लिए क्लोरोफार्म दिया ···

श्री निरंजन नाथ आचार्य : और दर्द भी नहीं हो।

श्री हरिदेव जोशी : दर्द तो नहीं होगा ऐसा मेरा अन्दाज····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मरीज जिन्दा तो रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आप मरीज के इन्ट्रेस्ट में बात करते हैं और प्रोफिटियर्स

(श्री हरिदेव जोशी)
उनके बारे में बोलते हैं। हो क्या गया है कि मरीज के ऊपर प्रोफिटियर्स, ब्लैक मार्केटियर्स आ गये हैं। दिक्कत यह है कि हम यह चाहते हैं कि इन प्रोफिटियर्स को एलिमिनेट करने की बात है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा न हो कि मर्ज भी न रहे और मरीज भी।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी कोशिश यह है कि हम अरलियेस्ट पोसिबल इस इश्यू को साफ कर देना चाहते हैं। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं जो कि गवर्नमेंट का फैसला नहीं हुआ है अभी तक – जिस आदमी के पास में हाउस साइट नहीं है और वह सोसायटी का मेम्बर है उसको हम गारन्टी के रूप में हाउस साइट देंगे।

अब मामला क्या है ? ऐसे कई लोगों ने कई प्रकार के झूठे नामों से रिश्तेदारों के नाम से, दोस्तों के नाम से और फर्जी नामों से भी बेनामी सोसायटीज बहुत सी बना ली हैं और जो माननीय सदस्य यहां पर इस चीज को एजीटेट करते हैं वे भी जानते हैं कि जयपुर शहर के अन्दर 22 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने कि इस प्रकार की सोसायटीज बनायी हैं और इसके पैसे ले ले कर हजम कर गए हैं। अब हमारी दिक्कत यह है कि आप जो कहते हैं, माननीय सदस्य कहते हैं, वह तो जेनुइन केसेज के लिए, जिनके पास हाउस साइट नहीं हैं, उनको मदद करने के लिए कहते हैं। मगर उनकी मदद करने के लिए भी हम यह चाहते हैं कि वहां पर जिस किसी भी फार्मूले को बनाते हैं उस फार्मूले के अन्दर दूसरे मुनाफाखोर मौका पा जाते हैं। इसलिए उनको हटा करके और लोगों को देने की बात करते हैं। एक्वीजिशन करने की बात करते हैं किन्तु एक्वीजिशन नहीं करके एक्वायर करवाने की बात चाहते हैं तो इस डेलमा में फैसला नहीं हो रहा है। हम किसी पक्के फार्मूले को इवोल्व करना चाहते हैं जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

झामर कोटड़ा में राक फास्फेट की खदानों में जमा माल

8. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के पास झामर कोटड़ा में रॉक-फास्फ़ेट की खदानों में भारी मात्रा में माल जमा हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जमा माल खरीददारों द्वारा उठाया नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो माल की खरीददारी नहीं होने का कारण क्या है ?

(3) क्या राक फास्फेट की खुदाई सही तरीके से नहीं किये जाने के कारण उसमें पी2 ओ5 की प्रतिशत कम हो गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी दी है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां।

(2) पर्याप्त मात्रा में माल नहीं उठ रहा है जिसके कारण निम्न हैं:—

1. एम. एम. टी. सी. द्वारा राक फास्फेट के लगातार आवश्यकता से अधिक आयात के कारण झामर कोटड़ा राक फास्फेट की बिक्री पर असर पड़ा है।

2. बैंकों द्वारा ऋण सुविधा में कटौती के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति सीमित हो गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पहले तो यह जानना चाहूंगा कि अच्छी खदान और घटिया खदान उसमें जो राक फास्फेट निकलता है वह घटिया और अच्छा ये दो श्रेणियां होती हैं या अच्छी ही अच्छी होती हैं।

श्री जुझारसिंह : अभी जैसा आपने पूछा है जो डिपाजिट हमारे पास एक्यूमूलेट हो गया है जितना माल है वह सब हाई ग्रेड का है। इन्फीरियर ग्रेड का कोई नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्फीरियर की बात तो मैं बाद में लूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खदान जो घटिया है वह घटिया किस्म की ही है या अच्छी किस्म की भी है उसमें से यह माल राक फास्फेट निकलता है वह घटिया किस्म का है या अच्छी किस्म का भी निकलता है ? ये दो श्रेणियां होती हैं ?

श्री जुझारसिंह : अच्छी ग्रेड का क्लास 30 पी2 ओ 5 जो डायरेक्ट यूजफुल बताई है और जिसका स्टाक एक्यूमूलेट हो गया है उसके बारे में जबाब दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि दो लाख टन रॉक फास्फेट जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपया होती है वह आपके यहां जमा है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि यहां प्रति टन 550) रुपये में बिकता है जब कि आयातित माल सात सौ रुपये में लिया जाता है।

श्री जुझारसिंह : जी हाँ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या यह सही है कि मेटल एण्ड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन इस सम्बन्ध में खरीददारों पर दबाव डालता है कि वह आयातित माल लें और आपका माल न लें।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, रॉक फास्फेट राजस्थान में हायर ग्रेड का अवेलेबल है और लोअर ग्रेड का भी अवेलेबल है। ए.बी.सी.डी. ई. जो ब्लाक बनाए गए हैं और उसमें बी. और डी. ब्लाक जो हैं वे हायर ग्रेड के हैं और इन ब्लाक्स में 28 टू 35 पर्सेंटेज का अवेलेबल है बी. और डी. के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट अभी बी. और डी. को ही एक्सप्लॉयट कर रही है और यह भी तथ्य है कि दो लाख टन माल हमारे पास में क्रूड एकुमूलेट हो गया है। इस सिलसिले में हमने भारत सरकार से बात

(श्री हरिदेव जोशी)

शुरू की और यह चाहा कि जो भी यूजर्स हैं उनको कहा जाय कि तत्काल हमारा माल उठा लें। उन्होंने अभी इस विषय में एफर्ट्स करके और उस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है किन्तु अभी पिछले दो दिन पहले ही इस प्रकार की मेरी मीटिंग गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के मिनिस्टर श्री के. डी. मालवीया और माइन्स मिनिस्टर श्री चन्द्रजीत यादव से हुई है और उन्होंने यह एश्युरेन्स दिया है कि वे इस माल को उठवा देंगे। यह भी एक तथ्य है कि जहां पर एक तरफ हमारे यहां पर देश में फॉरेन एक्सचेन्ज की कमी है और यह माल हमारे पास में इतना अवेलेबल है दस करोड़ का 12 करोड़ का न हो तो। दूसरी तरफ इम्पोर्ट के आर्डर्स दे दिए गए हैं। सो हमने गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कहा है या तो आप इन कम्पनीज से इस माल को उठावो अथवा हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दें। यह माल एक्सपोर्ट किया जा सकता है और राज्य सरकार को दस करोड़ रुपया इमीजिएटली मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह आज का सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारा टार्गेट दो लाख टन खनन का था किन्तु उसके मुकाबले में 4 लाख टन खनन कर चुके हैं। हमारे एफर्ट्स यही रहे हैं कि स्टेट की नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर स्टेट की आम जनता के ऊपर टैक्स का भार न बढ़ावें किन्तु इस रॉक फास्फेट के न उठने के कारण इस फाइनेन्शियल ईयर में जो दस करोड़ एमाउन्ट की स्वीकृति थी वह नहीं हो पाई है......

श्री निरंजन नाथ आचार्य : सदन की चिन्ता का विषय यह है कि आपके पास जहां तक रॉक फास्फेट का सवाल है 37 मिलियन टन का सुरक्षित भंडार है। आपने यहां जो यह जानकारी दी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को इस सम्बन्ध में एक नोट दिया है, तो हम यह निश्चित रूप से जानना चाहते हैं जो रॉक फास्फेट यहां पर आयात होता है, उस आयात को रोकने के लिए आपने क्या कन्स्ट्रक्टिव कदम लिए हैं और भारत सरकार ने निश्चित रूप से आपको क्या आश्वासन दिया है। सदन को चिन्ता यह है कि यह रॉक फास्फेट की खान कहीं भारत सरकार स्वयं तो नहीं लेना चाहती है? यह भ्रान्ति यहां पर, इस सदन में उठ रही है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं हाइएस्ट ऑथोरिटी तक इस बात को पहुंचा चुका हूं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कि जहां देश में फॉरेन एक्सचेन्ज की कमी है, वहां पर यह चीज इस देश में यहीं पर उपलब्ध है, तो उसको बाहर से नहीं मंगवाना चाहिए और यह देश के इन्ट्रेस्ट में भी है। अब सवाल है इमीजिएटली इस माल को उठाने का और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने इस माल को उठवाने का आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूं और एम्फेटिकली कहा है हमको अरलिएस्ट पॉसीबल समय के अन्दर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जावे। एक ओर अगर हम माइनिंग के अन्दर स्लेकनेस ले आए तो फिर से उस टैम्पो को बनाने में देरी हो जायगी। माइनिंग को हम कम नहीं करना चाहते हैं। परिणाम यह है कि इन्वेस्टमेन्ट बढ़ता ही चला जा रहा है जैसे कि दस करोड़ का माल इकट्ठा हो गया। इसका इन्ट्रेस्ट कितना होता है? यह नेशनल वेस्ट होता है। इसलिए निवेदन किया है कि इस माल को तत्काल उठवाया जाए, चाहे फिर

(श्री हरिदेव जोशी)
वह एक्सपोर्ट के जरिये हो और चाहे इन्डीजीनस कन्जम्पशन के रूप में हो।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आपने फर्माया है कि दस करोड़ का माल इकट्ठा हो गया। आप प्रयत्नशील भी हैं। क्या समझें प्रयत्नशीलता तो एक साल तक चलती रहे और दस करोड़ का माल पड़ा रहे। हम तो काम में प्रगति चाहते हैं और क्या आपको विश्वास है कि भारत सरकार आपको इजाजत दे देगी इसको एक्सपोर्ट करने की ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यह जो एक्सपोर्ट होता है यह किन कन्ट्रीज को होता है ? इसमें क्या डिफिकल्टी है ? भारत सरकार को क्या डिफिकल्टी है और इम्पोर्ट को रोकने के लिए उसको क्या डिफिकल्टी है ? अपने देश के अन्दर यह माल अवेलेबल है। आप कृपया इसको स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न इस सदन में पूछने का नहीं था, यह प्रश्न लोकसभा में पूछने का है। अभी तक राक फास्फेट हिन्दुस्तान में सिवाय राजस्थान के दूसरे कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुआ है, इस क्वालिटी का जिसको कि एक्सपोर्ट किया जा सके। अभी तक राजस्थान में जब तक नहीं मिला था तब तक हन्ड्रेड परसेन्ट राक फास्फेट इम्पोर्ट होता था। आज तक यह राक फास्फेट यहां से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोकल कन्जम्पशन है जितना हम प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा कन्जम्पशन था, उससे ज्यादा की जरूरत देश में थी इसलिए आज तक एक्सपोर्ट की बात पैदा नहीं हुई है, किन्तु गवर्नमेंट आफ इन्डिया एग्री कर ले कि वह कम्पनियों से इस माल को तत्काल उठवाने के लिए तैयार है। यह चर्चा कम्पनियों के लोगों से हो चुकी है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि भारत सरकार की कोई डिफिकल्टी रह जाती है–इस सम्बन्ध में मैंने दोनों मिनिस्टर से बात की है और उन्हें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं लगी। इतना जरूर लगा कि फैसला करने में वे लोग मददगार होना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे कौन से कन्ट्रीज हैं जहां से यह इम्पोर्ट हो रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मोरक्को, जॉर्डन और आस्ट्रेलिया से आता है मगर मोरक्को से ज्यादा आता है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार राक फास्फेट के बारे में यह बताने की कृपा करेगी कि यह माल वहां से नहीं उठाया जा रहा है, उसके अन्दर क्या वहां पर बड़ी लाइन का न होने का है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कोई प्रश्न नहीं है। इसमें कोई लोकल कन्डीशन है ही नहीं सिवाय इम्पोर्ट ज्यादा हो जाने के।

श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या आपके पास इतने प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं कि जो माल लेना चाह रहे हैं उनको आप माल नहीं दे रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उपयोग हिन्दुस्तान में कहां होता है राक फास्फेट का ? क्या इसका अधिकतर उपयोग पब्लिक सैक्टर में होता है, फर्टीलाइजर के बनाने में होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : सभी में होता है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर सभी में इसका उपयोग होता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय। फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया की यह शिकायत है कि जब जब भी उन्होंने माल मांगा उन्हें माल सप्लाई नहीं किया गया उनकी जो कान्फ्रेन्स सन् 1972 में हुई थी उसमें उन्होंने एजेन्डा में प्रमुख रूप से यह रखा था। राजस्थान सरकार उनको यह माल नार्मल कोटे के रूप में नहीं दे सकी। क्या ऐसी स्थिति सरकार के समक्ष आयी है ?

श्री हरिदेव जोशी : गलत ढंग से आप इस इश्यू को रख रहे हैं। प्रोडक्शन कम होगा इसलिए पहले नहीं दे सके होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आज इम्प्रूव हो गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई दिन ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ हो परन्तु आज प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर लिया गया है। मशीनरीज लगाई गई हैं। उस समय मशीनरीज नहीं थी। माननीय सदस्य इसको जरा समझने का प्रयत्न करें। हमारा लक्ष्य इस वर्ष दो लाख टन खनन करने का था उसके मुकाबले 4 लाख टन का खनन किया है। इसलिये उत्पादन में इम्प्रूवमेन्ट हुआ है और हम यह चाहते हैं कि यह माल जल्दी से जल्दी उठाया जावे। आज राक फास्फेट की सप्लाई को पूरा किया जा रहा है। इसलिए कोई भी यह कहें, जिन्होंने इस राक फास्फेट को यूज किया है उनको माल सप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वह इस इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सप्लाई की सिचुवेशन इम्प्रूव होने के बाद भी क्या भारत सरकार ने फ्रेश इम्पोर्ट लाइसेन्स दिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैं पहले की कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति धोद के फ्लोराइड वाले ग्रामों का सर्वे

2. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति धोद, जिला सीकर के ग्राम फ्लोराइड ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 22

(22)

(श्री गोरधनसिंह)

(2) क्या सहायक अभियन्ता, सर्वे एवं अनुसंधान, उपखण्ड सीकर ने पंचायत समिति धोद, जिला सीकर के फ्लोराइड वाले ग्रामों का सर्वे किया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार जिन ग्रामों का सर्वे हो चुका है उनमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति धोद के 6 ग्रामों में 3 पी. पी. एम. से अधिक फ्लोराइड पाया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति धोद के ग्रामों का प्राथमिक सर्वेक्षण, योजना एवं अभिरूप खण्ड द्वारा अगस्त, 1973 में किया गया।

(3) जी हां, नई ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

(1) **अध्यक्षीय घोषणा**

(2) **दलीय स्थिति**

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामजीलाल, सदस्य विधान सभा ने स्वतंत्र दल से तथा श्री उम्मेदीलाल, सदस्य विधान सभा ने जनसंघ दल से त्याग-पत्र दे दिया है। ये दोनों ही माननीय सदस्य निर्दलीय सदस्य के रूप में रहेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं --

(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में पंचायत संस्थाओं के चुनाव न कराने के विषय में। इस विषय में अध्यादेशों पर होने वाली चर्चा के समय माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली बहस में भी भाग ले सकते हैं।

(2) श्री रतीराम यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति कम कर देने के विषय में।

(3) श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला टोंक में निवाई स्थित बिजली के ट्रान्सफारमर जल गये हैं, इस विषय में।

इन विषयों को माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर आज से प्रारम्भ होने वाली बहस के समय उठा सकते हैं। अतः मैं इनकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 18 जनवरी, 1975 को उदयपुर स्थित मोहम्मदपुरा मस्जिद में बोहरा यूथ के लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये कथित हमले के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया व मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में उत्पादित बिजली को केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों को दे देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 जनवरी को कोटा में कुछ पत्रकारों की पुलिस थाने में की गई कथित पिटाई के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर में किसान संघर्ष समिति द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के समर्थन में गत 14 फरवरी से किसान नेता सरदार सेवासिंह के आमरण अनशन के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(8) सर्वश्री रामकिशन, केदारनाथ, मोहरसिंह (सादुलपुर), गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व निरंजनाथ आचार्य, सदस्य, विधानसभा की ओर से गत 8 9 फरवरी, 1975 को चूरू में कुछ छात्र नेताओं तथा पत्रकारों की गिरफ्तारी तथा पिटाई के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जे. सी. बोस छात्रावास, उदयपुर में पुलिस द्वारा गत 17 जनवरी को छात्रों की की गई पिटाई के सम्बन्ध में,

इन दोनों ही प्रश्नों पर मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार एक एक वक्तव्य दें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इस सदन में, जो राज्य के मुख्य मन्त्री श्रीमान् जोशी जी हैं, इन्होंने सदन में घोषणा की थी कि पंचायतों के चुनाव का समय बढ़ाने के लिये मैं अब सदन के सामने उपस्थित नहीं होऊंगा। स्पष्ट रूप से (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य) घोषणा की थी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह घोषणा करने के पश्चात् पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल निरन्तर बढ़ाया जा रहा है, जितना कार्यकाल है वह उतना बढ़ा दिया जायगा कि जब तक हम विधान सभा के सदस्य हैं, हमारे कार्यकाल में तो चुनाव होंगे नहीं और फिर आगे आने वाली सरकार होगी, दूसरे मुख्य मन्त्री होंगे वे भी समय बढ़ाते चले जायेंगे तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र के, प्रजातन्त्र के जिस दीप को प्रज्ज्वलित किया गया था नागौर में, वह बुझ जायगा और दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है। जवाहरलालजी नेहरू ने जो दीप जलाया था वह बुझ गया है। घोषणा करने के बाद मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा चुनाव समय पर नहीं कराये जा रहे हैं यह सदन का घोर अपमान है। यह घोषणा की गई थी कि अमुक महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे। बार-बार समय बढ़ाना उपयुक्त नहीं है। धारणा यह हो रही है, लोग यह समझते हैं कि कोई न्याय नहीं है, पंचों को किसी प्रकार का भय नहीं है, उनको विकास कार्यों में प्रगति की कोई चिन्ता नहीं है,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जन-प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास रहा नहीं। इसलिए मैं समझता हूं होच-पोच की स्थिति हो गई है, अजीब प्रकार की स्थिति हो गई है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। बड़े खेद का विषय है। 19 अध्यादेश निकाल दिये। अध्यादेशों के सहारे सरकार चला रहे हैं तीन साल का समय और बढ़ा करके। मैं समझता हूं इस प्रकार इतने वर्ष का समय और बढ़ाकर इससे अप्रिय घटना कोई नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अहमियत का प्रश्न है, लोक महत्व का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई ठोस उत्तर सरकार की ओर से न आवे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, यह घोषणा करते हैं कि मैं सदन में नहीं आऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा, आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिये। आप जनतंत्र में विश्वास करते हैं। आज कई जगह पंचों की जगह खाली पड़ी हुई हैं पंचायतों में, चुनावों के अभाव में मालूम नहीं हो पाता है। इस प्रकार से राजस्थान में लोकतन्त्र की जड़ें खोखली हो गई हैं। इसलिए आज आप निर्णय लें कि राजस्थान में पंचायतों के चुनाव कब हो जायेंगे, इस प्रकार की घोषणा करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं, मान्यवर, स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि 1 बजे मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा और सदन की कार्यवाही को आगे नहीं चलने दूंगा, सदन की कार्यवाही को, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घोषणा के बिना नहीं चलने दूंगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी चाहें तो प्रासीडिंग्ज निकाल कर देख लीजिये?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन.....

श्री भानुकुमार शास्त्री : दिनांक 8 फरवरी को माननीय मुख्य मन्त्रीजी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह वक्तव्य कब आ रहा है? आपने वक्तव्य देने की व्यवस्था दी है तो, चूरू के सम्बन्ध में वक्तव्य पहले सरकार कब दे रही है?

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे अस्वीकार किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वक्तव्य कब दे रहे हैं चूरू के मामले में। आपने आदेश दिया है कि इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही बात कर लेता हूं इस पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तय हो जाय तो बोलने में सुविधा रहेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सारे शहर में हड़ताल हो रही है डी. आई. एस. पी. और एस. डी. एम. के कारण। उनको सस्पेंड करने का भी प्रश्न है। इसलिए मुझे यह कहना है कि सारा चूरू जिला बन्द है। सरकार अपना वक्तव्य देने के लिए एक डेट निकाल दे कि 20 तारीख को जबकि वह सत्र का अन्तिम दिन हो तो क्या मतलब? तो मुझे यह कहना है कि चूरू जिला सारा बन्द है। वहां पर हड़ताल हो रही है,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
और विद्यार्थियों के साथ में मैं समझता हूं कि यदि स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जाकर या यहां बुलाकर उन बच्चों को देखलें तो आप इतने सहृदय है कि उनको देखकर आपका हृदय द्रवित हो जायगा, फूट पड़ेगा और आंखों में आंसू आ जायेंगे। इतना अमानवीय अत्याचार उन विद्यार्थियों पर हुआ है। सचमुच में पुलिस की, एक कान्स्टेबल की शिकायत नहीं है, पुलिस वालों की शिकायत नहीं है। डी वाई. एस. पी. और एस. डी. एम. ये दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

और माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक तथ्य बताना चाहता हूं जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक दिन पहले सदन के एक माननीय सदस्य · · ·

श्री अध्यक्ष : आप आज्ञा दें तो मैं बीच में निवेदन कर दूं। वैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज हो रही है उसमें आप तय कर लें कि स्टेटमेंट उदयपुर के छात्रावास के सम्बन्ध में और चूरू क बारे में कब देना है। उसमें निर्णय ले लें कि कब स्टेटमेंट देना है। यदि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार की लापरवाही के बारे में। एक दिन पहले वहां पर रेस्ट हाउस में सदन के एक माननीय सदस्य · · ·

श्री अध्यक्ष : उस वक्त ही कहें जो कुछ कहना है जमकर कहें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जमकर ही कह दूंगा एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वक्तव्य देने के पहले शायद राज्य सरकार के कर्मचारी आपकी जानकारी में न लायें। इस सदन के एक माननीय सदस्य रेस्ट हाउस में विद्यमान थे 7 तारीख को और वहां पर नगरपालिका के अध्यक्ष भी उनके पास में विराजमान थे और एस. डी. एम. भी वहां पर थे। सारा कार्यक्रम चल रहा था तो एक अध्यापक ने कहा कि फूलचन्द जी आप इस कार्यक्रम में मत आइयेगा। जब यह जानकारी एस. डी. एम. को थी कि कल जोशीजी के कार्यक्रम में इस प्रकार से गड़बड़ होने वाली है और माननीय सदस्य को वह इस प्रकार से सूचना दे रहे थे कि यहां पर मत आइयेगा तो क्या एस. डी. एम. का यह कर्तव्य नहीं था कि या तो पहले से ही व्यवस्था करते और पुलिस का प्रबन्ध करते ताकि इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती या मुख्य मंत्रीजी को सूचना करवा देते कि आप मत आइयेगा, क्योंकि यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं समझता हूं कि इस सारे तथ्य को मद्देनजर रखते हुए अपना वक्तव्य दें और वह आज ही दें। उसमें एस. डी. एम. · · · · ·

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जोशीजी के कार्यक्रम में अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए उन्होंने यह सारी कार्यवाही करवाई है। मैं समझता हूं कि पहले इन दोनों को, डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. एम. को

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
सस्पेंड किया जाय और उन पर एक एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की जाय ।

श्री केदारनाथ : माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं और चूरू में जो काण्ड हुआ है उसकी अर्जेन्सी को अगर आप महसूस करते हों तो उनको आज ही बयान देने के लिए कह दें ।

श्री रामकिशन : तीन बजे ही दे दें ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अगर पहले ही कह दिया जाता तो आज वक्तव्य दे सकता था, परन्तु जैसे ही मैंने अखबारों में वहां की बातों को सुना तो मैंने एक सीनियर आफिसर को भेज दिया । डी. आई. जी. वहां पर गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है । लेकिन सदन में स्टेटमेंट सारे फैक्ट्स को लेकर देना होगा इसलिए आज नहीं तो कल और बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करवा दें तो कल दे दूंगा ।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : इन चीजों में पीछे पड़े तो फिर नुकसान हो सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में 18 जनवरी को बोहरा यूथ पर हुए भयंकर अत्याचार के सम्बन्ध में वहां का समस्त प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल हैं । अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी उस संबंध में एक स्टेटमेंट देना स्वीकार करें तो मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में थोड़ा ही कहना होगा । मैं आपकी मारफत उनसे अर्ज करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट सदन में दें । मैंने अखबारों में भी बयान दिये हैं और उदयपुर में भी इन बातों को दोहराया है । यह विवाद तीन वर्ष से चल रहा है ....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रोसीजर है कोई मंत्री या मुख्य मंत्री अपनी ओर से नहीं देते हैं स्टेटमेंट । माननीय सदस्यों के प्रस्तावों के ऊपर चेयर निर्णय देती है और तमाम हिन्दुस्तान में यही होता है । फैसला आपको करना है कि गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट दे अथवा आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें, जैसी भी स्थिति हो । आपका जो निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा ।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी के लिए भेजा है । निर्णय देना कि वक्तव्य दें कि नहीं यह उसके बाद की बात है, लेकिन गवर्नमेंट अगर देना चाहती है और माननीय सदस्य चाहते हैं तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने जानकारी चाही तो गवर्नमेंट अर्लियेस्ट जानकारी दे देगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, केवल जानकारी से सन्तोष होने का यह प्रश्न नहीं है, और जानकारी जिस प्रकार की राज्य सरकार देगी वह तो....

श्री अध्यक्ष : एक बात यह है जो कि आपको भी मालूम है, माननीय सदस्य को कि प्रोसीजर यह है कि एक दफा ही बोलेंगे चाहे आज बोल लें या फिर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि वक्तव्य दे सकते हैं यदि आपका आदेश हो तो और आपने केटेगोरिकली कह दिया है कि अगर वह वक्तव्य दें तो आपको एतराज नहीं है। आप कह दें कि वह वक्तव्य दें तो और स्पीचेज नहीं होंगी और जब माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे तभी बोल लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है अगर सदस्य चाहें तो · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह समझा कि आप आदेश दें तो वह दे दें और आपने कहा है कि वह देना चाहें तो दे। तो वह आदेश ही है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक राज्य सरकार का सवाल है राज्य सरकार अपनी पोजीशन क्लियर करेगी चाहे वक्तव्य के रूप में चाहे अभिभाषण का रिप्लाई देना पड़ेगा उस समय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग से स्टेटमेंट हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : सदन के विचारों को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य हो जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : धन्यवाद।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 10 जनवरी · · ·

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं कह दूं पहले थोड़ा ही बोलूंगा। आप बड़े आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार एक तरफ तो जनता के हिमायत की बात करती है और दूसरी ओर हर मसले पर केन्द्र की तरफ देखती है, और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के बजाय ऐसे पेश आती है कि उच्च सत्ता का उनमें कान्फीडेन्स रखने के लिए राजस्थान सरकार लगातार राज्यों के हितों के साथ में खिलवाड़ करती आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि इससे पूर्व ही कॉपर के बारे में उसके आफिस की बात थी कि उसको राजस्थान से बाहर ले गये तो राज्य सरकार कुछ नही कर सकी। तेल शोधक कारखाने की बात थी कि सवाई माधोपुर में लगायेंगे और भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि ऐसी उम्मीद है कि वह पूरा होगा, लेकिन उसको केन्द्रीय सरकार यू. पी. में ले गई, और राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है। यहां एक तरफ तो खेतों में फसल के लिए पंपिंग सेट लगाये जाते हैं और आये दिन बिजली की कमी की वजह से आज किसानों के खेत सूख रहे हैं। औद्योगिकरण में बिजली की वजह से बाधा आ रही है, लेकिन राज्य सरकार केन्द्र में अपना कान्फीडेन्स बनाये रखने के लिए प्रेस रिपोर्टर्स को बुलाकर ऐसे स्टेटमेंट करे कि आपको विश्वास रखना चाहिए। आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर राजस्थान की बिजली भी पड़ौसी राज्यों को दी जायगी। हमारे पिछड़े हुए प्रदेश में खेती की हालत इस तरह की है। यहां पर हर साल अकाल

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पड़ते हैं वहां पर खेती के काम में बिजली नहीं लगेगी और जो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उद्योग धन्धे लगाने के काम में नहीं लायेंगे बिजली लेकिन केन्द्र को खुश करने के लिए उत्पादन के कामों में से बिजली काटकर अन्य राज्यों को देंगे वह सिर्फ इसलिए देंगे कि केन्द्र की हम पर महरबानी रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को कठोरता से काम लेना चाहिए लेकिन हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व न करके प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा प्रस्ताव था। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि राज्य सरकार और राजस्थान की जनता के सामने इस वक्त विद्युत का · ·

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : पहले मेरा था और इनका बाद में था। तीन दिन पहले दिया था।

श्री अध्यक्ष : चलिये इसको भी डिसपोज आफ माना जाय।

श्री मीठालाल मीणा : तो राजस्थान की उत्पादित विद्युत है, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पड़ौसी राज्यों को देने का केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। राजस्थान को जो विद्युत मिलनी चाहिए, वह मिल नहीं रही है। जयपुर में आये दिन कटौती की जा रही है फलां टाइम से फलां टाइम, बिजली बन्द रहेगी। रोजाना यही आ रहा है। विद्युत आपके पड़ौसियों को जा रही है। इसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, इस बारे में कोई पता नहीं है? विद्युत के बारे में कई मसले हैं। जिनके बारे में लोगों ने ज्ञापन दिये हैं। हमको पूरी विद्युत नहीं मिलती है। उत्पादन पर दिनों दिन असर पड़ रहा है। विद्युत के मामले में केन्द्रीय सरकार को फिर से कहें, हमको ज्यादा से ज्यादा विद्युत मिले। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में स्टेटमेन्ट दें। दूसरा यह है कि कई सदस्य जो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोले हैं। केवल मूलचन्द जी ही बोले हैं। सरकार के स्टेटमेन्ट होने पर वह बोलें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कोटा में जो घटना घटी है, पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में जानकारी चाही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जानकारी के लिए दिया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां के एक पत्रकार, "धरती करे पुकार" के सम्पादक श्री सक्सेना और उनके भाई श्री इन्द्रनारायण सक्सेना हैं, उन दोनों को वहां के जो पुरी डी. आई. जी. हैं · ·

एक माननीय सदस्य : अब वहां नहीं हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्होंने अपने अखबार में उनके दमन के बारे में टिप्पणी की थी अपने अखबार में टिप्पणी करने पर, उनको दफ्तर में बुलाया गया उनके साथ में बदसलूकी की गई। इसके अलावा पुलिस का दमन चक्र चल रहा है। हमने पहले भी मसले को उठाया था। जबकि हमारे एक प्रमुख वर्कर के साथ में मारपीट की गई थी चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त आश्वासन दिया था। ऐसी स्थिति में बदसलूकी की गई। मुख्य मन्त्री महोदय की खास जिम्मेदारी है, क्योंकि होम डिपार्टमेन्ट उनके पास है।

जहां तक एडीटर का सवाल है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं आप कलम की ताकत को दमन से रोक नहीं सकते हैं। आज पुलिस यह समझती है कि दमन से जुबान बन्द की जा सकती है। वह न कभी हुआ है न होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सीमा के बाहर लोग चले जायें। आपने इसके लिए कानून में दफा 500 बनाई है। अगर किसी अफसर को शिकायत होती है, कोई बात गलत है तो राज्य सरकार मुकदमा चलाये। लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डी. आई. जी. ऐसा करे तो उसका साहस नहीं होता है। उसका साहस नहीं होता है कि दफा 500 का मुकदमा चलाये। जिससे उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाये। आज तक राज्य सरकार ने सिर्फ एक मुकदमा चलाया है। इसलिए मुझे यकीन है····

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा।

इस तरह से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस किस्म की बात करें। इसी तरह से समुद्रसिंह हाड़ा जो कोटा के हैं। नयापुरा, कोटा पुलिस थाने में दो घण्टे तक उनको मारा गया। उसकी शक्ल बिगाड़ी गई। वह रामनिवास मिर्धा के साथ खड़ा हुआ है तो आप पहचान नहीं सकते है। उसके बाल काटे गये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह हो नहीं सकता है. हमारे मुल्क में पत्रकारों के साथ में ज्यादती हो। आप मुकदमा चला सकते हैं। किसी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वे पत्रकारों को बेहोश करें। मार मार कर बेहोश कर दें। मैं चाहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब इस इश्यू को इसीलिए लेवें। इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें। वह किस वक्त मुनासिब समझते हैं? वह क्या रवैया अपनाते हैं? या ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर दिया गया है····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसलिए गुजारिश करूंगा, चीफ मिनिस्टर के पास यह महकमा है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी खास तौर से हो जाती है। जो विश्वास उन्होंने दिलाया था, उसका उल्लंघन बार बार क्यों होता है? इस बारे में वह स्टेटमेन्ट दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह घटना थानेदार या किसी जूनियर आफिसर द्वारा नहीं हुई है। यह डी. आई. जी. पुलिस के द्वारा हुई है। उन्होंने खुद मारपीट की है। मैंने यह जानकारी कोटा सम्भाग से आने वाले जो एम.एल.एज. हैं तथा दूसरे और लोग भी हैं उनसे यह जानकारी की है। सभी लोगों का इस प्रकार का कहना है कि इस प्रकार की घटना 'ए' क्लास के आफिसर की तरफ से हो तो उसके लिए ट्रांसफर काफी नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय की ओर से इस बारे में वक्तव्य आना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो आए दिन लगातार हो रही हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि जो कुछ हो रहा है, उसमें रुकावट आए।

श्री अध्यक्ष : श्री संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, 3 नवम्बर....

श्री रामकिशन : इसके बारे में सरकार का क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर घटना है। सरकार एक्शन भी ले चुकी है या सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोटा की घटना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। पत्रकारों के साथ में जिस प्रकार से वरिष्ठ अधिकारी, डी. आई. जी. ने दुर्व्यवहार किया है। वह राजस्थान के समस्त पत्रकारों, विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के बारे में उभर कर सामने आया है। राजस्थान सरकार ने इसकी गम्भीरता को देखते हुए, छोटी सी कार्यवाही, ट्रांसफर किया है। जो कि गम्भीरता को देखते हुए सर्वथा अपर्याप्त है। मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री जी आज ही इस बारे में वक्तव्य दें। हाउस को कान्फीडेन्स में लें। जनता को कान्फीडेन्स में लें। कहीं पर डी. आई.जी. डण्डों से मारता है। विद्यार्थियों की गुदा में डण्डे किए जाते हैं। उनको मूत पिलाने की कोशिश की जाती है। उनके ऊपर खडा हुआ जाता है। रात दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत दिनों के बाद हम सदन में मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोटा के संबन्ध में मुख्य मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें। उनकी इस बारे में क्या मंशा है ?

क्या आप दमन के जरिए, पुलिस के डण्डे के जरिए, घृणित काण्डों के जरिए राज्य करना चाहते हैं ? यह जनतन्त्र में आपकी आस्था है ? मेरा निवेदन है कि इस बारे में वक्तव्य दे सकें तो जनहित होगा और स्वयं आपके हित में होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : काहे के बारे में ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : काहे के बारे में ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : पत्रकारों के बारे में आपने जो सूचना दी, उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल चुके हैं उस पर।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : प्रश्न यह है····

श्री अध्यक्ष : इस पर विवाद तो नहीं चल रहा है। यह डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, and your leader has already spoken on this point.

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार आक्रमण होता है····

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट जब आए तब इस पर बोल लें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : इस पर वक्तव्य तो दें मुख्य मंत्री।

श्री अध्यक्ष : यहां तक ठीक है फर्माना!

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : केवल अर्ज कर रहा हूं, इस वर्ष कम से कम 20 पत्रकारों के ऊपर केवल पुलिस के द्वारा, कोई उनके विरुद्ध खबर छापने के कारण, जगह जगह पिटाई हो····

श्री अध्यक्ष : नतीजे की बात कह दी।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : थाने में बुलाकर मुत्र पिलाया जाय। दीपचन्द जैसे लोग····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कब कहा कि गंभीर नहीं है?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मुख्य मन्त्री जी आदेश दे दें कि राजस्थान में सारे पत्र बन्द कर दिए जाएं····

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की परम्परा यह मानते चले आ रहे हैं। आपने फर्मा दिया, मैंने आपको मौका दिया।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए उस पर मुख्य मंत्री कहें तो सही।

श्री अध्यक्ष : श्री संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, 3 नवम्बर को सारे राजस्थान के किसान जयपुर में इकट्ठे हुए थे और 11 सूत्रीय मांग बना कर सरकार को भेजी गई थी और यह इन्तजार किया जाता रहा कि सरकार उस पर कोई बात करेगी, लेकिन सरकार मौन रही है। इसके बाद मजबूर होकर किसानों को कदम उठाना पड़ा, किसानों ने जगह-जगह आन्दोलन किया और अपनी मांगें मनवाने के लिए शांतिमय तरीके से जेल में जाने का प्रयत्न करते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसी दौरान में सरकार ने किसानो के ऊपर नये टैक्स आयद कर दिये, 2 करोड़ रुपये की इरिगेशन रेट बढ़ा दी, जिसका 80 पर्सेन्ट असर पड़ता है गंगानगर पर और 20 पर्सेन्ट के आस-पास चम्बल और दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। 1 करोड़ 70 लाख के आस-पास नये टैक्स का बोझ गंगानगर पर पड़ा है और 20 लाख के आस-पास चम्बल पर पड़ा है। किसानों ने इसका फिर विरोध किया, विरोध मे किसान कई स्थानों पर····

Page No. 32

32

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में फर्मायें ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं थोड़े में कहना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम शांति से रहना चाहते हैं । शांति कल आपको दिखलाई थी उसी तरह हम चलेंगे, लेकिन हमें बोलने का मौका दिया जाय । मैं आपको अर्ज कर रहा था, चूरू के किसानों की बीकानेर जेल के अन्दर बुरी तरह पिटाई की गई । यह सरकार मौन रही उन लोगों की हालत पर और उन लोगों के साथ जेल में वह बर्ताव किया जा रहा है, जो आम साधारण कैदी के साथ किया जाता है । गंगानगर के अन्दर जब किसानों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 10 फरवरी को 5 हजार किसानों ने अपने को हर तहसील हैड क्वार्टर पर गिरफ्तारी के लिए पेश किया । उनको गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये गये । हनुमानगढ़ में 15 किसान, जिसमें भूतपूर्व एम.एल.ए. हैं, को जेल में रखा गया है और उनके साथ में 'सी' क्लास जैसा बर्ताव किया जाता है, यहां तक कि भूतपूर्व एम. एल. ए. के साथ भी गंगानगर के अन्दर 55 किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये गये हैं । लेकिन यह सरकार मौन है । सरकार बात नहीं करना चाहती है किसानों से । और हम लोग कोशिश करें तो जोशी साहब एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं फिर हमारे पास और चारा नहीं है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हमने उसका विरोध किया । मैं थोड़े में अर्ज करूं, मैं थोड़ा टाइम और लूंगा ।

गंगानगर में 70 साल का बुड्ढा इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है । उसकी मांग है कि पुलिस दमन को समाप्त किया जाय । पुलिस दमन जोरों पर है । आज लैंड लैस को भूमि नहीं मिल रही है सरकार सोच रही है राजस्थान नहर की भूमि लैंड-लैस को देने के लिए । लेकिन वहां लोगों पर बड़े टैक्स लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ चुकी है । यह भी तब बढ़ी है जब कि बजट सैशन के अन्दर सरकार ने विश्वास दिलाया था कि इस साल नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे । सरकार ने अपने विश्वास को भंग किया है, और वायदे को भंग करते हुए किसानों पर इतने बड़े टैक्स लगाये हैं । किसान शांत रहना चाहते हैं । आज सरकार दावा करती है कि 45 लाख टन अनाज देगी, फूड ग्रेन पैदा करेंगे राजस्थान के अन्दर । लेकिन किसानों ने सरकार की नीति के विरुद्ध जाते हुए अनाज पैदा किया है । गंगानगर में सरकार ने हिदायत दी थी कि जो····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : गेहूं न बोया जाय, सरसों बोई जाय । इसके बाद भी किसानों ने गेहूं पैदा किया । आज सरकार इस स्थिति में है कि 42 लाख टन का नारा दे रही है, 42 लाख टन अनाज पैदा होगा । लेकिन फिर भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । उस बुड्ढे आदमी की किसी वक्त भी मृत्यु हो सकती है । आज किसान कोई टक्स नहीं देना चाहते हैं । मैं आपसे अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप मदाखलत कीजिये और सरकार को मजबूर कीजिये कि वह किसानों की मांगों को मन्जूर करे, और किसानों पर जो टैक्स बढ़ाये गये हैं, कॉमर्शियल क्राप टैक्स 1970 में वापिस लिया गया था, जिसकी घोषणा

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
की गई थी कि हम इसको वापिस लेते हैं, नहरी मामले 1970 में वापिस लेकर इस सदन में 25 मार्च को घोषणा की गई । अब वह सब बढ़ा दिये गये हैं, सारे वायदे तोड़ दिये गये हैं। उसके बाद भी किसान शांति से बैठे हुये हैं । किसान शांति तोड़ना नहीं चाहते हैं । शांति से वह प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन सरकार शांति से नहीं मानना चाहती है, वह दमन करना चाहती है, दमन को काम में लेने के मौके की तलाश में है कि किस प्रकार से किसान के ऊपर दमन किया जा सकता है····

श्री अध्यक्ष : हो गया सब !

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं अर्ज करूंगा कि आप मदाखलत कीजिये और किसानों की मांगें मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतिराम !

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सदन में यह निर्णय हुआ था कि एडजोर्नमेंट मोशन आते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वह जिन्हें आप रिजेक्ट फर्माते हैं, एक वह जिन पर गवर्नमेंट का रिप्लाई मांगते हैं और तीसरे वह जो यहां मंजूर हों···

श्री रामकिशन : मंजूर होते नहीं हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मंजूर नहीं होते हैं तो दो मान लीजिये कम से कम···

श्री अध्यक्ष : प्रेक्टिकली आज भी मंजूर किये हैं।

श्री रामकिशन : थ्योरिटिकल बात हो रही है ।

श्री यशवंतसिंह नाहर : जिनके जवाब मांगे जायं, उनको जब नेक्स्ट टाइम लें तब बोलने का अधिकार है । यह नहीं कि आज भी बोलें और तब भी बोलें ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न या जो मुद्दा नाहर साहब ने उठाया है वह इस सदन में कई दफा आया है, मेरे द्वारा भी आया है । ऐसी परिस्थिति पैदा हुई सदन के सामने । वस्तु-स्थिति यह है कि जिन स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी चाही जाय उन पर उस वक्त न बोलकर जब उत्तर आ जाय उस वक्त कह दें । यह परम्परा है, लेकिन यहां चूंकि चटपट मामला लेने की जो पद्धति है कि आज स्थगन प्रस्ताव आया है आज ही उस पर बोला जाय । मैंने इसे मोडिफाई कर दिया, इस वक्त बोल लें तो आयन्दा जब फैसले की सूचना दे दें तो आयन्दा बोलने की इजाजत नहीं होगी । यह कर रखा है । यह चोइस पर छोड़ दिया है स्थगन प्रस्ताव को देने वाले पर कि उस वक्त बोल लें या आज बोल लें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जवाब नहीं आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : सूचना आपको देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि काफी मामला निपट गया है इतने थोड़े समय में, थोड़ा सा मामला रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतिराम । (श्री मोहर सिंह के खड़े होने पर) किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : गुरदयाल सिंह का स्थगन प्रस्ताव है उस पर बोलना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर सपोर्टर नहीं बोलते हैं ।

श्री मोहर सिंह : मैं एक मिनिट कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : रतिराम जी को कहने दीजिये ।

श्री मोहर सिंह : उनका दूसरा प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहर सिंह : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : परम्परा नहीं है, नियम भी नहीं है, फिर भी फर्मायें । थोड़े में कहिये ।

श्री रामकिशन : समर्थन की परम्परा नहीं है, एक्सप्लेन करने की परम्परा है । एक प्रपोज करे दूसरा उसको एक्सप्लेन करे ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर नहीं है । स्पेशल है सारा मामला ।

श्री केदारनाथ : एक्सप्रेस करने की परम्परा है ।

श्री मोहर सिंह : किसानों की कठिनाइयों के बारे में सेवा सरदारसिंह ने भूख हड़ताल की हुई है उसके मुतल्लिक मैं कुछ शब्द कहूंगा अपने स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में । वास्तव में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । एक महीने से लगातार राजस्थान में किसानों की तरफ से जबर्दस्त आन्दोलन चलाया जाए, जिसमें हजारों गिरफ्तारियां हों उसके बावजूद भी आज मुख्य मंत्रीजी की तरफ से उस आन्दोलन के मुतल्लिक एक शब्द भी न कहा जाए यह कहां तक उचित है ? किसान इलाके की रीढ़ है । वह आन्दोलन करे और उसके लिए एक शब्द भी न कहा जाए । इसके लिए काफी कुछ कहा जा सकता है । किस प्रकार से बीकानेर में हुआ किस प्रकार से वहां पर सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई गई, यह अखबारों में आ चुका है । आपने अलवर की घटनायें सुनी हैं, गंगानगर की घटनायें सुनी हैं । इसके मुतल्लिक सारी बातों को मुख्य मंत्रीजी ने अखबारों में पढ़ा होगा । उनके पास वैसे भी जानकारी आती होगी । इसलिए इस विषय पर वक्तव्य आना निहायत जरूरी है । क्योंकि मेरा इस आन्दोलन से गहरा ताल्लुक रहा है, अतः मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए मुख्य मंत्री से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मांग करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन को स्थिति से अवगत करायें और किसानों की मांगों के लिए उनके दिल में अगर गुंजाइश है, और किसानों के लिए अगर सही भावना रखते हैं तो इसके लिए उनको सदन में जरूर वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : मेरा अधिकार तो नहीं है इस बारे में बोलने का लेकिन क्योंकि आपने मेरे पूर्व वक्ता को इजाजत दे दी तो मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : फरमायें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : आखिरकार यह क्या है ? योजनाबद्ध अत्याचार का तरीका है—प्लान्ड रिप्रेशन बाई दी पुलिस । किसानों को मारना, विद्यार्थियों को मारना, मजदूरों को मारना, वहशियाना व्यवहार करना,

(श्री लक्ष्मण सिंह)
यह समाजवादी सरकार की पुलिस है ? यह कोई सिविलाइज्ड मेथड पुलिस का मैं नहीं मान सकता. ...

श्री रतीराम : ये तो आपके राज को भी मात दे गए।

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार को न्याय की नीति बरतनी चाहिए, जनता और पुलिस के बीच में तटस्थता की नीति बरतनी चाहिए तब तो सरकार की कथनी और करनी में विश्वास होगा। आप आए दिन टैक्स बढ़ाते हैं। आखिर टैक्स बढ़ाने का तरीका होता है। बजट के समय घोषणा करें, सब जानते हैं कि सरकार का अधिकार है, एकदम आधी रात के बीच में आपके दिमाग में आ गया कि टैक्स बढ़ा दो तो बढ़ा दिया। इससे लोगों में रोष होगा, निराशा होगी और फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। आखिर किसान आपकी आमदनी का एक महत्वपूर्ण तबका है। यह राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। किसान के प्रति अगर इस प्रकार का अत्याचार करेंगे तो उसकी भर्त्सना किए बिना कोई विरोधी पक्ष का सदस्य नहीं रह सकता। ऐसी हालत में जो विरोधियों की ओर से मांग की जा रही है वह सीधी सादी मांग है। माननीय मुख्य मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें। आखिरकार एक एक प्रश्न के उभयपक्ष होते हैं—शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो सरकार की नीति हो उस पर प्रकाश डालें।

श्री रतीराम (तिजारा) : राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन-जाति के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से शिक्षा लेने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती रही है। इसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का और कुछ हिस्सा राज्य सरकार का है। अभी तक जो यह छात्रवृत्ति मिली है उसमें कालेज में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40) केंद्र की तरफ से और 40) राज्य की तरफ से मिलते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष केंद्र ने वह राशि बढ़ाकर 40) से 70) कर दी जबकि राज्य सरकार ने इसके विपरीत निर्णय लिया और उसने अपनी राशि को बिल्कुल बंद कर दिया। यह दुभार्ग्यपूर्ण स्थिति है, इन वर्गों के प्रति हमारी सरकार की गलत नीति है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : लगता है कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं उसके बाद आप फर्मा दें। आपने जो उदाहरण दिया है वह सही नहीं है। अब तक यह स्थिति थी कि भारत में शायद मेरी नालेज में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां पर भारत सरकार भी स्कालरशिप देती थी और राज्य सरकार भी देती थी। कालेज एजूकेशन के लिए केवल भारत सरकार ही देती थी और उसको राज्य सरकार सप्लीमेंट करती थी। उदाहरण के लिए मैं आपकी फीगर को दोहरा दूं कि भारत सरकार 40) रु. देती थी तो राज्य सरकार भी 40) रु. देती थी। फिर नरोरा में चर्चा करने के बाद में भारत सरकार ने अपनी रेट को बढ़ा दिया और 70) कर दिया। तो हिंदुस्तान भर के सभी विद्यार्थियों को 70) ही मिलने लगा। यहां पर वह 80) हो गया। तो हमने पहले यह सोचा कि 80) के बीच में जो अंतर है अर्थात् 10) [illegible] हम देंगे क्योंकि आखिर जो पैसा देते [illegible] हम प्लान से देते हैं। भारत स[illegible] नहीं देती क्योंकि यह खर्च[illegible] होगा। किन्तु शिड्यूल्ड को[illegible]

(श्री हरिदेव जोशी)
राज्य सरकार को रिप्रेजेन्ट किया, मेरे सामने सवाल आया तब हमने फैसला किया और हमने तय किया कि हम चाहे भारत सरकार रकम बढ़ाती है, हालांकि हमने पहले फैसला किया था कि हम डिफरेंस देंगे लेकिन उनके रिप्रेजेन्टेशन पर, जब मैं चित्तौड़गढ़ में था, वहां पर लोग मुझसे मिले और वहां पर मैंने वायरलैस मेसेज दिया वित्त मंत्री को और राज्य सरकार को कि पूरी रकम, जिस किसी कैटेगरी में आज से पहले देती चली आ रही है, उसको देना जारी रखा जाय। उसमें कोई कटौती नहीं की है इसलिए आपको जो सूचना है वह बहुत पहले की है·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : याने 70 प्लस 40 देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यस यस।

श्री गुमानमल लोढा : रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से ? जुलाई से बंद हो गया, उसके बाद उनको नहीं मिला।

श्री हरिदेव जोशी : जिस समय भारत सरकार ने घोषणा की उस समय हमने अपने यहां पर तय किया था कि हम डिफरेंस मात्र देंगे, पूरा नहीं देंगे। अब यह हो सकता है किसी जगह जुलाई से अक्टूबर हुआ हो, बाकी न हुआ हो तो उस समय यह हुआ था मगर बाद में जब मैं चित्तौड़गढ़ में था वहां मैंने घोषणा कर दी। उसके बाद में सरकार ने डिसीजन ले लिया कि जहां पहले हम 40) देते थे वहां 40) ही देते रहेंगे। जहां 50) पहले देते थे वहां 50) ही देते रहेंगे, जहां 25) पे करते थे वहां 25) ही देंगे। अर्थात् राज्य सरकार को जो इस वर्ष देने का ध्येय था वह पूरा दिया जाएगा और भविष्य के वर्षों में भी दिया जाता रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे भ्रांति का निराकरण हो गया लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में पुरानी स्थिति का ही उल्लेख है इस कारण यह स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा। हम यही क्लेरीफिकेशन चाहते थे क्योंकि पेज 33 पर साफ तौर से कहा गया है कि...

श्री अध्यक्ष : आपने अच्छा किया कि दरियाफ्त कर लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में कहा था उसका क्लेरिफिकेशन कराना चाहते थे मुख्य मंत्रीजी से। अब इन्होंने कह दिया तो एडजोर्नमेन्ट मोशन लाने का सवाल ही नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री केदारनाथ जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय वित्त मंत्रीजी के खिलाफ में दिया है उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : वह अभी तक अन्डर कन्सीडरेशन में है। आप उसके लिये हाउस में स्टेटमेन्ट न दें।

श्री रामकिशन : मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैंने जो प्रिविलेज का मोशन दिया था उसमें वित्त मंत्रीजी के खिलाफ में·····

श्री अध्यक्ष : आप चर्चा ही कर रहे हैं। मैंने उसका आपको जवाब नहीं दिया है। मैं उसको देख रहा हूं।

श्री रामकिशन : आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया इसका मतलब है कि आपने उसे मन्जूर कर लिया है। क्योंकि मुझे उसकी सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना कि वह अण्डर कन्सीडरेशन में हैं, अस्वीकृत नहीं किया है।

श्री रामकिशन : आप कब तक उस पर निर्णय ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह दूसरे स्थगन प्रस्तावों की तरह नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि जयप्रकाश नारायण जी की वजह से हम बाहर रहेंगे अतः आप कब तक इस पर निर्णय ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : चूंकि आपका मोशन काफी इम्पॉर्टेन्ट है उसको काफी ध्यान से देखना पड़ेगा।

श्री मीठाराम : अध्यक्ष महोदय, चूरू के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसके बारे में मुख्य मंत्री जी से स्टेटमेन्ट के लिये आप फरमादें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जो बहुमत के आधार पर पंचायतों के चुनाव बार बार टाल रहे हैं आखिर उसके लिये कब तक चुनाव राज्य सरकार टालती रहेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : चुनाव टालना नहीं चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो आप अगर चुनावों को टालना नहीं चाहते तो कब तक करा देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें मैं माननीय सदस्यों से अलग से बात करके निर्णय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी के ऊपर स्थगन प्रस्ताव देकर वजन डालना चाहता हूं, क्योंकि प्रजातन्त्र में यही रास्ता रहता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पूरा वजन समझ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से बात करके जल्दी ही फैसला कर दूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : माननीय अध्यक्ष, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :—

(श्री सचिव)

(1) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 1974

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :—

(1) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1974

(3) राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974

(5) राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्त) विधेयक, 1974

(6) राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974

(7) राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974

(8) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974

(9) राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974

(10) राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974

सूचना प्राप्ति प्रश्न

विगत में पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय अोन ए पाईन्ट आफ इनफोर्मेशन। अध्यक्ष महोदय, इन विधायकों के अतिरिक्त·····

श्री अध्यक्ष : इन विधेयकों के अतिरिक्त, इन विधायकों के नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन एक्ट्स के अतिरिक्त कई एक्ट्स ऐसे हैं जो कि राजस्थान विधान सभा द्वारा पास कर दिये गये हैं, लेकिन उसमें से कुछ पर राष्ट्रपति महोदय की एसेन्ट नहीं आई है काफी अरसा हो चुका है, वह है: अरबन प्रॉपर्टी सीलिंग एक्ट के बारे में उसके बारे में कुछ भी सूचना हमें नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : उसकी हमारे पास भी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानकारी करना चाहते थे कि यह बिल हमने सन् 72 में ही पास कर दिया था पर क्या कारण है कि उस पर अभी तक प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट नहीं हुई ? क्या उसमें कोई खामियां रह गयी थीं या गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया कोई अलग से इस बारे में एक्ट पास करना चाहती है ? या यह एक प्रकार से कोई प्रचार मात्र ही था और राज्य सरकार इस को लागू करना नहीं चाहती है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार कुछ पर्टिक्यूलर क्लास के इन्ट्रेस्ट को वाच करना चाहती है जो कि राज्य सरकार पर हावी है और उसकी वजह से यह एक्ट प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सका है ? आखिर उसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : मेरा ऐसा खयाल है कि माननीय सदस्य को सारी स्थिति का पूरा खयाल है और मेरी उनसे इस बारे में बात भी हो गयी थी। मैंने उनसे पहले ही यह कह दिया कि इस प्रकार के एक दो स्टेट ने और बिल पास किये थे और प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट के लिये भेजे थे पर तथ्य यह है कि इस प्रश्न पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच मीटिंग भी हुई है उसमें इस प्रकार का शायद गवर्नमेंट आफ इण्डिया पालियामेंट में इस सम्बन्ध में कोई बिल ला रही है। मैं समझता हूं कि कल शायद अखबारों में इस बारे में कुछ उल्लेख किया गया है इसलिये मैं समझता हूं कि अब मुझे इस बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और शायद माननीय सदस्यों को यह भी मालूम होगा कि सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है जहां कि राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि अब कोई भी अरबन प्रोपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बाद भी ट्रांसफर्स प्रोपर्टी के हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर कानून कोई बन जाता है और उसके बाद भी कोई व्यक्ति कानून की अवहेलना करता है तो फिर उसका खमियाजा भी वही भुगतेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें आपने जो व्यवस्था दी है उसमें बेचने वाला तो कोई नुकसान में नहीं रहता है, खरीदने वाला नुकसान में रहता है। आपने बेचने वाले को सेफ कर रखा है।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेशों की प्रस्तुती

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आपके द्वारा 12 अगस्त, सन् 1972 को जो व्यवस्था दी गई थी उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें एक प्रति यहां पर एक काले कानून की है जिसमें कि संवैधानिक तरीके से असंवैधानिक कानून पास किया जा रहा है। यह काला कानून है। आपने जो व्यवस्था दी थी उसमें आपने यह कहा था कि प्रजातन्त्र में अध्यादेशों से कानून बनाना ...

श्री अध्यक्ष : यह आपका कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है जिसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह गुण्डा आर्डिनेन्स जो निकाला गया है उसके बारे में कह रहा हूं। गुण्डा एक्ट जो बनाया जा रहा है, इस पवित्र सदन में अपवित्र ढंग से जो कानून बनाया जा रहा है यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वही इस काले कानून को रखने वाले हैं, यह कार्य उन्हीं को करना है। अध्यक्ष महोदय, 28 जनवरी, 1975 को एक अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और वह अध्यादेश यह तो सर्व विदित है कि राज्यपाल कांस्टीट्यूशन की धारा 213 के अन्तर्गत स्टर्न एमर्जेन्सी में अपने पावर्स को काम में लेकर अध्यादेश जारी करता है।

श्री अध्यक्ष : यह जो मुख्य मन्त्रीजी अध्यादेश रखना चाहते हैं उसके बारे में आप कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी जो गुण्डा आर्डिनेन्स के नाम से जो काला कानून बनाने जा रहे हैं जो कि 28 जनवरी से लागू किया गया है और उसके बाद में अध्यादेशों की जो लड़ी उसके साथ लगी हुई है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सन् 1974 में कुल मिलाकर 32 आर्डिनेन्स जारी किये गये थे राज्य सरकार द्वारा। और 1975 के इस अल्प काल में पांच आर्डिनेन्स आपके सामने और आ गये। कुल मिला कर इतने आर्डिनेन्स का आना, श्रीमान् माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, अल्प समय में इतने आर्डिनेन्स का एक साथ बाढ़ की तरह आना यह जनतन्त्र पर कुठाराघात है।

28 जनवरी को गुन्डा आर्डिनेन्स जारी किया गया। इसमें 9 किस्म के गुन्डे रखे हैं। प्रशासन के द्वारा राजस्थान में उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। मैं इस समय उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं तो केवल इसके वैधानिक पहलू पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में पहले आदेश दिये थे, गत सत्र में आदेश दिये थे 12 अगस्त 1974 को। उस समय सब दलों के लोगों ने विचार प्रकट किये थे। लोक सभा के अन्दर भी इस सम्बन्ध में विचार किया गया था और अध्यक्ष ने सरकार को इस सम्बन्ध में डाट फटकार भी की थी कि आर्डिनेन्स को इस प्रकार से लागू नहीं किया जाना चाहिये।

उसी के अनुकूल आपकी इस सम्बन्ध में जो रूलिंग हुई है उसको कोट करना चाहूंगा। आपने 12 अगस्त, 1974 को इस सम्बन्ध में रूलिंग दी है। उसका रिलेवेन्ट पोर्शन मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आपकी इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रूलिंग है।

शुरू में ओजर्वेशन दिया और निवेदन किया कि नोर्मल प्रेक्टिस आर्डिनेन्स निकालने की नहीं होनी चाहिये और आर्डिनेन्सेज सिर्फ एक्सेप्शनल केसेज में ही निकाले जाने चाहिये।

फिर आपने विश्लेषण करते हुए आज्ञा दी :

"उसूल की बात कह सकता हूं, जब तक बहुत मजबूरी की बात न हो इस तरह के आर्डिनेन्स निकालना अनुचित है।" और काफी संख्या में यह आर्डिनेन्स निकाले। कुल मिला कर 14 आर्डिनेन्स।

उस वक्त 14 आर्डिनेन्स के विषय में आपकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कि ऐसी स्थिति आ सकती है, अधिकारों का क्लेश हो, स्पीकर को ऐसी बात कहना पड़े, जब कि आपने इस प्रकार कहा :

"कुल मिला कर 14 आर्डिनेन्स।" अब देखिये 32 आ गये 74 में और 5 आ गये आर्डिनेन्स 75 में। इस तरह से एक दफा की बात नहीं है। पिछले सत्र में भी आये। दो तीन दफा पहले भी इस तरह से आर्डिनेन्सेस निकाले जा चुके हैं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

"मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसी स्थिति न हो आर्डिनेन्स को लाने के सम्बन्ध में, लेजिस्लेचर के सम्बन्ध में समझना पड़ेगा, स्पीकर के सम्बन्ध में समझना पड़ेगा, कि ये आवश्यक हैं या नहीं।"

आपका, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन शब्दों की ओर इसलिये ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि सदन की गरिमा का प्रश्न है, जनतन्त्रीय पद्धति की पवित्रता का प्रश्न है, जनतन्त्रीय परम्पराओं के पालन का प्रश्न है और आपका यह पुनीत कर्त्तव्य है कि आप इसकी मर्यादाओं की, परम्पराओं की रक्षा करें। आपने उन शब्दों में निश्चित रूप से एक वार्निंग के रूप में कहा था। लेकिन मुझे इस बात का खेद है और दुख है कि आप के स्पष्ट निर्देश के पश्चात् भी, आसन से आयी आज्ञा के पश्चात् भी, आसन की ओर से संकेत नहीं, चेतावनी के पश्चात् भी, सरकार की ओर से उसकी पालना न करते हुए 32 आर्डिनेन्स एक निकाले और 5 आर्डिनेन्स अभी अभी निकाले, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिये हुए संकेतों की अवहेलना की है, निर्देशों की अवहेलना तो नहीं कहना चाहता क्योंकि निर्देशों की अवहेलना के लिये तो प्रिविलेज का मोशन आता है पहले। आपने यह भी निर्णय दिया :

"हमें यह भी देखना पड़ेगा कि स्पीकर के सम्बन्ध में समझना पड़ेगा पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग्स का सवाल आता है निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।"

आपने सरकार पर भरोसा किया। लेकिन 28 जनवरी को इस प्रकार का गुन्डा आर्डिनेन्स लाकर सरकार ने गवर्नर साहब के हस्ताक्षर करा दिये। गुन्डा आर्डिनेन्स क्या है यह तो बाद में आवेगा, कौन कौन गुन्डों में आ सकते हैं, कितने गुन्डे हो सकते हैं, कितने नम्बर के।

श्री सावरमल मोर : यह तो गुन्डा नियन्त्रण की बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो अब तक समाप्त कर देता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्य इसमें व्यवधान पैदा करते हैं।

गवर्नमेंट स्वतः ध्यान रखेगी, हमारा भी ध्यान दिलाने का फर्ज है। और ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद भी आगे कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में विराजमान हैं। आगे की कार्यवाही क्या हो सकती है, विचार कर लें। आसन का संकेत था। उनके निर्देशों की अवहेलना की जाती है, यह आप विचार कर लें। आपने कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि कम से कम आयेंगे। 11 की जगह 32 आ गये 25 आर्डिनेन्स पिछले सत्र के बाद में आ गये उस समय आपने स्पष्टतः निर्णय दिया था–

"इस समय यह निर्णय लेना चाहता हूं, गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम आर्डिनेन्स निकाले जायें और आयन्दा बहुत कम आर्डिनेन्स निकालें वरना आगे बढ़ना पड़ेगा मैं आशा करता हूं कि ऐसा आगे नहीं होगा।"

यह आपने निर्देश दिया था सरकार को जो आर्डिनेन्स आये हैं मैं उनको इललीगल नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मानता, इम्प्रॉपर हो सकते हैं। 29 जनवरी को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई कि सदन को आहूत किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके 15 रोज पहले ही राज्य सरकार की ओर से सदन के आहूत करने के लिए संकेत मिल गया था और पत्रों में भी प्रकाशित हो गया था कि 17 फरवरी को विधान सभा का सेशन होने वाला है।

श्री **अध्यक्ष** : लीगल पाइन्ट हो तो डिस्कशन में आवे तब ही कह दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले भी इस समय यह प्रश्न उठा था। 29 जनवरी को आहूत किया। पत्रों में 15 दिन पहले ही आ चुका था कि 17 तारीख को सत्र बुलाने का विचार किया है। मैं पिन पाइन्ट इस बात को करना चाहता हूं और आपका निर्देश चाहूंगा, इसलिए चाहूंगा कि आपने पहले निर्देशन में यह फरमाया था कि ऐसा दो तीन बार पहले भी हो चुका है और फिर निर्देश दे रहे हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा। वह स्थिति आ गयी है, आप आगे बढ़े और सरकार को बतायें कि आसन की ओर से कि उसके निर्देशों की पालना नहीं करने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। आपने 28 जनवरी को क्यों यह ऑर्डिनेन्स निकाल दिया? क्या रातों-रात राजस्थान में गुन्डे पैदा हो गये, उनकी भरमार हो गयी राजस्थान में? कहां बढ़ गये? 28 और आज के बीच कितने गुण्डे पकड़े गए? किस किस किस्म के और कौन से गुण्डे पकड़े गये? क्या क्या कार्यवाही की और नहीं की गई तो क्यों नही की गई? यह अध्यादेश के अधिकार संविधान की धारा 213 के साथ में विश्वासघात रहा है। कांस्टीट्यूशन के पंडितों ने कांस्टीट्यूशन बनाते समय यह सोचा भी नहीं होगा कि इसका इस प्रकार से दुरुपयोग होगा। मेरा निवेदन है कि आप कृपया देखें आपके स्वयं के आदेश, जिसके बारे में आपने संकेत किया है, उस निर्देश की परिपालना नहीं हुई, बल्कि उसकी अवहेलना की गई। माननीय मुख्य मंत्री ने गुंडा ऑर्डिनेन्स राज्य सरकार के राज्यपाल द्वारा 2 तारीख को निकलवाया जिसे सदन के पटल पर रखने की इजाजत न दें। और यह पॉइन्टेडली अर्ज करना चाहता हूं। और आपके समक्ष यह पाइन्ट रेज करना चाहता हूं।

श्री **हरिदेव जोशी** (**मुख्य मंत्री**) : अध्यक्ष महोदय, कोई गलतफहमी न हो इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि राज्य सरकार अध्यक्ष महोदय के संकेत का अथवा आदेश की अवहेलना कर रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस चीज से ऐसा इन्फरेंस निकाल रहे हैं। कतई राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि चेयर के किसी भी आदेश की अथवा संकेत की अवहेलना करे।

अध्यक्ष महोदय, जन संघ के माननीय नेता ने जिस अध्यादेश की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मेरे मन में यह था कि राज्य सरकार के इस कदम की सारे का सारा सदन सराहना करेगा। अब एरर आफ जजमेंट हो सकता है किसी अप्रोच के बाबत में। इस ऑर्डिनेंस की असेंट गवर्नर साहब से नहीं प्रेसीडेंट से ली गई है। माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान के विद्यार्थी जगत में

(श्री हरिदेव जोशी)
एक जमाने में जो स्थितियां पैदा हो गई थीं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं जिसमें यूनिवर्सिटीज के अन्दर बहुत सी भद्दे ढंग की स्थितियां पैदा हो गई थीं और विद्यार्थी बचपना करके, मैं तो यही कहूंगा, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, मार-पीट करना और बदले लेने के अन्दर लग गये बजाय पढ़ाई के। तब राज्य सरकार के समक्ष कुछ कठोर कार्यवाही करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं रहा। उस समय जो एक्शन लिए गए, ये ऑर्डिनेन्स भी उसकी एक कड़ी हैं, और इसमें किसी भी सम्भ्रांत व्यक्ति को शरीक करने की भावना नहीं है बल्कि अगर कहीं हिंसा होती है, उत्पात होता है, उसको रोकने मात्र की भावना है। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए उसकी आम जनता ने सराहना की है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर प्रेस कहीं जन भावनाओं का प्रतिबिम्ब है तो राज्य सरकार ने जो एक्शन्स लिए हैं उसकी प्रेस ने भी सराहना की है। अगर कहीं...

श्री रामकिशन : आप प्रेस को प्रभावित करने की चेष्टा न करें। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री प्रेस को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत ठीक। अगर कहीं लोगों की बात कही जाती है और उसके बाद का जो वातावरण पैदा हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करें। मैं यह नहीं कहता, मगर जिस दिन, अध्यक्ष महोदय यह ऑर्डिनेन्स प्रेसीडेन्ट से असेंट होकर आया उसी दिन शाया कर दिया गया। एक दिन भी नहीं खोया, यह कह सकता हूं, नोटिफाई कर दिया। लेकिन राज्य सरकार की घोषणा का, उसका इम्पेक्ट विद्यार्थी जगत के अन्दर देकर चलता हूं। जयपुर में विशेष करके जहां कि विद्यार्थियों ने एक दूसरे पर कातिलाना हमले किए। मैं जनसंघ के माननीय नेता से यह अपेक्षा करता था कि वाजिब होता वे इसकी कम से कम दाद देते और यह कहते कि तमाम विद्यार्थियों में जो एक प्रकार की चीज आ गई थी उसको कर्ब किया गया है इसके लिए राज्य सरकार की हम सराहना करते हैं। यह कहने के बदले आप जिसको हम कर्ब करने के लिए खड़े हुए हैं जिस हथियार के मार्फत, उसको आप कण्डेम करते है तो यह आपसे अपेक्षा करके नहीं चलता था। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था के रूप में एक प्रश्न उठाया था और वह उठाया है कि माननीय मुख्य मंत्री को जो अध्यादेश सदन के सामने रखने वाले हैं, जो गुण्डों के सम्बन्ध में है उसको रखने की इजाजत नहीं दी जाय। उसमें उन्होंने मेरे पहले निर्णय का भी हवाला दिया है उसमें सिद्धान्त के रूप में बात कही है। वह अब भी कायम है उसमें बदलने की बात नहीं है। परन्तु जो कारण मुख्य मंत्रीजी ने इस समय बतायें कि जिनकी वजह से उनको यह अध्यादेश निकालना पड़ा, मैं समझता हूं कि उन वजूहात की वजह से अध्यादेश रखने की इजाजत देना उचित होगा। एक बात।

एक बात और बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अध्यादेश के सम्बन्ध में एक और

(श्री अध्यक्ष)

रूप में मेरे सामने माननीय सदस्य ने एक संकल्प भेजा है वह भी मेरे विचाराधीन है। उसका निर्णय भी आपके सामने समय पर आएगा।

मुख्य मंत्रीजी।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश के साथ कारण प्रस्तुत नहीं करने सम्बन्धी

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर, अध्यक्ष महोदय।

इस बिल के मेरिट्स के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहना है और जब बिल का डिस्कशन होगा उस समय कहूंगा। इसमें एक संवैधानिक कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न केवल इस अध्यादेश के सम्बन्ध में बल्कि और भी अध्यादेश जो रख रहे हैं उनके सम्बन्ध में इस एजेन्डे में शामिल किया गया है। संविधान के अनुसार न केवल अध्यादेश को सदन में रखा जाना चाहिए बल्कि उसके कारणों को भी सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तभी संविधान की पूर्ति होगी। क्योंकि एजेण्डे के अनुसार सरकार केवल मात्र अध्यादेशों को ही सदन के सामने रख रही है उनके कारणों को अभी गुप्त रखना चाहती है, सदन को अवगत नहीं कराना चाहती इसलिए संविधान की वह पूर्ति नहीं होती और इस रूप में मेरा यह कहना है कि जब तक सरकार कारणों को को उसके साथ लिखित में इस सदन में प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हो तब तक वह सदन में रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : यह प्रश्न लोकसभा में उठाया गया था एज ए राइट इन दी कांस्टीट्यूशन कि यह सरकार को पेशन्र देना चाहिए। कोई कांस्टीट्यूशनल बार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अलवर से आने वाले सदस्य रामानन्दजी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और वह यह उठाया है कि सभी अध्यादेशों के सम्बन्ध में कि अध्यादेश रखने के लिए जो सूची में कहा गया है, उन्होंने वैधानिक मुद्दा उठाया है कि उसके साथ में जो अध्यादेश जारी करने के कारण थे वे उसके साथ नहीं है, नहीं रखे जा रहे हैं इसलिए वह अनुचित हैं। यह बात माननीय सदस्य ने उठाई है वह सिद्धान्त में ठीक है। लेकिन इसका समय यह नहीं है। जब अध्यादेश पेश हो जाने के बाद यह बिल पेश हो तो बिल के साथ यह कहना पड़ेगा कि इन 2 कारण से हमने ऐसा किया है। तो उसके समय के बारे मे पेश होते वक्त ही मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को उसकी पालना करनी चाहिए। वह समय जब बिल पेश होगा उस वक्त होगा, इस वक्त नहीं।

अध्यादेश

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1975) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 25, सन 1974)

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 27 सन् 1974)

(3) राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1975)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 21 सन् 1974) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन एवं विधिमान्यकारी उपबंध) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 30 सन् 1974),

(2) राजस्थान भूमि विकास निगम अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 20 सन् 1974)

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 28 सन् 1974)।

(ख) उदयपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 29 सन् 1974)।

अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 23 सन् 1974)।

व्यवस्था का प्रश्न

सम्बन्धित मंत्री को ही अध्यादेश रखने का अधिकार

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉईन्ट आफ आॅर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1974, यह माननीय वित्त मंत्री जी से सम्बन्धित है और ऐजेन्डे में भी उन्हीं के नाम से अंकित है और शिक्षा मंत्रीजी उसको तब रखने के अधिकारी हो सकते हैं जबकि माननीय वित्त मंत्रीजी सदन में उपस्थित न हों। उनकी उपस्थिति में उन्हीं के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति सही है। वित्त मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए। परन्तु उनकी सहमति से अन्य मंत्री भी रख सकते हैं लेकिन उचित तो यही है कि उन्हीं को रखना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय स्थिति दूसरी है। जो बिजनेस सरक्यूलेट हुआ है उसमें मंत्री, प्रभारी मंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं। आपकी परमीशन से मैंने भी एक अध्यादेश रखा है जिसका कि प्रभारी

Page No. 46

u6

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्री मैं हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि चूंकि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनको शिक्षा मंत्री को रखने की अनुमति दी जावे ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी जाती है।

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : मैं निम्न-लिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(क) राजस्थान यात्री तथा माल कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 24 सन् 1974)।

(ख) राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 32 सन् 1974)।

(ग) राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा-निवारण) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1975)।

श्री रामनारायण चोधरी (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:–

(क) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 22 सन् 1974)।

(ख) राजस्थान पंचायत संशोधन अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 31 सन् 1974)।

(ग) कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व विधिमान्यकारी) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1975)।

(घ) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1975)।

(ङ) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1975)।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 26 सन् 1974) को सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अधिसूचनाए हैं इनको पढ़ी हुई माना जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है?

(स्वीकृत)

अधिसूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(निम्नांकित अधिसूचनाएं माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन पटल पर रखी हुई मानी गयीं)

अधिसूचनायें

[1. अधिसूचना संख्या प. 23 (2) नियुक्ति (क) 160–पार्ट III, दिनांक 22 जुलाई, 1974।

2. अधिसूचना संख्या प. 23 (2) नियुक्ति (क) 160, दिनांक 6 नवम्बर,

1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (सिलेक्शन कमीशन-कंडीशन्स आफ सर्विस) रूल्स 1960 में संशोधन किये गये हैं।

3. अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 225, दिनांक 25 फरवरी 1974 जिसके द्वारा राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 जारी किये गये हैं।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (18) राज ख।70 (जी. एस. आर. 351 (24) दिनांक 12 नवम्बर, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान ग्राम दान नियम, 1971 जारी किये गये है।

5. अधिसूचना संख्या प. 9 (9) राज।ख।74, दिनांक 27-4-1973 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

6. अधिसूचना संख्या प. 6 (9) राज।ग्रुप-4।73 दिनांक 20 अक्टूबर, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान साहूकार नियम, 1965 में संशोधन किये गये हैं।

7. अधिसूचना संख्या एफ. 6 (20) राज।ख।71, दिनांक 17 अगस्त, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

8. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) राज।उप। 73, दिनांक 30 अगस्त, 1974।

9. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (ए) (1) रेव।कोल।74, दिनांक 30 अगस्त, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में (सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1971 में संशोधन किये गये हैं।

10. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) राज।उप।73, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974।

11. अधिसूचना संख्या प. 4 (7) राज।उप।73, दिनांक 8 अक्टूबर, 1974।

12. अधिसूचना संख्या प. 4 (10) राज।उप।73 दिनांक 8 अक्टूबर, 1975।

13. अधिसूचना सं. एफ. 4 (7) रेव। कोल।73, दिनांक 11 अक्टूबर, 1974।

14. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) रेव।कोल।73, दि. 11 अक्टूबर, 1974।

15. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) रेव।कोल।73, दि 11 अक्टूबर, 1974।

16. अधिसूचना संख्या प. 2(331) राज।उप।66, दि. 10 दिसम्बर, 1974।

17. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (6) राज।उप।74, दि. 7 दिसम्बर, 1974।

18. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (स) (5) राज।उप।74, दिनांक 7 दिसम्बर, 1974।

19. अधिसूचना संख्या प. 4 (5) राजस्व।उप।74, दि. 13 दिसम्बर, 1974।

20. अधिसूचना संख्या एफ. 21 (3)राज।उप।72, दिनांक 26 दिसम्बर, 1974।

21. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) राज।उप।73, दि. 6 जनवरी, 1975।

22. अधिसूचना संख्या प. 4(7)राज।उप।74, दि. 6 जनवरी, 1975।

पंचायत एवं स्वायत्त शासन विभागों की अधिसूचनाएं

23. अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.पी.ए.एस.।आर।1।68 (जी.एस.आर.122) दिनांक 15 अप्रेल, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समितियां एवं जिला परिषद् (अभिलेख) नियम, 1974 जारी किये गये हैं।

24. अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.जे.।पंचा।ए.आर.।5।74।156, (जी. एस. आर. 153), दिनांक, 6 दिसम्बर, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं।

25. अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.जे.।पं.।ए. आर.।4।74।181, दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं।

26. अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.जे.।पंचा।ए. आर.।5।74।157, (एस. ओ. 169) दिनांक 6 दिसम्बर, 1974।

27. अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.जे.। पी. टी. एस.।ए. ए.।1।74।193, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं।

28. अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.पी. एस.।ए. आर.।1।74।21, दिनांक 6 जनवरी, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

29. अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.।पी. एस.।ए. आर.।1।74।20, दिनांक 6 जनवरी, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

30. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (2) (11) एल. एस. जी.।74, दिनांक 5 अगस्त, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1974 जारी किये गये हैं।

31. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (6) (7) एस. जी.।71, दिनांक 29 जुलाई, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अध्यक्ष को मानदेय का भुगतान) नियम, 1974 जारी किये गये हैं।

वित्त विभाग

32. अधिसूचना संख्या प. 2 (19) वित्त।ग्रु प-4।74।(जी एस. आर. 10) दिनांक 18 अप्रेल, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं,

यातायात विभाग की अधिसूचनायें

33. अधिसूचना संख्या प- 1 (3) (3) परि।74, दिनांक 17 जनवरी, 1974।

34. अधिसूचना संख्या प. 10 (1) (2) गृह-ख-1।67, दिनांक 8 नवम्बर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

1973 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं।

35. अधिसूचना संख्या प. 1 (1) (2) परिवहन। 70 (जी. एस. आर. 6) दिनांक 15 अप्रेल, 1974।

36. अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (25) परि. 74 (जी. एस. आर. 40) दिनांक 3 जून, 1974।

37. अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (39) परि.74 दिनांक 29 जून, 1974।

38. अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (41) परि.73 (जी. एस. आर. 67) दिनांक 10 जुलाई, 1974।

39. अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (2) परि. 72 (जी. एस. आर. 69) दिनांक 11 जुलाई, 1974।

परिसीमन आयोग

40. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 282।74 (2) एस. ओ. 587 (अ) दिनांक 27 सितम्बर, 1974।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ सूचनायें तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही लेट प्रस्तुत की जा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय को आसन की ओर से पहले ही इस सम्बन्ध में लताड़ पड़ चुकी है और वे फिर लताड़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आसन के आदेश की पुनः अवहेलना की है और अब दुबारा लताड़ पड़ने वाली है, उससे वे बचना चाहते हैं। शायद वे अपने स्वास्थ्य का एक्सक्यूज देकर बचना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मंत्री सदन में हर प्रकार की लताड़ सुनने को तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसीलिए सदन को देर से बुलाया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शिक्षा मंत्री नहीं पढ़ सके तो शक्तावतजी से कह दें, वे पुलिस मंत्री भी है और उन से अधिक स्वस्थ भी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लताड़ पड़ी हुई मानी जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लताड़ पड़ी हुई मानी जावे, यह मुख्य मंत्री महोदय कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय 40 के करीब अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जा रही हैं। चार अधिसूचनायें ऐसी हैं जब कि हाऊस साइनेडाइ एर्जन हुआ था बाकी की जो सूचनाएं हैं वे सदन की मेज पर रख दी गई थीं और दूसरी अधिसूचनाएं भी सदन की मेज पर दुबारा रखा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : और कोई कारण नहीं है। फिर जैसा आप चाहे हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विशेष बात नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा है ? पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और लताड़ भी पड़ी हुई मानी जावे।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए और मौके आयेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पड़ी हुई मानी जावे ?

श्री अध्यक्ष : अवसर, अवसर की बात है।

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री उद्योग): अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं ।

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम का 12 वा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1972-73।

2. राजस्थान लघु उद्योग निगम का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1973-74।

3. सांभर साल्ट्स लि., जयपुर का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1972-73।

4. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1969-70।

2. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1970-71।

3. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1971-72।

4. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1972-73।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने में विलम्ब

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रतिवेदन इतनी देर से रखे जाते हैं और बजट सत्र के समय नहीं रखे जाते हैं ताकि बजट पर वाद-विवाद हो तो माननीय सदस्य इनके विषय में भी चर्चा कर सकें ··

श्री दिनेशराय डांगी (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार की सेवाएं-पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बजट सत्र है। अभी कुछ प्रतिवेदन पब्लिक सेक्टर में जो कम्पनियां काम कर रही हैं उनके रखे गये हैं। यह उचित है कि दो इम्पोर्टेन्ट पब्लिक सेक्टर और हैं, एक तो राजस्थान विद्युत् मण्डल और दूसरा स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन-इन दोनों के लेखे भी सालाना बजट के समय आ जाने चाहिएं। यहां पर यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

परम्परा बनी हुई है कि जब बजट समाप्त होने को आता है तब माननीय सदस्यों को इनके लेखे और वार्षिक प्रतिवेदन वितरित किए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों के प्रतिवेदन और लेखे तथा और जो भी रिपोर्ट्स हैं जिनका संविधान के अनुसार सदन के सामने आना अनिवार्य है, वे आनी चाहिए और जिन कम्पनीज में हमारा इनवेस्टमेन्ट है, शेयर हैं उनकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए। वे सबकी सब, मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि, बजट प्रस्तुत होने से पूर्व प्रस्तुत हो जावें ताकि सदस्यों को उन पर बहस करने का पूरा अवसर मिले।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह एक सिद्धान्त की बात है और सरकार को चाहिए कि सजग रहे। इस सम्बन्ध में बार बार सरकार का इस ओर ध्यान भी दिलाया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार गहरी निद्रा के अन्दर सोती रहती है। सरकार को चाहिए कि समय के अनुसार महत्वपूर्ण एन्टरप्राइजेज और महत्वपूर्ण जितने भी मुद्दे हैं मनी मैटर्स के सम्बन्ध में वह बजट की बहस में सुविधा हो सके इसलिए साधन जुटाने के लिए सदस्यों को साहित्य वितरित समय के अनुसार करें और यह परमावश्यक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो बजट स्पीच है इसमें एक मुख्य रेफरेन्स वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट का है···

श्री अध्यक्ष : यह समय तो नहीं है यह कहने का।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वह सदन की मेज पर रखा जाय तो माननीय सदस्य उसको पढ़ सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अभी बजट स्पीच कहां आई है?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया था।

श्री अध्यक्ष : सब के ऊपर डिसकशन नहीं कर रहे हैं। जो आज विषय है ही नहीं, इस वक्त मुद्दा ही नहीं उस पर कह रहे हैं। जब वह मुद्दा आये तब कहें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में····

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के भाषण की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिवेदनों की बात हो रही है।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन
अनुसूचित जाति कल्याण समिति का
प्रथम प्रतिवेदन

श्री डांगी।

कई माननीय सदस्य : कर चुके।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जिसका संबंध राज्य सरकार की सेवाओं, पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से है।

विशेषाधिकार समिति के 'क्रास एक्जामिनेशन' सम्बन्धी प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को 'क्रास एक्जामिनेशन' पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय को आगे बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय बढ़ाया गया।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

विधायी कार्य

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थपित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए चार दिन नियत किये गये हैं। इस प्रकार से चर्चा के लिए लगभग $17\frac{1}{2}$ घन्टों का समय उपलब्ध है। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से पार्टीवाइज समय का विभाजन इस प्रकार किया है –

कांग्रेस	12 घंटे (इनमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है) ।
स्वतन्त्र	1 घंटा 20 मिनट
जनसंघ	1 घंटा 10 मिनिट
साम्यवादी (सी. पी. आई.)	1 घंटा
संसोपा	1 घंटा
साम्यवादी (सी. पी. एम.)	15 मिनिट
निर्दलीय	45 मिनिट

उक्त समय का आवंटन आज दिनांक 18-2-75 से प्रभावशील होगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव । श्री प्रद्युम्नसिंह ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री रामकिशन : यह आपने पढ़ भी लिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह :मैंने आपकी बड़ी तलाश की लेकिन आप मिले ही नहीं ।

एक माननीय सदस्य : रात को ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : हम लोगों ने तो सुना है कि आप लोग रात को मिला करते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मीठालाल : जो कुछ कहूंगा वह ईमानदारी से कहूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर हम लोगों को सम्बोधित किया उसके लिए मैंने अभी धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है। आम तौर से ....

(1.35 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

....धन्यवाद के प्रस्ताव के जरिये सरकार ने जो पिछले साल उल्लेखनीय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कार्य किये या जो सरकार आने वाले साल के अन्दर जिन कार्यों को हाथ में लेने जा रही है उनके बारे में चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय कल माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण दिया उस समय कुछ विपक्षी दल के सदस्य सदन छोड़ कर बाहर चले गये। मेरा ऐसा मानना है कि यह कोई नई बात नहीं है। आज इस वक्त अखिल भारतवर्षीय स्तर पर जो विपक्षी दलों की नीति चल रही है, जो उनका कार्यक्रम है उसका ही एक अंग नजर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विपक्ष के माननीय सदस्यों को उनकी शालीनता के लिए, सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, जो इस सदन की परम्परा है उसको कायम रखने के लिए और एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो उनका विरोध हो सकता था उस विरोध को प्रकट करने के लिए, शालीनता का परिचय दिया उसके लिए बधाई दी। जहां कि अन्य विधान सभाओं में कहीं पर हो हल्ला हुआ, कहीं पर उधम हुआ, कहीं पर नारेबाजी हुई, उस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन यहां पर नहीं किया गया, इसके लिए तो निश्चित रूप से कुछ विरोधी दलों के सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर जिस बात का जिक्र किया है, वह जो 73-74 से अकाल चल रहा है उसके बारे में उन्होंने यहां पर अपना जिक्र किया है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के अन्दर करीब $1\frac{1}{2}$ करोड़ जनता अभाव से पीड़ित है, और राजस्थान के करीब 23 जिले या तो पूरे या उनके कुछ हिस्से अभावग्रस्त हैं। कुल मिला कर 23 जिलों के अन्दर अभाव की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, इस अकाल की समस्या से, जो इस साल का अकाल है, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं, जहां तक राज्य सरकार की क्षमता थी, जहां तक उसके साधन थे, उनको देखते हुए, उनको सराहनीय कहा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले अकाल के अन्दर राज्य सरकार के ऊपर ओवर ड्राफ्ट की कोई पाबन्दी नहीं थी। लेकिन छठे फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और वैसे भी भारत सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर जो ओवर ड्राफ्ट लेने की पाबन्दी लगाई, उससे राज्य सरकार के हाथ बंध गये। उन्होंने छठे फाइनेंस कमीशन के अन्दर जो मार्जिन मनी मिलती है, उसके अन्दर करीब 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और उन्होंने 10 करोड़ रुपया योजना गत कार्यों के लिए राज्य सरकार को दिया। अब जो पिछला 10 करोड़ रुपया फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले मिला, जिस समय, माननीय सदस्यों को मालूम है, राज्य का बहुत बड़ा भू-भाग अकाल से पीड़ित था। उसके एक्चुअल फीगर्स मुझे नहीं मालूम है। अब 10 करोड़ रुपया योजना गत कार्यों के लिए मिला है। वह योजनागत कार्य सरकार ने शुरू किये तो समस्या यह हुई, जो अकाल से पीड़ित थे, वहां योजनागत कार्य नहीं हुए। उनको वहां से माइग्रेट करके ले जाने की समस्या थी।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उनको वहां पर पहुंचाना था या हर तरह की व्यवस्था सरकार को करनी थी। यह वैसे तो सराहनीय कार्य था। हमने योजनागत कार्यों पर जिस प्रकार राहत कार्य खोले, एक प्रकार की आपकी योजना के कार्य हाथ में लिए हैं, वह शीघ्र ही पूरे होंगे। जो परमानेन्ट कार्य होंगे, मुस्तकिल नेचर के काम होंगे, जो अकाल की समस्या बनी हुई है, जो हमेशा होती है, उसको हल करने में हमें काफी सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ध्यान है, बदकिस्मती से पिछले 10 साल से और पिछले 6 साल से, किसी न किसी साल में यह अकाल रहा है। अकाल राहत कार्य खोलने के लिए राज्य सरकार पर काफी भार पड़ा है। राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य खोले तो दूसरे कार्य रुक गए। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान का 33% इलाका ऐसा है जो कि रेगिस्तानी है। वहां पर न तो वाटर है, न भूमिगत जल है, न कोई नदियां हैं। वर्षा जरा सी कम हुई तो वहां पर उस सारे इलाके में अभाव हो जाता है। यह तो नतीजा रहा है वहां का। अगर दूसरे जिलों में मानसून फेल हो जाता है तो वहां भी अकाल की समस्या खड़ी हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के लिए कोई ऐसा हल ढूंढना होगा जो कि इस समस्या के लिए स्थायी हल हो सके। पिछले 6 साल से यह समस्या रही है। आखिर इसका मुस्तकिल उपाय हमारे पास क्या हो? जब तक हम मुस्तकिल हल नहीं ढूंढेंगे तब तक काफी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को शुरू करूं, जो केन्द्रीय सरकार का रवैया है। केन्द्रीय सरकार का जो रवैया राजस्थान को सहायता देने के बारे में रहा है, उसके बारे में हमें सोचना है। केन्द्र का कहना है कि यह राज्य का विषय है, यह राज्य सरकार को करना होगा। राज्य को करना है, लेकिन संविधान को हम देखें तो वहां जो स्टेट्स के बारे में दिया है उसमें यह कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मेरा यह मानना है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया होगा तो यह सोचा होगा, जब इतने बड़े प्रदेश में अकाल पड़ता है तो उसमें केन्द्र की भी जिम्मेदारी रहेगी। स्टेट्स हल नहीं कर पायेंगी। इसीलिए उन्होंने कोई स्टेट्स के लिए इस बारे में जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा अगर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार पर छोड़ देगी और राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में जिसकी अपनी सीमाएं हैं तो काफी कठिन होगा। तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह केन्द्र और जो दूसरे राज्य हैं, आंध्रा, महाराष्ट्र, तामिलनाड आदि, जहां कहीं न कहीं अकाल की समस्या बनी रहती है, अगर सभी प्रदेशों की सरकारें मिल कर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालेंगी तो केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए प्रावधान करना होगा। केन्द्र सरकार यह कह कर कि हमने तो रिपोर्ट में कर दिया है, इससे तो, उपाध्यक्ष महोदय, काम चलने वाला नहीं है। इसलिए यह भी निवेदन करूंगा, यह तो पहले रखा है कि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हमको अधिक धन प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम अकाल राहत के काम हाथ में ले सकें। अब वह कौन से काम हैं, जो हम ले सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर खेती के लिए मानसून पर डिपेण्ड रहना पड़ता है। कभी वहां पर मानसून फेल हो जाए तो आड़े वक्त में लोग कैसे जिन्दा रह सकते हैं वह हमको विचार करना है।

सबसे पहला मेरा सुझाव है कि वहां पर पशुधन के विकास के लिए काम करना होगा। पिछले अकाल पड़े हैं तो जानवरों को माइग्रेट करना पड़ा है पहले तो हमारे पशु सिन्ध के इलाके में भी चले जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान हो जाने से वहां नहीं जा सकते हैं। दूर दूर तक रास्ते में जाते हुये पशु मर भी जाते हैं। धीरे धीरे पशुधन सम्पदा का विनाश हो रहा है। इसके लिए हमें कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया, पशुधन के विकास के लिए भेड़ों के अस्पताल की व्यवस्था की गई है। कुछ नई किस्म की भेड़ें मंगाई गई हैं। कई प्रकार के काम हाथ में लेने को कहा है। एक बात उन्होंने सरसरी तौर पर कही है, वह है फोडर बैंक के बारे में। अगर हमने फोडर बैंक की स्थापना नहीं की तो पशुओं को माइग्रेट होना पड़ेगा। इस बारे में एक तो यह जवाब देते हैं कि फोडर बैंक बना कर काफी रुपया ब्लाक कर देंगे। चारा ऐसा होता है कि दो, तीन, साल में खराब हो जाता है। लेकिन हमें यह बातें भूल जानी होंगी। पता नहीं कब अकाल पड़ जाये। इसके लिए हमें साइण्टिफिक तरीका ढूंढना होगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह फोडर बैंक बनाने का प्रयत्न करे। तभी हम पशुओं को चारा उपलब्ध करा सकेंगे। हम पशुओं के लिए फोडर बैंक बना कर चारा रिजर्व करें। पानी के लिए जहां वाटर रिसोर्सेज एवेलेबल हैं, राज्य सरकार ने कुछ ट्यूब वेल्स बनाये हैं और भी तालाब बना कर पानी को प्रिजर्व करना होगा। चारा और पानी पशुओं के लिए करना है।

अब आता है सवाल कि वहां पर आदमियों के लिये क्या रोजगार उपलब्ध कराया जाय। जब पशुधन का विकास होगा तो स्वतः ही आदमियों को, लोगों को रोजगार मिलेगा, डेयरी के काम खुलेंगे, शीप एण्ड वूल–ऊन का उद्योग बढ़ेगा, इसके साथ साथ वहां दस्तकारी के काम हैं इलाके के अन्दर उनको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए तब जाकर आदमियों की रोजी की समस्या हल हो सकेगी। अभी हर साल यह समस्या आती है सामने कि लोगों को काम देना है, प्रोडक्टिव काम है या नहीं–यह सवाल आता है, अनप्रोडक्टिव काम शुरू करने पड़ते हैं जिनकी आलोचना बाद में जाकर होती है, यह काम व्यर्थ में वहां पर लिए गए। मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि इस पानी की व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है पीने के पानी की। रीजनल पाइप लाइन आपने कितने गांवों में डाली है। डेजर्ट एरिया में जहां तक ध्यान है, छः हजार गांव हैं जिनमें से 1400 गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था आप कर चुके हैं और फिफ्थ प्लान के एण्ड तक एक हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसके बाद 3600 गांव रह जायेंगे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस दिशा में कब तक कार्यवाही करेंगे? ठीक है, आपके पास धन का अभाव है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन इलाकों में जहां पर पीने के पानी की इतनी कठिनाई नहीं है और जहां पर पीने के पानी की योजनायें हाथ में ली जा रही हैं, उनको बन्द करके रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी के काम शुरू करने चाहिये। हमें पूर्ण रुपया उन इलाकों में लगा कर इस काम को हाथ में लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त एक आवश्यक काम की ओर सरकार को ओर ध्यान देना होगा, वह है, आपकी योजनाओं के काम उन जिलों में चल रहे हैं, उनमें आपको तेजी लानी होगी। उनमें तेजी लायेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार वहां पर मिलेगा। आगे आने वाले महीने कठिनाई के महीने होंगे, गर्मी के समय और कठिनाई का समय होगा। नया बजट लागू होने पर अप्रेल में जो ग्रान्ट मिलेगी वह सवा दस करोड़ वहां पर उपलब्ध हो जायेगा, और नये काम खोलने के लिए पैसा आ जायगा। उस रुपये से ये काम हाथ में ले सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसके लिए तुरन्त कार्यवाही करके अभी से अपनी योजनायें बना लें ताकि लोगों को वहां पर राहत मिल सके।

इसके साथ साथ एक काम पिछले अकाल राहत के समय हुआ था, जो लोग अपाहिज हैं, जो बूढ़े हैं, जो काम के लिए नहीं जा सकते-उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उन लोगों को जिस प्रकार से पिछले अकाल के समय आपने ग्रेचुइटी दी थी, रिलीफ दी थी, 20, 25, 30 रुपये महावार, वह आपकी तरफ से शुरू नहीं हुई है, जिसको शुरू करने के लिए...

श्री शिवचरण माथुर : शुरू हो गई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बड़ा अच्छा है। इसमें नहीं था। होता तो जिक्र करते।

श्री परसराम मदेरणा : अपाहिजों को शुरू कर दी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बड़ी अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए राज्य सरकार को बधाई दूंगा।

पिछले अकाल के अन्दर कभी कभी भ्रष्टाचार की बात सुनने में आती थी, शिकायत होती थी ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : काम होते थे।

श्री विजयसिंह : करेक्ट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : काम तो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : न रहे बांस न बजे बांसुरी। यानी भ्रष्टाचार कब होगा?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सिर्फ इस बात का द्योतक है, जिस स्केल के ऊपर काम पिछले अकाल के अन्दर हुए थे, उस स्केल के ऊपर काम हाथ में नहीं लिए गये हैं इसमें दो राय नहीं हो सकती...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किस स्केल पर लिये गये हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको मालूम है, तीन चार हजार आदमी माइग्रेट करके गये हैं। ऐसी बात कहते हैं, मैं उस इलाके से नहीं आता हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन जो लोगों से जानकारी प्राप्त की है, जो पढ़ा है, उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूं· · ·

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माइग्रेशन तो ऐसा है कि यहां के किसी आफिसर को नागालैंड ट्रान्सफर कर दिया जाय तो वह वहां जाने को तैयार नहीं होगा। तो गरीब आदमी माइग्रेट करके कहां जायगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माइग्रेशन तो आपके इलाके को नहीं करवा देना।

श्री दीपंकर : आपके इलाके में तो अकाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं राज्य सरकार से इस बात की गुजारिश करूंगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूनमचन्द विश्नोई की सदारत में एक कमेटी बनाई थी अकाल के कामों के लिए, उसकी रिपोर्ट को राज्य सरकार जरूर इम्प्लीमेंट करे, तब जाकर विश्नोई जी को अधिक संतोष हो सकेगा। ऐसा मानना है · · ·

श्री दीपंकर : विश्नोई जी का सवाल नहीं है, राजस्थान की व्यवस्था का सवाल है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं एक दूसरे मुद्दे के बारे में आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा और वह है अन्न उत्पादन के बारे में। पिछला साल, यह साल, जो साल गुजरा है, उसमें मानसून फेल हुआ और मोटे अनाज की जो फसल थी उसको काफी नुकसान हुआ, मानसून फेल होने की वजह से जो रकबा इस फसल के नीचे आता था, वह कम हुआ क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी। इस बात का जिक्र यहां पर किया गया। उसके अन्दर जो सबसे बड़ा संतोष का विषय है, जिसका जिक्र किया है राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, इतना होते हुए हमारा जो 31 लाख टन का उत्पादन था वह अब 42 लाख टन होने जा रहा है। मैं उसके लिए, जो लेट मानसून आया, उसके लिए भी मैं मानता हूं कि वह भी फायदेमन्द हुआ, लेकिन सरकार ने भी कुछ कदम उठाये हैं, जिनकी वजह से यह प्रगति हमारे सामने आयी। हमारे जो पुराने विकास कार्य हुए हैं, सिंचाई कार्य रहे हैं, और भी कार्य रहे हैं, उन सबका क्युमुलेटिव इफेक्ट है, जो स्थिति हमारे सामने आई, जो कि खुशी की, प्रसन्नता की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमने शार्ट टर्म लोन लोगों को अधिक दिये, शार्ट टर्म लोन में कहा कि पाच करोड़ रुपया था वह दस करोड़ रुपया हुआ, जो सेवा सहकारी समितियों के जरिये बांटा गया, उसमें 60 पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट फर्टीलाइजर का है। बहुत कोशिश की है, और भी स्कीम हाथ में ली हैं, नये नये बीज उपलब्ध कराये हैं, और नये कृषि के तरीके हो सकते हैं वह भी लोगों को दिये हैं, कीटनाशक दवाइयां भी लोगों को दी हैं—उन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यह है कि आपका कृषि उत्पादन बढ़ा है। लेकिन मैं इन सब बातों के बावजूद भी जो मानसून हमारे लिए फेवरेबल रहा है, उसको भी काफी हद तक रेस्पान्सिबल मानता हूं। इसके लिए अब

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हमको ऐसे क्या उपाय करने चाहिये, क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि बुरे समय में भी, आड़े अभाव के समय में भी हमारा कृषि का उत्पादन बराबर बना रहे, और एक सा बना रहे, ज्यादा फलक्चुएशन नहीं आये। इस दिशा में अब हमको कदम उठाने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, हमारे शासन की उपलब्धि है, क्योंकि शायद मेरा जहां तक ख्याल है, राजस्थान के अन्दर वर्ल्ड बैंक की पहली योजना आयी है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में तरह 2 की भ्रांतियां पैदा करते हैं। कहते हैं, लोग राजी नहीं होंगे खेतों को एकसा कराने के लिए। लेकिन राजस्थान के लिए इसका आगे और भी जाकर बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमने इसको बरबाद जाने दिया तो इसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा आपके जरिये कि लोगों में जो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, उनको यह बात समझानी चाहिए, इसके लिए ऐसी कोई एजेंसी कायम की जानी चाहिए, एक्सटेंसिव वर्क करने के लिए। इसके द्वारा जो लाभ मिलेगा, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उसके द्वारा लोगों को लाभ लेने के लिए आकर्षित करें क्योंकि कुछ लोग अभी सेबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि इससे हम पर कर्ज बढ़ जायगा, इसमें रेक्टेंगुलर खेत बनाने वाली बात है, और चीज बनाई जा रही है, वह हम अपने आप कर लेंगे। हम कर्ज क्यों लें, इस किस्म की भावना लोगों के अन्दर पैदा की जा रही है इससे भी राज्य सरकार को सचेष्ट रहना है। आपको इस दिशा में कार्यवाही करनी होगी। दूसरी बात आपकी ए. आर. सी. स्कीम्स हैं। हालांकि राजस्थान में स्कीम्स देरी से बनी हैं लेकिन ए. आर. सी. का सबसे बड़ा लाभ भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र और तामिल नाडू ने उठाया। हम देर से चेते। इसके अलावा इसके अन्दर लालफीताशाही है, उससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि ए. आर. सी. स्कीम्स को उठाकर रिजल्ट्स देखें। जिस साल में जिस इलाके में जितना रुपया बांटना था, उतना नहीं बांटा है, आपको अपने कर्मचारियों को टाइम बाऊंड प्रोग्राम देना चाहिए। अब झगड़ा क्या करते हैं कि ए. आर. सी. का रुपया भूमि विकास बैंकों के अन्दर पड़ा है। उनके स्टाफ के साथ कोआर्डिनेशन नहीं है। इस कारण मेरे जिले में आपने रुपया दिया बहुत जगह शार्टफाल है, लेकिन कोई रुचि नहीं लेता ए. आर. सी. के काम में। तो ऐसा फार्मूला इवाल्व करें कि जिन अधिकारियों के टार्गेट्स पूरे नहीं हुए हैं रुपए बांटने के, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ए. आर. सी. वाले कहते हैं कि हमने पहले ही बहुत योजनायें दी हैं, लेकिन उनका रुपया ही नहीं बांट पा रहे हैं। तो आपको मशीनरी को गीयर अप करने की दिशा में कार्यवाही करनी होगी। हमारे यहां स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की स्कीम चल रही है। योजनायें बहुत अच्छी हैं लेकिन आज की प्रशासनिक मशीनरी अपना दिमाग नहीं बना पाई, लोगों को लैंड डेवलपमेंट के जरिए और बांटा गया लेकिन सब्सिडी उनके अकाउंट्स में नहीं गई

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तो मेरा सुझाव है कि लोगों के अन्दर अगर इसका पूरा पैसा बंटे तो लोगों के अन्दर इस ऋण को लेने के लिए उत्साह पैदा होगा।

कृषि-उत्पादन के साथ ही लेवी का मामला जुड़ा हुआ है। पिछले साल हमने लेवी के अन्दर हम टार्गेट्स को पूरा नहीं कर पाए। इसके दो कारण थे। समय पर लेवी नीति की घोषणा नहीं की। पहले तो काश्तकारों से कह दिया कि आप सब गेहूं को बेच दें उसके बाद हमने लेवी लेने की घोषणा की। पहले सरकार ने फिगर्स पर विश्वास किया। जब फिगर्स ने धोखा दिया तब सरकार को निर्णय लेना पड़ा। तो आप लेवी किस रूप में वसूल करेंगे इसकी घोषणा आपको अभी से करनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स पर ग्रेड लेवी लगाई और एक एकड़ पर छोटे काश्तकार जो गेहूं पैदा करते हैं उसको आपको एग्जेम्प्ट करना होगा। आप जल्दी से जल्दी केन्द्रीय सरकार से बात करें कि लेवी की क्या कीमत होगी। किसानों के अन्दर इस बात से असंतोष है कि हमसे पिछले साल 105 रु. में लेवी ली और 136 रु. में सरकार ने बेचा। 31 रु. सरकार के हैंडलिंग चार्जेज आये। विरोधी पक्ष वाले भी कहते हैं कि सरकार ने 105 में ले लिया और 136 में ले बेचा। जबकि व्यापारी 7–8 में ही अपना काम चलाता है। उसके बावजूद यह आवश्यक है कि 36 रु. को कम करने की कोशिश करना चाहिए लेकिन शहर के लोगों को, मजदूरों को, हम व्यापारियों के आसरे नहीं छोड़ सकते। लेवी से हमें वापस नहीं जाना चाहिए। सरकार के हैंडलिंग व एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज 36 रु. हैं उसको कम करें लेकिन लेवी के पीछे नहीं जाना है और अच्छे तरीके से कार्यवाही करनी होगी तभी जाकर गरीब लोगों और मजदूरों को राहत पहुँचाई जा सकेगी।

अब रहा सवाल लेवी की कीमत बढ़ाने के बारे में। जिस तरह से फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ी डीजल की कीमत बढ़ी, बिजली की बढ़ी, इन सब का कम्बाइन्ड इफेक्ट हुआ कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया। काश्तकार आपसे बढ़ी कीमत की मांग करता है तो अनुचित बात नहीं है। हालांकि एक तरफ लोगों से कहते हैं कि लेवी मत दीजिए, आपको भाव पूरा नहीं मिल रहा है और शहरों में नारा लगाते हैं कि 10 किलो 12 किलो मिलना चाहिये लेकिन जनता भी समझ गई है, वह कोई बहकाने वाली बातों में नहीं आने वाली है। इस संबंध में आप केन्द्रीय सरकार से बात करें, उस पर दबाव डालें। अखबारों से तो ऐसा लगा कि लेवी प्राइस बढ़ाने के बारे में भारत सरकार रेलक्टंट है। लेकिन आपके दबाव डालने से यदि किसानों को 14–15 रु. प्रति क्विंटल अधिक मिल जाए तो उनका उत्पादन करने में जोश बना रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि लोग कामर्शियल क्राप्स की तरफ अपना दिमाग डाइवर्ट कर दें, उससे हमें काफी परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़ेगा।

कृषि उत्पादन से सहकारिता का मामला जुड़ा हुआ है। यह बताया गया है कि शार्ट टर्म क्रेडिट के जरिये हमने 10 करोड़ रुपये राज्य में बांटे। राजस्थान की आबादी है

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

...करोड़, गांव वालों की संख्या दो करोड़ तो होगी ही तो 5) रु. प्रति व्यक्ति आया। जाहिर है कि गांव का तबका सोसाइटीज का सदस्य नहीं। एफ्लुएंट सेक्शन को भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका रह गया है जो कि सहकारी समितियों का सदस्य नहीं है जिनको इससे लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए भी आपको प्रयत्न करने होंगे। आप एक्सटेन्शन आफिसर्स पंचायत समितियों में बैठे हैं, वे जाकर इस बात के लिए लोगों को मजबूर करें कि वे सदस्य बने इनके। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का रोल है वह भी निराशाजनक है। मुझे फिगर्स याद नहीं हैं लेकिन इतना जरूर है कि जो लोन एग्रीकल्चरल सैक्टर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए बांटा गया है, उसमें एक प्रतिशत राजस्थान को मिला है जबकि महाराष्ट्र को 13, तामिलनाडू को 11, वहीं पर 18 प्रतिशत भी है लेकिन राजस्थान को एक प्रतिशत ही। मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों को नहीं बल्कि अपनी मशीनरी को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। आप एक स्पेशल मशीनरी इन्वाल्व करें जिससे लोगों को अधिक से अधिक कर्जा मिल सके। इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमें आशा थी कि ग्राम लोगों, काश्तकारों को, मजदूरों को, रिक्शा चालकों को लाभ मिलेगा लेकिन एक प्रतिशत राजस्थान में बांटा, यह खेदजनक स्थिति है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा और साथ में कृषि मंत्री जी से खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह ऐसी योजनायें बनायें जिससे कि नेशनलाइज बैंकस् से हमें ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल सके जिससे कि हमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रोडक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। प्रोडक्शन के लिये दो चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं पहली इरिगेशन और दूसरी पॉवर। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमने पढ़ा कि राज्य में सिंचाई को प्राथमिकता दी जायेगी और करीब 27 लाख हैक्टर जमीन राजस्थान में सिंचित होगी। इसमें दोनों ही बातें हैं। सिंचाई के तरीके जिसमें कि केनाल से और ट्यूब वैल्स और कुओं से सिंचाई होगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह 27 लाख हैक्टर जमीन ज्यादा नहीं है हमारे यहां पर खेती के लिये 6 करोड़ एकड़ जमीन खेती के योग्य है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : साढ़े छः करोड़ एकड़ जमीन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां साढ़े 6 करोड़ एकड़ रकबा खेती योग्य है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह 27 लाख हैक्टर कितना पर्सेन्ट होती है कुल जमीन का?

श्री प्रद्युम्नसिंह यह जाकर आपके पड़ेगा 16 प्रतिशत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आधा पर्सेन्ट आता है। यह 27 लाख हैक्टर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 27 लाख एकड़ नहीं 27 लाख हैक्टर है जो कि 15 या 16 परसेन्ट होता है कल्टीवेबल एरिया। अब जो बाकी रहता है उसके लिये हमें कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

यह हवा, पानी और एअर पर किसी का कब्जा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जल, पानी और हवा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हवा मैंने कह दिया आप हवा में मत उड़िये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है। अब जहां तक वर्षा का सवाल है वह हमारे हिन्दुस्तान में जो वर्षा होती है उसकी 1.23 पर्सेन्ट होती है। यह तो हमारे राजस्थान के बड़े एरिया को देखते हुए बहुत ही कम वर्षा है, अब, उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी की कमी है तो हमें सिंचाई के लिये हमारी सीमा को लांघना होगा। हमें दूसरी स्टेट से पानी लाना होगा। हमें इसके लिये चाहे नर्मदा से हो, चाहे गंगा या यमुना से हो, पानी लाना पड़ेगा। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी लायेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा अन्यथा इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कावेरी से पानी आ रहा है ना।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कावेरी से तो पानी अलवर में आपके घर में आ रहा है।

इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि आज जो बड़ी योजनायें है उनको पूरा होने में काफी समय लगता है। इसलिये छोटी योजनाओं का सर्वे कार्य हाथ में लिया जाना चाहिये। इसके अलावा वरसात में जो पानी बहता है उसको नदियों में डालने की व्यवस्था करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है लघु सिंचाई योजनाओं को बना कर उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे कराकर उन्हें चालू की जाय। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि बड़ी योजनाओं से उत्पादन धीरे-धीरे हमारे सामने आयेगा क्योंकि वह आज वित्तीय अभाव से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये हमें उत्पादन जल्दी मिले उसके लिये लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी हो जाता है। आज राजस्थान नहर के बारे में हम इतनी आशायें बांधे हुए हैं हालांकि उससे हमें काफी लाभ मिलने वाला है लेकिन वह योजना इतनी धीरे गति से चल रही है कि उसको पूरा होने में काफी समय लगेगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि प्रतिवर्ष 50 हजार एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल से इर्रिगेटेड होगी और उसके लिये हमें नया कमान्ड एरिया तैयार करना होगा। तो यह तो कम है। इसको पूरा होने में समय लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम से कम तीस साल लगेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब तीस या चालीस साल लगेंगे या कितने लगेंगे यह तो भगवान जाने।

श्री रामकिशन : यह आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या निन्दा कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब वह सुखाड़ियाजी के जमाने की बात नहीं है। अब आवाज बदल गयी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : शायद रामानन्दजी की समझ में आज उल्टा आ रहा है।

श्री केदारनाथ : क्या दोस्ती की सूझ नजर नहीं आ रही है अभी तक।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से राज्य सरकार यह मांग कर रही है। केन्द्रीय सरकार से कि यह राजस्थान नहर को कम्प्लीट कराने का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। हमें इसके लिये पूर्ण जोर से मांग करनी चाहिये। यह मामला कई बार सदन में उठाया गया था कि इस प्रोजेक्ट को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक वह कैनाल बडी मन्दगति से चल रही है। मैं विरोधीपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग मिल कर इस बारे में प्रयास करें कि यह योजना केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। दूसरी स्टेट्स की कुछ बड़ी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ली है। अगर केन्द्रीय सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेकर जल्दी पूरा कर देती है तो हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरा भरा हो जायगा। आज जो हमारे यहां पर तरह तरह की बात चल रही है राजस्थान कैनाल को लेकर अगर वह नहर पूरी हो जाती है तो हमारे राजस्थान के एक भाग में बहुत ही रिसोर्सेज नजर आने लगेंगे। आज हमारे यहां पर ईस्ट और वेस्ट राजस्थान को लेकर जो झगड़ा खड़ा हो गया है वह काफी मात्रा में हल हो जायेगा। लेकिन इसके लिये केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये जिससे कि यह नहर जल्दी पूरी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा बिजली के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि इस चालू वर्ष में करीब 84 हजार कुओं को बिजली दी जावेगी।

श्री रामकिशन : आप आंकड़े देकर क्या बताना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आंकड़े देकर रामकिशन जी की तरह भरमाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पण्डितजी की तरह झूठमूठ आंकड़े नहीं दे रहा हूं। वह तो जो भी मुंह में आये वह आंकड़े कह देते हैं चाहे वह गलत हों या सही।

एक माननीय सदस्य : शार्ट एण्ड स्वीट आंकड़े दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजली का विस्तार हमारे यहां पर हो रहा है उसमें हमें गांवों को बिजली पहुंचाने की जरूरत है और जिस रफ्तार से हमारे यहां पर बिजली दी जा रही है उसमें काफी समय लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें तो 50 वर्ष लगेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस ओर कदम द्रुत गति से उठाने की जरूरत है। आज इसके अलावा जो हमारे यहां पर विद्युत् बोर्ड है वह भी घाटे में जा रहा है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

वह गांवों में पूरी तरह से विद्युतिकरण कर सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें नेशनलाइज बैंकों से पैसा लेकर ए.आर.सी. से अधिक से अधिक स्कीम प्राप्त करना चाहिये। ऐसा करने से हमारे राजस्थान में ग्रामीण विद्युतिकरण जल्दी हो सकेगा जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भी स्थगन प्रस्ताव के समय आर.ए.पी.पी. के बारे में चर्चा चली थी वैसे अखबारों में भी हमने पढ़ा था कि राजस्थान से बिजली दूसरे प्रान्तों को दी जायेगी। हम लोगों को जैसा बताया गया, अखबारों में भी पढ़ा, उससे यह लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, आर.ए.पी.पी. द्वारा जो बिजली जनरेट होती है उसके लिये हम यह समझ बैठे थे कि यह बिजली राजस्थान के घरों में ही आवेगी और जितनी इससे बिजली उत्पादित हो सकती है, उस पर हमारा ही पूर्ण अधिकार है। लेकिन अखबारों में जो हमने पढ़ा है, केन्द्रीय सरकार का यह मानना है कि यहां पर जो बिजली पैदा होती है उस पर राजस्थान सरकार का एकाधिकार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो बिजली यहां पैदा होती है दूसरे प्रान्तों को वह देना जरूरी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है इस पर सोचना होगा।

राजस्थान में जो उद्योगपति उद्योग धन्धे लगाने आ रहे थे उनको पूर्वी जिलों में बिजली देने की बात की जा रही थी। उनको स्पेशल प्लान बना कर बिजली दी जावेगी, उसका क्या हुआ? मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के इस मूव का डट कर विरोध करना चाहिये। वरना राजस्थान का एकाधिकार खत्म हो गया तो राजस्थान को उसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

यह सुना जा रहा है कि 20 परसेंट, 35 पर्सेन्ट बिजली दूसरे प्रान्तों को दी जावेगी, सरप्लस समझी जा रही थी, वह डेफिसिट में आ जावेगी, इसका उद्योगों के उत्पादन और खास करके कृषि के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

राजस्थान में थर्मल पावर स्टेशन का प्रावधान रखना चाहिये। देश में चार बड़े थर्मल पावर स्टेशन बनने जा रहे हैं। पहले यह सुना था कि राजस्थान को कोटा में एक थर्मल पावर स्टेशन मिलने वाला है।

एक माननीय सदस्य : निराश तो हुए नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक निराशा ही निराशा है।

बीकानेर में थर्मल पावर स्टेशन का काम हाथ में ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के ऊपर जोर डालना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बिजली देने के मामले में प्रायोरिटी बरती जाय। आज जिस प्रकार बिजली लोगों को दे रहे हैं, उसके लिये मेरा कहना है कि यह तो केवल मालदार लोग ही ले पायेंगे। 850 रुपया खम्भे के लगा दिये। मिनिमम 1700 रुपया कर दिया। कोई काम नहीं हुआ। कोई आर्डर्स नहीं पहुंचे। 1300 रुपया सिक्योरिटी लगा रखी है। 1700 रुपया मिनिमम होर्स पावर की मोटर के हैं चार्जेज। इक्विपमैन्ट के अधिक दाम हैं। गरीब आदमी के लिये बिजली लेना ही मुश्किल है। लोगों को आसानी से बिजली मिल सके इसके लिये एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दें। जिस प्रकार से वेस्पा स्कूटर के लिये लाइन लगाना पड़ती है उसी प्रकार बिजली के लिये लाइन लगानी पड़े तो वह मिलने वाली नहीं है। इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी चाहे एप्लीकेशन कब आये। प्रायोरिटी की लिस्ट बना लें। उसके लिये सुझाव यह है कि आप इस तौर तरीके को बदलिये और नई नीति बनाइये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि नेशनेलाइज्ड बैंकों की सहायता से नया बैंक तैयार करने जा रहे हैं जिससे उनका कम्प्लीट इलैक्ट्रिफिकेशन हो सके। इसके लिये अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात सामने आयी है वह यह है कि क्या नेशनेलाइज्ड बैंक राजस्थान के साथ कोआपरेट करेंगे। राजस्थान के साथ उनका व्यवहार असहयोग पूर्ण है, सहयोग नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल राजस्थान में उद्योग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले साल 11 से बढ़ कर 22 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आर. आई. एम. डी. सी. को भी नये उद्योग लगाने का भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन मिला है। इतने उद्योग होते हुए भी बहुत कम नजर आते हैं। पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने एक भी बड़ा उद्योग राजस्थान में नहीं लगाया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हमारे लिये एक ही बात की संभावना अधिक है वह है कि मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज राजस्थान में अधिक लगे। मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज पर आऊं उससे पहले बताना चाहता हूं कि राजस्थान में किस 2 तरह के उद्योग लग सकते हैं। इसका सर्वे हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में उद्योग के लिये उद्योगपतियों ने केन्द्रीय सरकार को एप्लाई किया तो भारत सरकार ने कह दिया कि नये उद्योग नहीं लगा सकते हैं। मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगाना चाहें तो बुला सकते हैं। रॉकफॉस्फेट की क्या स्थिति हो रही है और आगे क्या हाल होगा। राजस्थान सरकार ने शुरू में सोचा था कि रॉकफॉस्फेट के जरिये राज्य सरकार को बड़ी आमदनी का जरिया मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब खनिज मंत्रीजी थे तब भारत सरकार से मांग की थी कि रॉकफॉस्फेट का काम केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। उनके द्वारा मना कर देने पर भेदभाव पूर्ण नीति केन्द्रीय सरकार की ओर से राजस्थान सरकार के साथ प्रारम्भ हुई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि रॉकफॉस्फेट हमारे यहां पैदा होता है। 550 रुपया पर टन के करीब इसका भाव है। केन्द्रीय सरकार विदेशों से रॉकफॉस्फेट आयात करती है 750 रुपया प्रतिटन के हिसाब से। हमारे यहां के रॉकफॉस्फेट के लिए यह कह कर टाल दिया जाता है कि आपका रॉकफॉस्फेट कुछ इन्फीरियर क्वालिटी का है। इसलिये हमको आयात करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सुपर क्वालिटी का रॉकफॉस्फेट भी निकलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दवाब डालें कि रॉकफॉस्फेट का जो आयात किया जाता है उसको तुरन्त बन्द किया जाय। वरना राजस्थान की आमदनी का जो जरिया बना था वह रुक जावेगा। एक एक पैसे का राजस्थान के लिये बहुत बड़ा महत्व है। फ्लोराइट के भंडार हैं। फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स की भी बात है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पेश नहीं हुई। इस दिशा में कार्यवाही करना है।

राजस्थान में बेराइट के भंडार हैं। इसके लिये एक फैक्टरी लगा सकते हैं जिससे काफी उद्योग देश में फैल सकते हैं। सीमेन्ट उद्योग की भी हमारे यहां बड़ी संभावना है। प्रचुर मात्रा में यहां पर पत्थर उपलब्ध है। रेलों के आवागमन की कमी के कारण उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इसके लिए हमें मुख्य मंत्रीजी ने जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, भारत के प्रधान मंत्री को नोट दिया जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की है कि इस इलाके के अन्दर यहां पर रेल्वे लाइन बिछाई जावे तब जाकर सीमेंट उद्योग डवलप होगा।

इसके साथ साथ हमारी जो आर. आई.एम.डी.सी., राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनिरल डवलपमेंट कार्पोरेशन है, इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है। पुनर्गठन इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसके पास फण्ड की बहुत कमी है। इसके पास फण्ड नहीं होने की वजह से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वह प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सके। तो इसलिए दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स चाहे वह एल. आई. सी. हो, यूनिट ट्रस्ट हों हमको आर. आई. एम. डी. सी. के लिए फण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आर. आई. एम. डी. सी. से उम्मीद बनी थी वह पूरी नहीं हो सकेगी। उसके लिए वह उचित कार्यवाही आगे नहीं कर सकेंगे और नए उद्योगों को अपने हाथ के अन्दर नहीं ले सकेंगे।

इसके अलावा एक छोटा सा मेरा सुझाव और है कि हमारे छोटे उद्योगपतियों को जो हम सुविधा देते हैं राजस्थान के अन्दर, इसके लिए हमको कोई सिस्टम इवाल्व करना चाहिए कि हम उनको एक जगह से सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए, वह दे सकें। उनको एक जगह से सुविधा मिले, उनको पानी की, बिजली की, जमीन की, कर्जे की। उनको अलग अलग जगह भागना पड़ता है वह नहीं भागना पडेगा इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसी कोई चीज तैयार की जावे कि जिससे लोग आकर्षित हों और

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लोगों की छोटे उद्योगपतियों की कठिनाई दूर हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने उठाया इस साल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे मैं कहूंगा, हमने आवासीय भूखण्ड लोगों को बांटे हैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है राज्य सरकार की, एक थोड़े समय के अन्दर जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने शायद दो दिसम्बर को इस प्रकार की घोषणा की कि 26 जनवरी तक हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे । तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं । टाईम बाउण्ड प्रोग्राम के अन्दर उन्होंने इस कार्य को पूरा करवाया । प्रशासन ने भी जिस प्रकार की तत्परता दिखाई, मेरे जिले के अन्दर जिस प्रकार कलेक्टर, एस.डी.ओ. और तहसीलदार भाग भाग करके इस काम को कर रहे थे, पूरा स्टाफ इस काम में जुट गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें यही संतोष नहीं कर लेना चाहिए । आगे उनके मकान बनाने की व्यवस्था कैसे करने जा रहे हैं । हमने हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी बनाई जो चार हजार रुपये का ऋण देगी । चार हजार के ऋण के लिए शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो चार सौ रुपये चाहिए उसमें से 300) रुपये की शेयर केपिटल सरकार देने जा रही है । बहुत प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन उसकी गति है काम की वह बहुत धीमी है । हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी की उसके अन्दर भी हमको तेजी लानी होगी । मेरी बात हुई थी उनके अध्यक्ष महोदय से उन्होंने मुझे बताया कि एल.आई.सी. से उन्होंने बात की है, लेकिन एल.आई.सी. का जो रुख है वह कोई सहानुभूतिपूर्ण रूख नहीं है । इसलिए, पैसे के लिए काफी दिक्कत पेश आ सकती है । इसके लिए अच्छा कार्य हाथ में लिया है, इसके लिए भी किसी तरह से मकान बन जायें लोगों के लिए इसके लिए भी हमको ध्यान रखना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की राजस्थान के अन्दर है । जो हमारे आदिवासी लोग खास कर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जिले का प्रतापगढ़, उदयपुर जिले की बैल्ट के अन्दर जो आदिवासी भाई बसे हुए हैं उनके लिए आपने कुछ कार्य हाथ में लिए हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्यायें हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों में काफी लोग अधिक संख्या में ऐसे हैं जिनके पास औसत जमीन डेढ एकड़ सवा एकड़ से अधिक किसी आदमी के पास नहीं है । हालांकि सरकार ने कानून बना दिया है कि बेनामी ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन उनकी जमीनें बेनामी ट्रांसफर हो गई हैं । उनके लिए कर्जे की समस्या है । उनको इन समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य सरकार को एक कोर्पोरेशन का गठन करना चाहिए, और जो बेनामी ट्रांसफर हो गए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए, और राज्य सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए । जिन लोगों की जमीनें हड़प ली गई हैं वे जमीनें वापिस दी जावें ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर योजना का भी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जिक्र किया । इस साल की जो हमारी योजना मुकर्रर की गई है वह 105 करोड़ की मंजूर हुई है । पिछली साल की हमारी योजना थी वह थी करीब 90 करोड़ की । 79.8 करोड़······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसी मुझे जानकारी मिली है बड़ी खुशी की बात है कि वह योजना जाकर पिछले साल की करीब 100 करोड़ के आसपास जाकर खत्म हो रही है । खुशी की बात है । आपने अपने रिसोर्सेज से राज्य की इस योजना पर सालाना योजना पर अधिक खर्च किया और यह इसी बात से जाहिर होता है कि आपने नए कर लगाए तो वह कर भी उन लोगों पर लगाए जो सोसायटी का एक रिच सेक्शन है । रिच पीजेंट, मालदार तबका है किसानों का उन पर टैक्स लगाकर, बढ़ा करके आपने पैसा इकट्ठा किया है ।····

श्री रामानन्द अग्रवाल : गरीबों पर भी लगाए हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने इस सालाना योजना को पूरा किया है । इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं । बढ़ती हुई कीमतों पर जो पहले 80 करोड़ रुपये खर्च करने की बात थी उसको पूरा करके कर बढ़ा करके, बढ़ी हुई कीमतों पर, चीजों के दाम बढ़ गए, उसके उपरान्त टार्गेट अचीव किया, वह अचीव पूरा नहीं होता । बढ़ी हुई कीमतों पर ध्यान देकर अधिक खर्चा किया और काम को पूरा किया यह सराहनीय कदम है । इसी प्रकार 105 करोड़ की सालाना योजना···

(व्यवधान)

इसके लिए आपने बनाई है उसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या बनाई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : योजना ।

श्री शिवचरण माथुर : 105 करोड़ की सालाना योजना ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब मैं आपके सामने जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर मजदूरों के लिए यहां पर (विराम)··

श्री रामकिशन : सहानुभूति प्रकट की है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की है । पंडितजी ने शायद अभी इसे पढ़ा नहीं है, मेरे खयाल से आज पढ़ेंगे । तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने उनकी मिनिमम मजदूरी की घोषणा कर दी यह सराहनीय कदम है । एक मेरा सुझाव है कि आज बहुत से मजदूर काम करते हुए दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं उनके कम्पन्सेशन के बारे में आप क्या करना चाहते हैं । एक्ट तो हैं । वर्क्समैन कम्पन्सेशन एक्ट इज देयर । इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुआवजे की दर बहुत कम है । तो इसके लिए आगे कुछ मुआवजे की दर को बढ़ाने के लिए आपको इस दिशा में सोचना होगा । जो यूनियन्स के लीडर्स जैसे हमारे आचार्यजी हैं उनसे बात करके आपको कम्पन्सेशन की दरों को···

श्री रामानन्द अग्रवाल : आचार्यजी आपके लीडर हैं क्या ? यह तो इन्टक के खिलाफ लड़ रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गिरधारीलाल जी व्यास उधर बैठे हैं वे उनके नेता हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी लेबर लोगों को, वर्कमैन कम्पन्सेशन का आपका जो एक्ट हैं हमको इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर के अन्दर मैं दो चीजों के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं जिसके बारे में इस अभिभाषण के अन्दर आपने कोई जिक्र नहीं किया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गरीबों को आपने राजस्थान के अन्दर न्याय सुलभ करवाया। पचास नए मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की तो आपने नियुक्ति कर दी, नई अदालतें खोल दीं। उनकी जहां 2 आवश्यकता थी, दूर पड़ते थे वह सब काम आपने किया। बहुत खुशी की बात है। तो इसके अन्दर एक सबसे बड़ी हम लोगों की बहुत समय से काफी बड़े तबके की मांग है कि जो ठीक वीकर सोसायटी का है उनको फ्री लीगल एड की दिशा में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

मैं कहता हूं कि राजस्थान में सरकार ने बहुत से कामों में पहल की है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वीकर सेक्शन आफ सोसायटी को फ्री लीगल एड देने की दिशा में भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आंच की भी कह दें। चीपर जस्टिस।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा। एक बात और मैं शिक्षा मन्त्री जी की तारीफ करने से रह गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्होंने इशारा किया था आपको अभी।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी पधारे थे तब आपने नोटिस लिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब मंत्रियों की प्रशंसा करेंगे, अभी फाइनेन्स मन्त्रीजी भी हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान के अन्दर इस साल दो महत्वपूर्ण काम शिक्षा विभाग ने किए हैं। एक तो वोकेशनल कोर्स, यह अच्छा प्रयास है। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जो आज हमारे पढे-लिखे लड़कों के अन्दर बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है इसमें यह एक महत्वपूर्ण काम है। इसके अन्तर्गत कई काम शुरू किए हैं, टेलरिंग का काम शुरू किया है, मोटर मैकेनिक का काम, स्कूटर का काम आदि कई काम शुरू किये गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वाइस चान्सलर की नियुक्ति की, यह एक बहुत बड़ी बात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बड़ी गलती की, आचार्य जी को नहीं बताया। मैं इस विषय में कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को दो काम और हाथ में लेने चाहिए। इससे बेरोजगारी की समस्या को रोक सकेंगे। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद का जो प्रस्ताव किया है उसको पारित करेंगे।

एक माननीय सदस्य : निर्विरोध रूप से।

श्री मोहनराज (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए जहां आशा की किरण छिड़की है और यह बताया है कि 73–74 में हमारे राज्य की कुल आय 826 करोड़ रुपये आंकी गई जो पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय 281 से 304 वार्षिक हुई इसमें 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हमें उनकी इस बात से भी सहमति है कि राजस्थान में इस वक्त एक बहुत बड़े भूभाग पर अभाव और अकाल की स्थिति व्याप्त है और एक ऐसा मौका राजस्थान के सामने आया है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में अकाल और अभाव की स्थिति जीवित है और जो वित्तीय साधन इस प्राकृतिक प्रकोप का मुकाबला करने के लिए जुटाये गये हैं, उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इस वर्ष की हालत है उसमें राज्य सरकार के अनुसार 74–75 के वर्ष में 21 करोड़ अकाल और अभाव की स्थिति से निपटने के लिये प्राप्त हो रहे हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो भयंकर हालत है गांवों में उसको देखते हुए यह राशि बहुत ही नगण्य है और हमें इस ओर अधिक से अधिक साधन जुटाने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा।

दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमको बताई है वह जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है और हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उसमें 105 करोड़ 50 लाख उस एक वर्षीय योजना में खर्च किए जायेंगे। और उसमें भी दो-तिहाई हिस्सा सिंचाई, विद्युत और कृषि कार्यों के विकास पर खर्च किया जायगा। मैं समझता हूँ राजस्थान की बहुत बड़ी आवश्यकता जो है, हमारे विकास को आगे बढ़ाने के लिये, उस ओर कदम वह बढ़ायेंगे और विकास के पथ पर हम अग्रसर हो सकेंगे।

अब डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जो कार्य चलाने का उल्लेख किया गया है मैं सोचता हूँ वह भी हमारे राजस्थान के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है सीलिंग कानून की शीघ्र ही क्रियान्विति करके नियमन के जो मामले हैं, और भूमिहीनों को भूमि आवंटन की बात को एक अभियान के रूप में लागू करने की बात कही गयी है। मैं समझता हूँ इसे अभियान के बतौर लागू किया गया तो हमको बहुत बड़ी सफलता मिल सकेगी और छोटे काश्तकार को भूमि प्राप्त होने से वे लाभान्वित हो सकेंगे।

दूसरी बात है, जो बताई गई है शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है। ताकि वह शिक्षा को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सुझाव देवें। मैं सोचता हूँ आज जो छात्रों में और हमारे में असन्तोष शिक्षा जगत में पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों दोनों में ही व्याप्त है, यह समिति ठीक और व्यावहारिक उपाय सुझायेगी तो इस दिशा में बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी।

इससे भी उपयोगी बात जो राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं गई है कि मुख्य मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय

(श्री मोहनराज)

कमेटी बनायी गई जो राजस्थान की विकास योजनाओं में होने वाले खर्चों का जायजा लेगी और उपयोगी सुझाव देगी। मैं सोचता हूँ आज जो असन्तुलन खर्च में हो रहा है उस पर इससे अंकुश लग पायगा, और कभी-कभी विकास में जो बाधा पड़ जाती है वह दूर हो सकेगी। ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो मैंने आपके सामने रखें हैं।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में राजस्थान के सर्वांगीण विकास हेतु जो महत्वपूर्ण योजनाएं बताई हैं वे राजस्थान नहर और चम्बल की योजनाएं हैं। उस पर लाखों करोड़ों का प्रावधान आगामी योजनाओं में रखा गया है और जिसके लिए बाहरी मदद भी हमको बड़ी मात्रा में मिलने की संभावना है मैं सोचता हूँ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे राजस्थान की आगे आने वाली तस्वीर उभरती है वह आशापूर्ण है और निराश होने की कोई बात नहीं है।

अब मैं बहुत ही संक्षेप में यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान में इस अभाव की स्थिति से निपटने के लिए क्या कारगर-कदम और उठाये जाने चाहिए। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है, इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, पीने के लिए पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, खाने के लिये अनाज की व्यवस्था करनी होगी और मवेशियों के लिए घास वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस वक्त जो साधन उपलब्ध कराये गये हैं वह इस समस्या के भयंकर रूप को देखते हुए नगण्य है। मैं अब उस इलाके की बात करता हूं, अपने इलाके की, तो जो भी आज हम काम कर पाये मेरे उस बाली क्षेत्र में तो आदिवासी इलाके में, उसकी गम्भीरता को देखते हुए जहां वर्षा का औसत पहले 30 इंच था, अब इस वर्ष 3 इंच रह गया है, सरकार ने, मैं अकाल राहत मन्त्रीजी का आभारी हूँ कि उन्होंने भी माना साही योजना के अन्तर्गत एक सड़क का निर्माण करके 500 आदिवासियों को काम पर लगाया। और कोई दूसरे काम उस समय योजना के अन्तर्गत चल नहीं रहे थे. लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह 500 मजदूर जो आज से तीन माह पूर्व लगे हुए थे उनको गत 31 दिसम्बर से ही काम पर से छुट्टी दे दी गई है और आज तक उनको काम पर नहीं लगाया गया है। आज डेढ़ महिने से अधिक का समय हो गया है और जिन लोगों को कठिन समय पर काम दिया था आज वे काम पर नहीं रहे हैं, मैंने इसकी सूचना तार द्वारा राज्य सरकार को दी है कि इन मजदूरों के पास दूसरा काम होना चाहिए, और काम का सुझाव भी मैंने दिया है कि जिस सड़क पर उनको लगाया गया था वह सड़क अधूरी रह जायगी जब तक कि नायना की सड़क से नहीं जोड़ा जायगा। मैं सोचता हूं कि अधूरे काम को पूरा करने के लिए बेकार आदिवासी जो बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं उनको काम पर लगाने की ओर अग्रसर होंगे। जब मैं यह बात कह रहा हूं कि अकाल राहत के अन्तर्गत इन लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा तो साथ में मैं यह सोचता हूं कि राज्य सरकार

(श्री मोहनराज)

जरूर यह चाहती है कि जो योजना के अन्तर्गत बहुत बड़े बड़े काम हाथ में ले रखे हैं उन पर मजदूर जायं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं और हमारे इन लोगों में इस तरह की बात है, राजस्थान के पश्चिमी इलाके के खास तौर से जालौर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही है यह जो जिले हैं यहां के लोग हैं उनमें घर में जो 1–2 लोग समर्थ होते हैं वह मवेशियों को लेकर मालवा की ओर कूच कर जाते हैं, लेकिन, घरों पर एक-दो आदमी ऐसे छोड़ जाते हैं जो बूढ़े हैं बच्चे हैं उन लोगों को सम्हालने वाले होते हैं। और जो बूढ़ी मवेशी होती हैं उनको भी वे घरों पर ही सम्भालते हैं। ऐसी हालत में इस तरह के बैठे हुए मजदूरों को अगर राजस्थान कैनाल में भेजना चाहते हैं या दूर की किसी योजना पर भेजना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है। उन लोगों के पास घर में बैठ कर अपने भूखे माता-पिता को लूली-लंगड़ी मवेशी की सेवा करने और छोटे बच्चों के रख रखाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है चाहे उनको भूखों मरना पड़े। ऐसी स्थिति में इन सारी परिस्थितियों पर विचार करके हमारे इलाके के लिए यह बहुत जरूरी मैं सोचता हूं कि 10–12–15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर कुछ ऐसे काम खोलें जिससे ऐसे बहुत ही जरूरतमन्द लोग हैं जिनको किसी और तरह का काम-धन्धा नहीं है उन लोगों को काम दिलाया जा सके। मैं सोचता हूं कि हमारे अकाल राहत मंत्रीजी इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे कि जिससे अकाल के समय उन लोगों को रोटी और रोजगार मिल सके। आखिरकार आदमी काम करना चाहता है, वह काम मांगता है और अगर काम नहीं मिलता है तो जो आदमी भूखा रहता है वह दो ही काम करेगा या तो चोरी करे या डाका डाले या भीख मांग ले, लेकिन भीख मांगना वहां का आदमी गवारा नहीं करता है। वह महनती लोग हैं और वह काम करना चाहते हैं, महनत करके रोटी उपार्जित करना चाहते हैं अगर इस बात का उनको मौका नहीं दिया जाता है तो मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है अकाल राहत का तो मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य ध्यान देकर इस कार्य को एक अच्छे ढंग से चलाया जायगा ताकि ज्यादे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

रही पीने के पानी की बात तो पीने के पानी का मामला जरूर आवश्यक है। इसको प्राथमिकता दी जाय और इसको मुहैया किया जाय। जहां कहीं भी आवश्यकता है राज्य सरकार ने दूर के गांवों में पीने के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था की है टैंकर लगाकर। जवाई बान्ध से दूर के गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां आम तौर पर अकाल पड़ता रहता है और पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप धारण करती है वहां जल-प्रदाय विभाग से मैं आशा करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को लागू करने की तजबीज करें। ऐसे क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक धनराशि आवंटित करे ताकि हमेशा के लिए वहां पर पीने के पानी की समस्या का निराकरण हो सके।

(श्री मोहनराज)

इसके अलावा ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि हम सिंचाई को प्राथमिकता न देकर पीने के पानी को प्राथमिकता देते हैं वहां कई बार बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। अभी अभी हमारे वहां पर 2—3 गांवों के अन्दर इस तरह के छोटे बान्धों से पानी लाकर पीने के लिए दिया जाता है। मुझे याद है कि सादड़ी में पिछले वर्ष सादड़ी बान्ध से मन्डारा गांव के अन्दर नहर से पानी लाकर पीने को पानी मुहैया किया गया। अब की बार मैंने दो-तीन बार कहा कि इस गांव को उस बान्ध से पानी पिलाने की तजवीज करें...

(2.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

सादड़ी का जो बांध है उसके साथ भूतपूर्व जोधपुर नरेश का बगीचा आया हुआ है जिसमें आम के पेड़ हैं और शहतूत के पेड़ हैं। उन पेड़ों की रक्षा के लिए 18 फीट पानी रिजर्व रखा गया है। उस गांव के हमारे गरीब काश्तकारों की फसलों को नहीं दिया जाय, पीने के पानी के लिए गांव तरसते रहें और वहां पर उनको एक विशेष रियायत दी जाय कि उनके लिए 18 फीट पानी रिजर्व रखा जाय कुछ पेड़ों के खातिर जिनकी छाया में बैठकर वे ऐशो-आराम करें तो मैं सोचता हूं यह बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के विपरीत बात होती है। उस बगीचे के खातिर पानी रिजर्व रखा जाता है अकाल में तो वह एक अमानवीय कार्य होगा। इसलिए मैं सोचता हूं क उस पानी को उन गरीब लोगों को जो आस पास के गांवों में पानी के लिए तरस रहे हैं उनके लिए मुहैया किया जाय और एक व्यक्ति की शान-शौकत के खातिर उस पानी का अपव्यय नहीं किया जाय।

दूसरी बात रही घास के बारे में। अकाल में मवेशियों को घास देना पड़ेगा और उसके लिए जो भी जहां पर भी घास उपलब्ध हो वहां पर डिपो खोले जायं। पाली जिले के अन्दर कुछ स्थानों पर डिपो खोले गये, लेकिन वहां पर इतनी अधिक मांग है कि ज्योंहि घास का ट्रक भरकर आता है तो 2-3 घन्टों में ही सारा घास उठ जाता है। एक तहसील के अन्दर एक जगह पाली इलाके में घास का डिपो खोलने के आदेश हुए हैं। अभी भी एक या दो स्थानों पर खोलने के आदेश आये हैं, लेकिन वहां पर 40—40 मील की दूरी से बैलगाड़ी में कई काश्तकार अपने मवेशियों को जिन्दा रखने के लिए घास लाने के लिए उस केन्द्र पर जाते हैं और वापिस घास लेकर दो दिन में पहुंचते है तो इतनी घास नहीं होती है बैलगाड़ी के अन्दर कि वह अपने मवेशियों को 5 दिन भी खिला दें। इसलिए वह बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा घास उपलब्ध है और सरकारी जोहड़ों से काटा हुआ घास मौजूद है। पाली जिले में और विक्रय केन्द्र खोले जायं और लोगों को सुविधा दी जाय। ज्योंहि सरकारी घास के डिपो के खोलने के आदेश हुए कि निजी लोग जो कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे उनकी बिक्री कम हो गई और भाव कम होने लगे। तो और भी विक्रय केन्द्र खोलेंगे तो निजी मुनाफाखोर लोग हैं उनकी मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है वह भी रुकेगी और मवेशी भी बच जायेंगे, और जिन लोगों

(श्री मोहनराज)

को राहत देने के लिए यह केन्द्र खोले जा रहे हैं तो उन लोगों को वास्तव में राहत देने की हमारी स्थिति पैदा हो सकती है।

अब रही अनाज की बात। वास्तव में पाली जिले में जो भयंकर स्थिति अकाल की रहती है उसको देखते हुए अनाज बहुत कम मात्रा में हमें एलॉट किया जाता है। यहां तक कि आदिवासी और गरीब क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको भी इस वक्त एक एक किलो माइलो मुहैया हो रहा है जब कि म्युनिसिपल टाउन्स में तीन किलो दे रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक मजदूरी कर के लकड़ी जंगल से काटकर बेचने वाले जो मजदूर हैं उसको एक महीने में एक किलो माइलो मिलता है, मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही भयंकर चीज है...

श्री लक्ष्मणसिंह : बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं।

श्री मोहनराज : और इसमें बहुत जरूरी है कि अनाज की मिकदार है वह बढ़ाई जाय। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बात का उल्लेख किया है तो अनाज की व्यवस्था के बारे में जो जरूरत मन्द लोग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको प्रमुखता दी जाय। इस प्रकार की राज्य सरकार की नीति है। मैं सोचता हूं, इस भाषण में जरूर लिखा हुआ है लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं, उनके पास राज्य सरकार के किसी प्रकार के भी आदेश, निर्देश नहीं हैं। कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं हैं। फलस्वरूप हम लोग भी जब बात कहते हैं तो वह यही कहते हैं। जो कुछ लोग सरकारी दुकान का गेहूं, माइलो, या मोटा अनाज नहीं लेना चाहते हैं वह बाजार से ले जाते हैं। ऐसे कुछ बड़े लोग हैं। तो वह गरीबों को वितरित करने की व्यवस्था करें। जब ऐसा कहते हैं तो जिले के जो अधिकारी हैं कि हम यह भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के ऐसे आदेश नहीं हैं। जिस प्रकार की नीति का अभिभाषण में निर्देश किया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह या तो भाषण की भाषा हो गलत है। जब हमारे पास साधन कम हैं तो यह जरूरी है कि जो अनाज हमारे पास आया है, वह उन लोगों को वितरित करें जो पिछड़े हुए वर्ग के हैं। उनकी मात्रा को पूरी करें। तीन, चार, पांच किलो दे सकें। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार शीघ्र ही कोई आदेश जारी करेगी। ऐसा मैं सोचता हूं।

दूसरी बात अकाल राहत के सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एक माह पूर्व राजस्थान के रिलीफ कमिश्नर श्री मेहता पाली आये थे। जिला अकाल निवारण समिति में उन्होंने भाग लिया था। उस समय उन्होंने यह सुझाव दिया था। मैंने भी यह सुझाव दिया था कि अकाल राहत कार्यों का उपयोग, जो लघु सिंचाई को प्राथमिकता देते हैं तो इसके लिए इस प्रकार का अभियान छेड़ें। तो जो 5, 6 फीट खोदने में पानी मिलता है। तो गरीब आदमी अपने खेत में बेरा खोद नहीं सकता है। कइयों के पास पीढ़ियों से पुरानी जमीन चली आ रही है। लेकिन वह अपनी जमीन में कुआं खोद नहीं पाये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मिट्टी खोदने के लिए आप मजदूर लगाइये। जब सड़क खोदने के लिए मजदूरों को तनख्वाह दी जाती है तो लोगों

(श्री मोहनराज)

के खेतों में कुए खुदवाकर मजदूरी दी जाये तो बहुत बड़े उपकार का काम होगा। इससे हजारों हजारों परिवारों को अकाल की चपेट से बचाने में सहायक होगी। जिसका खातेदार सक्षम नहीं है। जो खुद बेरा खोद नहीं सकता है। तो मजदूरों को लगाकर खुदवायें और जैसे ही पानी निकल आये तो उसकी मरम्मत आदि का काम खातेदार को सौंप दिया जाये। खुदाई का काम आप मजदूरों से करवायें। मैं सोचता हूँ, राज्य सरकार इस बारे में सोचेगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान खनिज सम्पदा में बहुत ही समृद्ध है। लेकिन हमारी बहुत सारी खनिज सम्पदा घर के अन्दर छुपी पड़ी है। निकाली नहीं गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने खनिज लीज तो ले ली है लेकिन खुदाई नहीं करवाई है। तो मेरा निवेदन है कि अकाल राहत कामों में उनके साथ में मशीनरी को लगाकर, जिस प्रकार से मिट्टी खुदवाने का काम किया जाता है, उसी प्रकार से इसको कराया जाय। जहां पर खनिज सम्पदा की आशायें हैं वहां पर अकाल राहत मजदूरों को लगाकर इस खजाने की खुदवाई करायें। मजदूरों को आप मजदूरी देंगे। आपको धरती से करोड़ों की सम्पदा मिलेगी। जो राजस्थान के अभाव को पूरा करेगी। मैं सोचता हूँ राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगी। यह बहुत उपयोगी है। इससे राजस्थान की समृद्धि बढ़ने वाली है।

दूसरी चीज जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, और जो वास्तव में राजस्थान राज्य के लिए ही नहीं, किसी भी राज्य के लिए गर्व की बात हो सकती है। वह कुछ ही दिनों पहले हुई है। राजस्थान के अन्दर साढ़े पांच लाख बेघर लोगों के लिए आवास हेतु भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, और जिस तत्परता से यह कार्य किया गया है, सचमुच इस काम को करने वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इस सारी मुबारकबादी के बावजूद मैं एक बात कहने में अपने को रोक नहीं सकता हूं। हमारे गांवों में जो लोकतन्त्र की कड़ी है, हमने जो पंचायतें स्थापित की हैं, हमने उनको अपनाया है। इन सारी कार्यवाहियों में, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार, एस.डी.ओ., विकास अधिकारी आदि को जो आपने अधिकार दिये हैं। वह पंचायतों के जो अधिकार थे, वह आपने उनके अधिकार लेकर रेवेन्यू इन्सपैक्टर तक को दे दिये हैं। मैं सोचता हूं गांवों में इस लोकतन्त्र की अगुवाई राजस्थान ने की थी। हमने विकेन्द्रित सत्ता की स्थापना की है। यह मैं नहीं मानता हूं कि हमारी मंशा उस काम को कमजोर करने की रही है। सरकार की मंशा शीघ्र से शीघ्र और जल्दी से जल्दी निपटाने की थी। लेकिन आखिरकार लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाएं हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे हमें कोई अधिकार छीनते वक्त, हमें इस आधार पर सोचना चाहिए। जिस मशीनरी से द्रुतगति से काम करवाया, क्या इसी मशीनरी को पंचायत समितियों को सहयोग दिलवाकर यह काम सम्पन्न नहीं करवाया जा सकता था? यह कि यह मशीनरी–सारे जिलाधीश, सारे सब डिवीजनल आफिसर, सारे विकास अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी नायब

(श्री मोहनराज)

तहसीलदार, सभी रेवेन्यू इन्सपेक्टर पंचायत और प्रधान के सहयोग से जाकर इन हिदायतों के माफिक काम कर सकते थे। हो सकता है, कुछ माननीय सदस्य, सभापति महोदय, यह ख्याल रखते हों, बहुत सारे हमारे आफिसरान यह ख्याल रखते हों कि पंचायतों को यह अधिकार दिया गया था, राज्य सरकार ने बार-बार पंचायतों को हिदायत भेजी कि आप इन पिछड़ी हुई जातियों को मुफ्त के अन्दर भूमि आवंटित करें। लेकिन पंचायत इस काम को नहीं कर सकी। मैं इस तरह के विचार रखने वाले महानुभावों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में पंचायत इस काम को नहीं कर सकी इसकी बुनियाद में कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनके पास आबादी में दूसरी भूमि, पड़त भूमि, बंजर भूमि, गोचर की भूमि, खातेदारी भूमि कन्वर्ट करने का अधिकार, जो कि छोटे छोटे तबके के अधिकारी को दिया, उनके पास नहीं था। पंचायतों और पंचायत समितियों की वर्षों पुरानी दरख्वास्तें हमारी सरकार के दफ्तरों में बराबर भटकती रहीं कि हमें आबादी भूमि चाहिए, हमारे यहां के लोग बेघर हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों पर तवज्जह नहीं दी गई। इसलिए पंचायतें यह काम नहीं कर पायीं। अब पंचायतों से यह काम छीन कर जिन अधिकारियों से यह काम कराया—उनसे मुझे गिला नहीं है, मुझे दुःख है तो इस बात का कि जन प्रतिनिधियों की जो उपेक्षा की गई है, वह वास्तव में रीढ़ की हड्डी है, उनको कमजोर बनाने वाली बात है। यह शोक की बात नहीं है, हम उन आफिसरों को शाबाशी दे सकते हैं कि उन्होंने द्रुत गति से, तत्परता से एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टास्क, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, पूरा कर दिखाया। हम उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन उतना ही काम उतनी ही तत्परता से पंचायत और पंचायत समितियों के माध्यम से इन आफिसरान के द्वारा करा सकते थे। मुझे इनकी काबलियत पर भरोसा है और इनकी काबलियत को हमने देखा है। लेकिन पंचायत और पंचायत समिति को एक तरफ रख दिया। करना आपको चाहिए था कि वह साथ रहते और जो पट्टे पिछली जाति के लोगों को दिये गये, उन पर प्रधान और सरपच के भी दस्तखत हो जाते तो जनतंत्र की परंपरा, प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाली संस्थायें हैं जिनका हमने निर्माण किया है और जिनका निर्माण करने में पहल की है, वह और अधिक मजबूत होती। मैं सोचता हूं कि दूसरा काम आगे आयेगा क्योंकि आवासीय भू-खण्ड आवटन करने का काम, सभापति महोदय, सामने है हमारी गवर्नमेंट के और छोटे छोटे कस्बों के अन्दर और गांवों के अन्दर अभी सैकड़ों-हजारों की तादाद में ऐसे मजबूर, इतने गरीब और पिछड़े वर्ग के बेघरबार मौजूद हैं कि जिनको इस योजना के अन्तर्गत राहत नहीं मिल सकी। हमारे मुख्य मंत्री ने, मैंने अखबारों में पढ़ा है, इस तरह की घोषणा भी की है कि इस तरह के तबके के बच गये गरीब लोग हैं उनको आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जायेंगे। तो जब कभी यह योजना लागू हो, वैसे अत्यन्त शीघ्र लागू होनी चाहिए क्योंकि इस बात की लोगों में भूख जगती है, लोगों ने देखा है कि साढ़े पांच लाख इस राजस्थान में इस तरह के पट्टे

(श्री मोहन राज)
वितरित किये गये, वह गरीब लोग, जिन्होंने मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट को अखबार में पढ़ा, ऐसी आशा बांध कर बैठे हैं कि अब हमारी बारी है अब हमें मकान के पट्टे मिलेंगे, हम अपने घर गृहस्थी के लिए रहने का छोटा सा मकान बना पायेंगे–उनकी आशा निराशा में परिणित नहीं हो इसलिए इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाय। इस हेतु जरूरी है कि राज्य सरकार आवश्यक आदेश शीघ्र जारी करे ताकि जो भी हमारे पिछड़े वर्ग और गरीब भाई रह गये हैं गावों में, जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाये हैं उनको आवासीय भू-खण्ड के पट्टे मिल सकें।

दूसरी बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में डी-पी ए पी. योजना के अन्तर्गत राजस्थान के पश्चिमी इलाके में भेड़ ऊन विकास और भेड़ नस्ल सुधार की योजना पर काम करने के लिए भी अपनी तत्परता दिखायी-ऐसा उल्लेख मिलता है। इनके लिए राजस्थान सरकार ने नागौर और जोधपुर-इन दो जिलों का चयन किया है। मैं यह बात इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम किसी एक विशिष्ट योजना को, भेड़ नस्ल सुधार योजना है, पशु सुधार योजना है, हाथ में लेते हैं तो कई चीजों का विचार करते हैं। मुझे और किसी बात से दुःख नहीं है लेकिन नागौर और जोधपुर जिले का जो चयन किया गया है, इस कार्य के लिए उसके पीछे क्या तरीका है, उसके पीछे आधार क्या है–यह मैं समझ नहीं पाया हूं। पिछले कई वर्षों के आंकड़े मैंने देखे हैं, आखिर भेड़ और बकरियों की संख्या पाली जिले में ज्यादा है या जोधपुर जिले और नागौर जिले में ज्यादा है। जोधपुर जिले की संख्या ले लीजिये, नागौर जिले की भी भेड़ और बकरी की संख्या ले लीजिये, पाली जिले में हजारों-लाखों की संख्या उन जिलों से कहीं अधिक है। आप इस तरह की योजना जहां कहीं किसी जिले के हिसाब से ले रहे हैं और उसमें भी पशु धन को सुधारने की योजना ले रहे हैं, भेड नस्ल सुधार, ऊन सुधार की योजना उसमें भी पाली जिला नहीं आये–यह वास्तव में दुःख की बात है··

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा बकरी हैं।

श्री रावत राम : नागौर जिले की वूल है वह सबसे बढ़िया वूल है।

श्री मोहनराज : मैं मानता हूं··

श्री केसरीमल : क्षेत्रवाद कितना प्रबल है।

श्री मोहनराज : जोधपुर जिला, नागौर जिला राजनैतिक दृष्टि से मजबूत है, ठोस है, वजनदार है–यह मानता हूं। लेकिन बेचारी भेड़ और बकरी का क्या कसूर है जो पाली जिले में रहती हैं। इसलिए इस तरह की योजना आये तो जरूर विचार होना चाहिए कि हम इस तरह की योजना इस क्षेत्र में ऐसे जिले में लागू करें जहां पर अधिक से अधिक फायदा वहां के उन प्राणियों को मिल सके जिनके फायदे के लिए योजनायें लागू की गई हैं।

मैं सोचता हूं, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में राजस्थान के औद्योगिक विकास की भी काफी चर्चा की है। यह सही है कि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में जो एक वक्त में इस देश में मायूसी आ गई थी,

(श्री मोहन राज)

वह कुछ कुछ हटने लगी है। लेकिन अभी राजस्थान का औद्योगिक विस्तार एक बहुत दूर की बात है और उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान को एक बहुत बड़ी इमदाद और सहयोग भारत सरकार से भी प्राप्त हो जायगा। अभी तक राजस्थान के कुल छः जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है, जहां राज्य सरकार से कुछ पर्सेन्टेज में अनुदान प्राप्त होता है उद्योग लगाने वालों को और कुछ धनराशि आवंटित करने में उनको प्राथमिकता दी जाती है, ऋण वगैरह देने में। मैं सोचता हूं कि छः जिलों में एक बहुत ही कम क्षेत्र है। इस मामले में इसलिए राजस्थान में पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए। आज पाली जिले में रहने वाले कई बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं हमें वहां पर जो सुविधायें मिल रही हैं हर दृष्टि से वह राजस्थान में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं उद्योग मंत्री से खास तौर से निवेदन करूंगा, अगर राजस्थान में न केवल बेरोजगारी की समस्या हल करनी है, लेकिन हमें अभी उद्योग लगा कर और समृद्ध करना है तो जरूरी है कि पाली जिले, दूसरे कई जिलों को, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करवायें ताकि अधिक से अधिक लोग इस इलाके के अन्दर अपने उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकें और हमारा धन जो बाहर लग रहा है, और दूसरे लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए काम में आ रहा है, टैक्स के रूप में वहां के खजाने में जमा हो रहा है, वह हमारे राज्य में रहे, यहां के लोगों को रोजगार मिले, टैक्स के रूप में हमारे यहां आये इस दृष्टि से उचित साधन जुटाने चाहिए और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि नये उद्योग लगाने वालों को विश्वास हो कि राजस्थान में सुरक्षित रहेंगे और राजस्थान की बहबूदी के अन्दर अपना योगदान कर सकेंगे क्योंकि आम तौर पर कई बार उद्योगपति राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एक लंबे समय तक वे कोई काम ही शुरू नहीं करते हैं। वे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान भर में अपने उद्योग फैला रखे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। वे देखते हैं कि उनका कौनसा कारखाना हिन्दुस्तान और विदेशी बाजारों में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने वाला है, उसी कारखाने को ही वे पूरे जोर से चलाते रहते हैं। वे राजस्थान में नया कारखाना लगाकर किसी भी प्रकार अपना एन्टरप्राइजिंग नेचर बताने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए आपने जिन लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं और हमारे राज्य की औद्योगिक तरक्की में बाधा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के जिनके लाइसेंस बहुत वर्षों से पड़े रहे हैं, उनको नियमानुसार रद्द किया जाए और उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनको कोई दूसरा उद्योग लगाने के लिए भी भविष्य में लाइसेंस न दिया जाए। तो उतने लोग ही आयेंगे जो राजस्थान की बहबूदी में हाथ बटायेंगे वर्ना तो मोनोपोलिस्ट्स आयेंगे जो लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं जिनके एजेन्ट्स अच्छी तरह से परिचित हैं व लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लेकर बैठ जाते हैं और

(श्री मोहनराज)

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भाव बनाए रखना उनका एक मात्र उद्देश्य रहता है। यह कन्ज्यूमर्स के लिए घाटे की बात है। इसलिए हमें सोचकर लाइसेंसिंग नीति बनानी चाहिए ताकि औद्योगीकरण से राजस्थान आगे बढ़ सके।

राजस्थान की एक विशेष उपलब्धि है जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। हमने बहुत पहले तय किया था कि राजस्थान में संपूर्ण शराब बंदी करेंगे। पिछले कुछ अर्से से हमने उस बात को छोड़ दिया था कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए इस काम को हाथ में नहीं ले सकते इस वर्ष हमने मुख्य मंत्री का वक्तव्य अखबारों में पढ़ा, आगामी वित्तीय वर्ष में संपूर्ण शराबबन्दी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार बधाई की पात्र है लेकिन आंशिक रूप में। हमने जनता से वायदा किया था कि संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी करेंगे। लेकिन आशा की किरण सिर्फ इतनी जगी कि हमने उस ओर फिर चरण बढ़ाने की सोची तो है चाहे बिल्कुल इस खयाल से कि हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ जाएगी। हमें इससे आर्थिक हानि होगी उससे हमारे कइ विकास के काम रुक जायेंगे। उस गलतफहमी से बाहर निकलकर हमने कुछ प्रगति के चरण उस ओर बढ़ाए हैं। बड़ी खुशी होगी और हमारी कांग्रेस ने जो वायदा दिया है राजस्थान को, उसकी पूर्ति होगी जिस दिन हम राजस्थान भर में संपूर्ण शराबबंदी की घोषणा करेंगे। क्योंकि आर्थिक हानि का जो हौआ हमें कदम उठाने से रोक रहा है, वह वास्तव में गलतफहमी के कारण पैदा हुआ है। सचमुच में जिस तरह से शराबी आदमी शराब पीने के बाद सोचने लगता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य गिर जाएगा, मृत्यु के निकट पहुंच जाऊंगा, इस तरह का भय उसको हमेशा सताता रहता है। तो बहुत समय से इस शराब की आमदनी से हमारी सरकार के दिमाग में इस तरह का डर और हौवा बैठ गया है कि अगर शराब की आमदनी रुक गई तो राजस्थान का विकास रुक जाएगा। राजस्थान के विकास के माइने बहुत आली-शान भवन नहीं, उसकी बहबूदी और विकास से मतलब हैं। मजदूर, काश्तकार, पिछड़ा हुआ आदमी जो शोषित है, दबा हुआ है, उसको काम करने का अवसर मिले और शराब उस चीज को रोके हुए है। आज जहां शराब की आमदनी से विकास की बात करते हैं, एक समय हमने कहा था कि बिक्रीकर इसलिए लगा रहे हैं कि शराबबंदी करेंगे। पिछले दिनों जब नए कर लगाए मैंने अखबारो में पढ़ा, मुझे याद आया इस सदन में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से आवाज उठाई थी कि राजस्थान में सपूर्ण शराबबंदी की जाए चाहे हम पर नए कर लगें, हम जनता को समझायेंगे लेकिन शराब रूपी राक्षस को हमेशा के लिए राजस्थान से बाहर निकालें। तो जब मैंने नए करों के बारे में अखबारों में पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि शायद हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनायें हमारे वित्तमंत्री के दिमाग में आई हों और उन्होंने उसी भावना से ये नए कर लगाए हों तो अच्छा ही है कि राजस्थान में शराब-बंदी हो जाएगी, लेकिन मेरा सपना टूटा सा रह गया और जो घोषणा होनी चाहिए थी

(श्री मोहनराज)

वह नहीं हो पाई, क्योंकि बात यह है कि ज्यों ज्यों नए कर लगाते हैं त्यों त्यों हमारा खर्चा भी बढ़ने लगता है, और आमदनी चाहे कितनी भी खराब हो लेकिन खर्चा रुकने की हालत में नहीं रहता है। यही हालत शराब की आमदनी के कारण हो रही है। हम जिस गरीब आदमी के विकास को लेकर, उसे शिक्षा दिलाने के लिए, उसको रोजगार दिलाने के लिए योजनाओं की बात करते हैं उसके लिए पहली शर्त यह है कि संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी की जाए। जब तक शराब बिकती रहेगी, गरीब की मेहनत की कमाई उनके बच्चों और बीबी के लिए कभी काम में नहीं आएगी। इसलिए इस अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए था। कम से कम जिन दो जिलों की घोषणा की गई है उनका ही उल्लेख हो जाता तो गरीब आदमी को तसल्ली मिलती और माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होती कि उनकी भावनाओं का आदर किया गया है। यही एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान को सही दिशा में ले जा सकता है और अगर हम राजस्थान के चहुंमुखी विकास को और द्रुतगति से बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनको सम्भालना पड़ेगा और जो मैनपावर है उसको भी काम में लेना पड़ेगा। अगर इन दो तथ्यों से आंख मूंद ली गई तो राजस्थान का भविष्य हमेशा के लिए ऐसा बनकर रह जाएगा जिसका निराकरण नहीं होगा।

अंत में मुझे यही कहना है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण देकर हमारा मार्ग दर्शन किया है उसके लिए यहां पर जो प्रस्ताव आया है, उसका हार्दिक समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान में गये वर्ष सन् 1974 में अकाल की विभीषिका छाई हुई रही, अधिकांश क्षेत्र के अन्दर अकाल पड़ चुका था और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आई थी। और अगर सारे वर्ष का समन्वय किया जाय तो मैं समझता हूं कि सन् 74 का वर्ष एक खराब वर्ष रहा। उत्पादन राजस्थान में घटा अभाव की स्थिति पूरी बनी रही और महंगवाड़ी इतनी बढ़ी कि शायद महंगवाड़ी इतनी कभी भी नहीं बढ़ी। सभापति महोदय महंगवाड़ी तो आज मुंह फाड़ कर सुरसा की तरह बैठी हुई है और कीमतें आवश्यकता की वस्तुओं की बढ़ती ही जा रही है। वह इस प्रकार बढ़ रही हैं कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं रही। भ्रष्टाचार अपनी सीमा पार कर चुका है यदि मैं यह कहूं कि इन्दिरा कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री बनी हुई है तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी। दुष्काल का खतरा राजस्थान के अन्दर निरन्तर बना हुआ है। इस खतरे से अधिक खतरा तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, जो खतरा है वह है हमारे लोकतन्त्र को। सभापति महोदय, लोकतन्त्र शब्द दो शब्दों से बना है 'लोक' और 'तन्त्र'। मुझे हमारे भारतवर्ष में लोकतन्त्र में जो खतरा लग रहा है वह लोक से नहीं बल्कि तन्त्र से है। तन्त्र से खतरे का मतलब है शासन से खतरा। आज शासन से खतरा दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह हमें साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। यहां पर सभापति महोदय, आज भी पंचायतों के चुनावों के बारे में चर्चा सदन में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हुई थी। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों का सर्व प्रथम चुनाव हमारे राजस्थान में सन् 1960 में हुआ था और दूसरा चुनाव सन् 1965 में हुआ और उसके बाद बार बार निरन्तर इस सदन में हमारे पंचायत मंत्री और कभी कभी मुख्य मंत्रीजी इस सदन में आश्वासन देने के बाद भी कि हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे अपनी बात पर पाबन्द नहीं रह सके। हर वक्त सरकार कोई न कोई बहाना करती रही कभी दुष्काल का कभी कुछ और। सभापति महोदय, अगर सरकार दुष्काल का ही बहाना लेती है तो यह बहाना लेकर तो सरकार कभी भी पंचायतों के चुनाव नहीं करायेगी। अभी जो सरकार ने घोषणा की है कि पंचायतों के चुनाव 31-12-75 तक स्थगित किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर क्या हास्यास्पद स्थिति हो सकती है। इसके लिए मैं सरकार की कड़े शब्दों से निन्दा करूंगा और कहूंगा कि यह सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सरकार अपने आश्वासनों पर पाबन्द नहीं रहती है। सरकार ने लोकतन्त्र के ऊपर आक्षेप किया है। सरकार ने एट दी रूट आफ डेमोक्रेसी हमला किया है। सरकार ने डेमोक्रेसी का डेस्ट्रेक्शन किया है। सरकार ने जनतन्त्र पर भारी आक्रमण किया है। इस डेस्ट्रेक्शन से राज्य सरकार को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने इस प्रोत्साहन से म्युनिसिपेलिटीज का डिजोल्यूशन कर दिया। आज हमारे राजस्थान में 160 नगरपालिकायें हैं जिनमें से आधे से अधिक भंग हो चुकी हैं। यह मेरा अनुमान है। सभापति महोदय, आज जो पचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और नगरपालिकाओं का जो डिजोल्यूशन हुआ है जिससे शहरों और गांवों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। जनता का सरकार में विश्वास खतम होता जा रहा है और एक तरह से अधिनायकवाद देश में पैदा हो रहा है। सभापति महोदय, जो मैंने प्रोत्साहन मिलने की बात कही वह इसलिये कही कि आज हमारे देश में उत्तर प्रदेश में पांच म्युनिसिपल कोर्पोरेशन्स को भंग कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ के म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स का डिजोल्यूशन कर दिया गया है। इसी प्रकार 6 में से पांच मध्यप्रदेश में म्युनिसिपल कार्पोरेशन को भंग कर दिया गया है, गुजरात में चार म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स को भंग कर दिया गया है। यह बेसिक डेमोक्रेसी को अपरूट नहीं किया जा रहा तो क्या है? आज इन्हीं राज्य सरकारों के इन कामों से हमारे प्रदेश की राज्य सरकार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। सभापति महोदय, जहां कहीं भी हमारे यहां पर कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटीज बनी हुई हैं वहां तो ठीक है लेकिन जहां कहीं भी कांग्रेस विरोधी नगरपालिकायें हैं उन्हें भंग कर दिया गया है। न केवल उन्हें भंग ही किया जा रहा है पर वहां पर चुनाव भी नहीं कराये जा रहे हैं। यह सभी बातें इस बात की द्योतक हैं कि देश में अधिनायकवाद का वातावरण बनाया जा रहा है। आज देश में स्वेच्छाचारिता का वातावरण बनाया जा रहा है। सभापति महोदय, अगर इस स्वेच्छाचारिता को नहीं रोका गया तो देश में अराजकता फैलेगी। आज इसी अधिनायकवादिता से देश में

(श्री लक्ष्मणसिंह) . .

अशान्ति फैली हुई है। सभापति महोदय, इसके अलावा भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति दिनोदिन बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, यह सभी प्रवृत्तियां जो ज्यादा बढ़ रही हैं वह सभी इन मध्यावधि चुनावों के पश्चात् बढ़ी हैं। इसके लिये मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, वेस्ट बंगाल में जब से सिद्धार्थ शंकर रे मुख्य मंत्री बने हैं उन्होंने वहां पर मुख्य मंत्री बनते ही हफ्ते के अन्दर अन्दर कलकत्ता म्युनिसिपल कार्पोरेशन को भंग कर दिया और आज तक कलकत्ता म्युनिसिपल कार्पोरेशन के चुनाव की वहां पर पहल नहीं की जा रही है। अब बंगला देश में क्या हुआ उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि वहां पर भी देश में अधिनायकवाद फैल रहा है। वहां के नेता शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में वह कितने ही अच्छे व्यक्ति हों पर उन्होंने जो बंगला देश में संविधान में परिवर्तन किया है उसे मैं अधिनायकवाद का द्योतक ही मानता हूं। सभापति महोदय, बंगला देश में किन्हीं परिस्थितियों में कुछ भी हुआ हो, कारण कोई भी रहे हों, लेकिन वह डिक्टेटरशिप को ही प्रोत्साहन देने वाली है। वहां की घटनाओं का असर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगला देश में जो घटनायें हो रही हैं उनका हमारे देश में रिहर्सल साबित हो। आस पास के देशों की प्रवृत्ति देखते हुए, पाकिस्तान की प्रवृत्ति देखते हुए, अफ्रीका के देशों की प्रवृत्तियां देखते हुए, क्या पता है तंजानिया, जाम्बिया ने किया, जो नमूना बंगला देश में दोहराया गया, जो आखिर बंगला देश में हुआ, पाकिस्तान के अन्दर गत 25 वर्षों से जो प्रवृत्तियां मौजूद हैं, वे अगर हमारे देश में आती हैं तो इससे बढ़ कर दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है और इससे बढ़ कर कांग्रेस पार्टी के ऊपर और क्या कलंक हो सकता है? कहां महात्मा गांधी के सिद्धान्त! कहां जवाहरलालजी के सिद्धान्त? और आज वही पवित्र संस्था कांग्रेस की कहां जा रही है? 'पावर करप्ट्स एन्ड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली'–यह कहा गया है। जहां निरंकुश सत्ता है वहां पर भ्रष्टाचार भी गगनचुम्बी बढ़ जाता है। शासनारूढ़ पक्ष को रोकना चाहिये लेकिन इस ओर उनकी निरन्तर ऐसी प्रवृत्तियां हैं और दोष दिया जाता है विरोधी दल को, उनमें भी भ्रष्ट तरीके अपना कर आज इस नतीजे पर उनको भी पहुंचा दिया गया है।

आज राजस्थान में शायद नहीं, लेकिन लोक सभा में यह भावना कई माननीय सदस्यों की है, शासनारूढ़ दल के माननीय सदस्यों की कि एक देश, एक दल और एक नेता। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति कांग्रेस के माननीय सदस्यों के अन्दर दिन ब दिन घर करती जावेगी तो हमारे देश का भविष्य अन्धकारमय होगा। यह बहुत आसान है कहना कि विरोधी पक्ष अराजकता फैलाता है। विरोधी पक्ष के अन्दर क्या शक्ति है जो अराजकता फैलाये? अराजकता फैलने का मूल कारण आपका कुशासन, आपका बिलकुल स्वार्थमय शासन और इसकी जितनी भर्त्सना की जाय उतनी ही कम है। उड़ीसा के अन्दर और मध्य प्रदेश के अन्दर जो मध्यावधि

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चुनाव हुए उसके अन्दर मतगणना के समय लाइट्स बन्द हो रही हैं, जहां तक देखा है टैंक के टैंक पैट्रोल के खर्च हो रहे हैं, हैलीकोप्टर उड़ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिये। ऐसी परिस्थिति के अन्दर विरोधी पक्ष के पास कौन सा ऐसा भंडार है धन का जो शासनारूढ़ दल का मुकाबला कर सके ? आप जीतें, स्वागत है। लेकिन आप वाजिब तौर से जीतें, तब तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अन्धाधुन्धी करके मनी पावर, पैसे के बल पर आप कुर्सी पर विराजमान होकर यह कहें कि हम तो समाजवाद लायेंगे इससे बढ़ कर और क्या मखौल हो सकता है, सभापति महोदय ? आज भारतवर्ष के लिए समाजवाद तो सौ कोसों पर है, आज तो भ्रष्ट अधिनायकवाद आ गया है।

एक और उदाहरण मैं निवेदन करूं। कंवरलाल गुप्ता की चुनाव याचिका है, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला होता है। कांग्रेस का जीता हुआ लोक सभा का उम्मीदवार अपदस्थ किया जाता है। उसके कुछ ही घंटों के अन्दर एक आर्डिनेन्स निकाला जाता है, जिस आर्डिनेन्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करके यह घोषणा की जाती है कि चाहे जितना ही रुपया किसी उम्मीदवार को पार्टी के द्वारा चुनाव हेतु मिले वह वैध है। मुझे कहते हुए भी दुख होता है लेकिन मुझे यह घोर आशंका है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने चुनाव से बचने के लिए, चुनाव के खतरे से बचने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ भी याचिका है यह आर्डिनेन्स निकाला है। न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का और महिमा का जिस तरह से मखौल किया गया है, ज्युडिशियरी को जिस तरह से कमिटेड बनाया है वह कदम, मैं समझता हूं जनतन्त्र के लिए एक घातक है।

शासनारूढ़ दल के आश्वासन मैं समझता हूं, एक एक आश्वासन झूठा है। एक भी बात शासनारूढ़ दल ने कही हो और उसको सही सिद्ध साबित की हो तो चैलेन्ज करता हूं। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, स्वागत है। आपने इंश्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण किया, स्वागत है, आपने प्रिवीपर्सेज ले लीं, आपने जो कुछ किया उसका स्वागत है। लेकिन इतना करने के पश्चात भी आपने गरीबों का क्या भला किया ? गरीब आज पिस रहा है राजस्थान का गरीब आज बिल्कुल दुर्दशाग्रस्त है और मैं तो समझता हूं कि एक हजार वर्ष के राजस्थान के इतिहास में इतनी दुर्दशा खाने पीने की चीजों की नहीं हुई होगी जितनी आज है।

आपने तस्करों को पकड़ा, स्वागत है। उन तस्करों को भी कोर्ट्स ने छोड़ दिया। तस्करों को कोर्ट में लाने की इच्छा से भी इन्कार है इसलिए शायद वे यह बयान दे दें कि हम से कह कह कर डोनेशन लेते हैं और करोड़ों रुपया लेकर चुनाव लड़ते हैं और करोड़ों रुपया कांग्रेस वाले चुनाव पर खर्च कर, उससे चुनाव लड़कर शासन की बागडोर हाथ में लेना चाहते हैं। सूक्ष्म तौर से मेरी यह निश्चित धारणा है, आप किसी कीमत पर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

आज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो उल्लेख किया है उसको माननीय समर्थक महोदय ने दोहराते हुए यह कहा कि 5।। लाख भूखण्ड आवंटित होंगे। दो करोड़ जनता में साढ़े पांच लाख भूखण्ड आवंटित हों, तब भी मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मुझे आशंका है यह 5।। लाख भी कागजों पर ही रह जाने हैं। भू-खण्ड आवंटित हों भी सही तो वहां पर मकान कैसे बनें ? सबसे प्राथमिक आवश्यकता जनता की क्या है ? खाने को अनाज होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता, पहिनने को कपड़ा होना चाहिए। और जहां पर खाने को अनाज नहीं है, जहां पर पहिनने को कपड़ा नहीं है, वहां पर मकान की बात दर किनार रही और भू-खण्ड आवंटित होंगे तो वहां पर मकान कौन बनायेगा ? वही पैसे वाले भ्रष्ट लोग जिनको भू-खण्ड आवंटित होंगे, उनको पैसा देकर उनसे भू-खण्ड छीन लेंगे और गरीब गरीब ही रहेंगे। गरीबों का भला करना और गरीबों को उठाना यह केवल मात्र धोखा धड़ी है। कभी भी गरीब इस तरह से नहीं उठ सकते हैं यह मेरी निश्चित् धारणा है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले के अन्दर निम्नलिखित व्यक्ति भूख से मरे हैं:--

(1) नानाजी नाना निवासी नारा, बसारा के पास–13-2-75 को भूख से मृत्यु हो गयी। सरपंच दरिया की तस्दीक मौजूद है। दरिया का सरपंच कांग्रेस के सरपंच हैं।

(2) चम्पा खालरा निवासी अम्बाला गोचर और चम्पे का लड़का यह भी मरा है। 12-2-75 को भूख से श्री शंकर सरपंच अम्बाला गोचर तथा श्री धूलजी सरपंच बागरी ने तस्दीक की है। ये दोनों ही सरपंच कांग्रेस के हैं।

रत्ती अहारी 35 वर्ष, सोमारगा 10 वर्ष, भूरा बलाई एक व्यक्ति और एक अज्ञात महिला सड़क के ऊपर आकर रात्रि को मर गई। उदरिया उस गांव के नाम में चार जने भूख से मरे, श्री हरजी सरपंच डूंडला द्वारा तस्दीक की गई।

मैं अपने आपको समझता हूं, सभापति महोदय, कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मुझे झूठी बकवास करने से कोई मतलब नहीं है और झूठी बात कहने से विशेष लगाव और प्रेम नहीं है। लेकिन विरोधीपक्ष में रह कर अगर कटु सत्य मैं नहीं कहूं तो मैं अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं करूंगा। अभी मैंने सुना माननीय समर्थक महोदय के अभिभाषण के अन्दर कि गांवों के अन्दर अनाज नहीं मिलता। एक किलो अनाज एक महीने प्रति व्यक्ति के लिए गांवों के अन्दर मिलता है। शहरों के अन्दर जो अनाज की आपकी व्यवस्था है उसके प्रति विरोध मैं प्रकट नहीं करना चाहता हूं। जहां आप ज्यादा दे सकें, आप दे। लेकिन आप कल्याणकारी सरकार का दावा रखते हैं तो आप एक किलो प्रति व्यक्ति एक महीने के लिए अनाज देते हैं, आप कैसी सरकार है। आप स्वयं विचार कीजिए। जहां पर अनाज ही बिल्कुल नहीं है, जहां पर साफ सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां किस तरह से जीवित रह सके इन्सान, यह आपके सोचने की बात है।

गरीबी हटाओ का नारा मात्र है। अगर गरीबी हटी है तो बहुत सारे माननीय सदस्य मेरे सम्मुख विराजमान हैं उनकी गरीबी हटी है। इसमें भी मुझे कोई आपत्ति और विरोध नहीं है...

श्री चेतराम : और पीछे बैठे हैं उनकी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन हरित क्रांति आई है तो कई जगह आई है। वहां पर कांग्रेस के सदस्यों की मोनोपोली और बोल-बाला है। धरियावाद में जाकर मैं देखता हूं सैकड़ों बीघा गेहूं खड़ा हुआ है वहां पर कितने आदिवासियों को भू-खण्ड मिले। सब कांग्रेसी नेताओं की जमीनें। दबोक में क्या हुआ ? सब कांग्रेसी नेताओं की जमीनें। तो अगर इस तरह से मोनोपोली करके और आप शासन से पूर्णतया लाभ लें तो लें आप, लेकिन गरीबों का भला करके लें तब तो आपका यह कल्याणकारी सोशियोलिस्टिक राज्य मैं मानता हूं, नहीं तो मैं स्वार्थी और भ्रष्ट अधिनायकवादी संज्ञा में इसको समझूंगा।

मैं आपाधापी के सम्बन्ध में एक उदाहरण, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। यह जितने भी पंचायत समिति के प्रधान हैं ये करीब 2 सब के सब लखपति बन गए। सन् 1973 की बात है। केवल एक बहुत मामूली स्थिति में एक गरीब व्यक्ति पंचायत समिति के वो प्रधान हैं...

श्री शंकरसिंह रावत : प्रमुख भी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी बात सुनिए।

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलें।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जब आप बोलते हैं तो चुपचाप सुनता हूं। आपको कोई आक्षेप हो तो अवश्य मैं बैठकर सुनूंगा, उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। खामखां व्यवधान।

सभापति महोदय, यह पंचायत समिति सीमलवाड़ा के प्रधान हैं उन्होंने 15 महीने के अन्दर एक दो मंजिला मकान बनाया। उसमें सारी पंचायत समिति की सीमेंट लगाई और खसरा नम्बर 800 अम्बावाला खेत के अन्दर वहां पर कुआ पूरा हुआ है, बहुत पुराना कुआ वहां पर कहा गया कि कुआ बनाया। छः हजार रुपये पंचायत समिति के कोष से निकाले। वहां पर कुआ भी नहीं है और जांच भी नहीं है और छः हजार रुपये की आपाधापी भी हो गई और उस पर शिकायत करने के पश्चात सरकार क्या एक्शन लेती है कि बी. डी. ओ. कुलवन्तसिंह को वहां से तबादला करके सूरतगढ़ हनुमानगढ़ या कहां उसको भेज दिया। जो सरकार दोषियों को सजा देना नहीं समझती, जो सरकार गलत काम करने वाले भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं दे सकती वह सरकार मैं समझता हूं कि पहले कर्तव्यच्युत है। कर्तव्यपरायण सरकार नहीं है।

(व्यवधान)

दूसरी चीज, दूसरी जमीनें इन महाशय ने हड़पी। तीन व्यक्तियों के बीच में 16 हजार रुपये में एक रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पर दो पम्पिंग सैट लगाये और दो पम्पिंग सैट लगाकर यह हरित क्रांति पैदा की और आस पास की बस्ती भूख के मारे मर रही है। केवल प्रधान एण्टी सोशल रूप से दो मंजिले मकान के अन्दर बिराजमान हैं। यह एक रिवोल्यूशनरी कदम है या एक मोस्ट रेट्रोग्रेटरी, हास्यास्पद और शर्मनाक परिस्थिति है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बाढ़ आई 73 के अन्दर, सभापति महोदय, सैंकड़ों आदमियों ने यहां कहा है कि पंचायत समिति के प्रधान महोदय आधा रुपया खा गये और आधा रुपया दिया। बार बार यह कहा गया। उसके ऊपर जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई आखिरकार वह जांच रिपोर्ट है कहां। जांच रिपोर्ट भी दबा दी गई है। अगर जांच रिपोर्ट है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिये रिपोर्ट को गार्डेड, सीक्रेट क्यों रखना चाहिये? जांच रिपोर्ट सब को बतावें ताकि देख करके हमको तसल्ली हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है और मुझे आशंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसको दबाने के लिए जांच रिपोर्ट आपने दबा रखी है।

आपने टैक्सेज बढ़ाये। आप मोटर भाड़ा बढ़ायें। अपनी आमदनी बढ़ायें लेकिन मंहगवाड़ी बढ़ती हुई है बेचारे कर्मचारी भी क्या करें? तंग आकर हड़ताल करने को खड़े होते हैं। आपको डर करके उनकी जो मांगें हैं वे पूरी करनी पड़ती हैं। इस इन्फ्लेशन की घुड़ दौड़ में आपकी आर्थिक व्यवस्था जो है वह भंग हो चुकी है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं एक स्टडी कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की थी उसकी रिपोर्ट का एक एक्सट्रेक्ट मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाऊंगा :

"In 1967 the wage bill of the Central Government alone was Rs. 567.6 crores. Since than there has been an enormous increase both in the number of bureaucrates and in the scales of their remuneration. Today their numerical strength is well over one crore while the disbursements to them exceed the total tax revenues of the Centre."

इसके बाद राज्यों के सम्बन्ध में–

"Smarting under an inferiority complex, many ministers specially at the state level, make it a point together around them officials known for their cocility and obsequiousness "We have reason to believe" says the expert body that over a period of time this tendency has been very much on the increase. It is small wonder, therefore, that the resulting demoralisation has affected the entire administration.

So great is the urge among most of the civilians for personal advancement at the cost of every principle and propriety that they are prepared to go to any length to appease their political masters, as a former civilian pertinently observes, while the administration has become omnipotent against the public. It is pitifully helpless against its political superiors at all levels."

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आज जनता की दुर्दशा और जनता की हैल्पलेसनेस की भी पराकाष्ठा हो चुकी है। जहां सरकार कल्याणकारी राज्य कहे अपने आपको और जनता के दुखों के सम्बन्ध में रेस्पान्सिवनेस भी उस सरकार के अन्दर न हो तो वह सरकार मेरे खयाल में एक अत्याचारी सरकार है।

आपने गरीब को जो मारा है वह इन्फ्लेशन के नाम के टैक्सेशन से मारा है। वर्स्ट फार्म आफ टैक्सेशन इज इन्फ्लेशन। न तो फाइनेन्स बिल की जरूरत है, न फाइनेन्स एक्ट पास करने की जरूरत है, न डिबेट करने की जरूरत है। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा आप लगातार 10 वर्षों से जनता को मार रहे हैं। आपके प्लान क्या हैं? आपकी योजना का प्रारूप क्या है? आपकी योजनाएं सब मडलहेडेड बातें हैं। आपके पास कोई योजना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। आप यह भी नहीं कर पाये कि साधारण चीजों की कीमतों के ऊपर काबू न पा सकें तो आप क्या योजना करेंगे?

सिद्धान्तहीनता के सम्बन्ध में एक ही निवेदन करूंगा कि एक मनीपुर छोटा सा राज्य है। उसकी 5 लाख की बस्ती है, जनसंख्या है, और वहां पर विधान सभा के सदस्यों की संख्या है 60 और 60 विधान सभा की संख्या के अन्दर 19 मंत्री हैं। आपने यह नियम बनाया है कि विधान सभा की सदस्यता का 10 प्रतिशत मंत्री-मण्डल होना चाहिए। यह मंत्री-मण्डल तो पौबारा-पच्चीस का 30 पर्सेन्ट है। तो फिर आपका क्या सिद्धान्त है? आपाधापी करों और राज्य करो, यह आपका सिद्धान्त है। आप ही खुद कानून बनाते हैं और आप ही खुद कानून को तोड़ते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्थान में भी 10 पर्सेन्ट करवा दें तो लोग तो रूठ लिये बैठे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : 25 वर्ष की आजादी के अन्दर 9 वर्ष तो इमर्जेन्सी आपने रखी। 9 वर्ष की इमर्जेन्सी के अन्दर जितने भी मौलिक अधिकार जनता के थे वे सब समाप्त कर दिये। यह कोई जनतन्त्र है? यह तो एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति है। अब क्या कारण है कि आप इमर्जेन्सी को जारी रखते हैं? आपके शासन, आपकी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिये यह आपने इमर्जेन्सी को भी कायम रखा है। बंगला देश अगर बना तो स्वागत है, लेकिन उससे हमको क्या फायदा हुआ? और अब कोई आश्चर्य नहीं है कि बंगला देश एक खतरा बन जाय और आश्चर्य नहीं कि वही का वही बंगला देश पाकिस्तान से भी हाथ मिलाये।

मैं उदाहरण के रूप में वाटरगेट कहूं कि एक देश है वहां पर जुडीशियरी न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका भी है और वहां पर न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ और मजबूत है कि हैड आफ दी स्टेट यानी राष्ट्रपति को भी अलग कर सकती है। उसका उदाहरण यहां वाटरगेट का अगर भारतवर्ष के ऊपर लागू करें तो मैं समझता हूं कि यह पर तो फ्लडगेट खुल रहे हैं।

आन्दोलनों के सम्बन्ध में अभी जो चर्चाएं हुई कि पुलिस सर्वेसर्वा है। पुलिस

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जानती है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है,

(4.06 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पीठासीन)

क्योंकि अगर सरकार, कुछ करे तो वही पुलिस सरकार का पलड़ा बदल सकती है। आन्दोलनों को दबाने के लिए पुलिस की सरकार को आवश्यकता है कर्मचारियों की निन्दा करने का मैं आदी नहीं हूं। मैं पुलिस वालों की निन्दा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से आज देश के अन्दर आक्रोश बढ़ता जा रहा है उसका कारण भी पुलिस का अत्याचार है। कहीं पर लाठी, कहीं पर गैस, कहीं पर गोली, कहीं पर डंडाबाजी, हर तरह से मार-पीट ऐसी हो रही है कि मैं तो समझता हूं कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भी नहीं हुई। आखिरकार राजनैतिक कारणों से ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर उनके विरोधियों को यानी ऐसे व्यक्तियों को जिनको गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि उनको भी अगर कैद करती थी तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कैद करती थी। यहां पर जयप्रकाश नारायण को भी आपने डंडों से मारा। वह कुरुक्षेत्र गये तो उनकी मोटर के ऊपर भी पथराव किया। आप हर तरह से दमन–चक्र को अपना रहे हैं और जन-आन्दोलनों को दबाना चाहते हैं। पटना के अन्दर रैली हुई तो जगह-जगह नावों को, किश्तियों को भी रोका, रेलों को भी रोक दिया, बसों को भी रोक दिया और पटना के अन्दर लोगों को आने से रोक दिया, और खुद के लिए जब आपकी रैली हुई तो हर तरह से उसको प्रोत्साहन दिया। आपके मित्र सी. पी. आई. की भी रेली हुई तो उनको हर तरह से प्रोत्साहन दिया। यह दो तरह की नीति अपनाना, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि जनतन्त्र की द्योतक नहीं है। सत्ता को जनता को खुश करके, राजी होकर आप छोड़ना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। जब माननीय प्रधान मंत्री बांसवाड़ा गई तो उन्होंने सीधे सीधे यह कहा कि राहत कार्यों के सम्बन्ध में धन जुटाने के लिए सरकार को स्वयं प्रबन्ध करना चाहिए। अब सरकार के पास पैसा तो है नहीं। सरकार बन गई है दीवालिया। करोड़ों रुपया तो कर्ज का हो गया। बजट को बैलेन्स करके स्वावलम्बी बनना सरकार ने कभी सीखा नहीं और केन्द्र से भीख मांग कर के अपना पेट पूरा करके शासन चला रही है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर आज गरीब आदिवासियों के सम्बन्ध में माननीय समर्थक महोदय ने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं... मैं भी यह कहता हूं कि डूंगरपुर जिले में लोग भूख से मर रहे हैं। और मरेंगे, अगर अकाल राहत कार्य नहीं खोलेंगे 23 जिलों को आपने अकालग्रस्त घोषित किया है। मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी को नहीं किया है। आसलपुर पंचायत को घोषित नहीं किया है। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? बिजली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो हरिदेव जी को रिजर्व हो गई ।

श्री लक्ष्मणसिंह : हो गई होगी, लेकिन मेरा हक है । विधान सभा से सम्बन्धित हूं तो कहने का मेरा हक है । मुझे सारे राजस्थान के बारे में कहने का अधिकार है । और, आपको सुनने का अधिकार है । (मा. सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह के उठने पर) क्या माननीय सदस्या कुछ कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनने का हमारा अधिकार नहीं, कर्तव्य है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिजली के बारे में निवेदन करूंगा, बिजली जैसी बहुमूल्य वस्तु जो उत्पादन का खास कारण है । उसको आप दूसरों को दे रहे हैं । अपने घर के अंदर अंधेरा और दूसरों के घर में उजाला । आप दूसरों को बिजली दे रहे हैं । हमारे यहां सिंचाई के लिए नहीं है ।

श्री दीपंकर : जरूरत पड़ने पर हम भी दूसरों से लेते हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह : तो मैं निवेदन करूंगा जहां तक कन्स्ट्रक्टिव वर्क का पक्ष बरता जाये तो मैं निवेदन करूंगा सच्चाई आप ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है । मैं समझता हूं, जहां जन-विरोधी भावना है, यह जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, फासिस्ट प्रवृत्ति है, यह इस सदन की गरिमा के विपरीत है । मैं समझता हूं कि असेम्बली एक डिबेटिंग सोसायटी के रूप में रह गई है । यह डेमोक्रेसी नहीं है । Democracy is a rule of compromise यह दूसरे रूप में भी है । ऊपर से मुख्यमंत्रियों को थोपना । उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं । यह प्रवृत्ति भी जनतन्त्री विरोधी प्रवृत्ति है ।

मैं अब जंगलों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । मैं शुरू से वनों का प्रेमी रहा हूं । जिस निर्दयता से उदयपुर डिवीजन के वनों को काटा गया है, शायद 500 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है । कई वर्ष पहले मुझे मालूम है, पानरवा जंगल काण्ड हुआ था उस समय के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया के बारे में तरह तरह की बातें कही गई हैं । ठेकेदारों की प्रथा तो समाप्त हुई लेकिन कर्मचारियों की प्रथा आरम्भ हुई है । मामेर नाम का एक जंगल है, पानरवा के पास बहुत बड़ा जंगल था जिसको काट कर साफ कर दिया गया है । न मालूम कितना साफ कर दिया है । 25 गाड़ियां पकड़ी गई हैं । उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ है । डूंगरपुर के पास रेड नाम का जंगल है जिसको कर्मचारियों ने जड़ तक को निकाल कर बेच डाला है । मेरी हथेली के माफिक कर दिया है । उसमें बिल्कुल घास नहीं है । हजारों मवेशी मर जायेंगे । आपको विरोधी पक्ष कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दे तो वह तो मानना चाहिये । ऐसी जगह हैं, जहां हजारों मवेशी चर सकते हैं ।

सरकार चाहे तो बीड़ के लिए व्यवस्था कर सकती है । ड्राउट प्रोन एरिया बनाया । उसकी रूपरेखा मैंने देखी । 500 हैक्टेयर में जंगल हो । यह कोई जंगल 500 हैक्टेयर में होता है । कोई पराकाष्ठा है । कोई बगीचा लगाना है या जंगल के लोगों को आईसोर पैदा हो जायेगा । यह केवल फैसले बाजी में बरबाद करना । So where there is a will there is a way

(श्री लक्ष्मणसिंह)

परबत पर खोदे कुआ कैसे निकले तोय।

विश्व बैंक के सम्बन्ध में जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, वह कैसे होगा यह तो समय बतायेगा। लेकिन जो कुछ कहा है, मैं उसका स्वागत करूंगा।

आपने 18 लाख 86 हजार किसानों को 3 वर्ष में पासबुक दी हैं। यह कुल खातेदारों का प्रतिशत है। अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि अजमेर जिले में किसानों को पासबुक नहीं मिली है। पासबुक का जो एक कदम आपने उठाया है, वह अच्छा और ठीक है। किन्तु प्रगति आपकी शिथिल है। उसकी रफ्तार को तेज करिये।

कडाना बांध के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा। विस्थापितों को इस बुरी तरह से बसाया है। जो वहां गांव में पहले रहने वाले थे वह महान दुखी हैं। जो बसाये गये हैं, वह भी दुखी हैं। मवेशियों को खड़े रहने को जगह नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। राजस्थान लैण्ड रिफार्मस बिल और राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड (अमेण्डमेंट) बिल, 1975 आप लाये हैं। मैं जानता हूं, आज के जमाने में कोई हजारों बीघा जमीन नहीं रख सकता है। जब आपके पास कामन ला है तो आप उसको क्यों रख रहे हैं। उसका कोई औचित्य नहीं लगता है। दो करोड़ जनता के अन्दर 22 व्यक्तियों को from the frying pan to fire पटकना होता है। अगर कुछ बदले की भावना हो तो और उसके अन्दर आपको मजा आता है तो मजा ले लीजिये। फिर 22 व्यक्तियों के लिए स्पेशल लॉ लाते हैं। तो मेरे ख्याल में It is such special law that it is a lawless law.

आप हमारी जमीन लें। आपने गंगानगर में सन् 71 तक की जमीन रेग्युलराइज की है। लेकिन जिन 22 व्यक्तियों को, जिन लोगों ने त्याग किया है, उनके अन्दर 1964 से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लगाना चाहते हैं। अगर यह लगाना चाहते हैं तो 1947 से लगा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारतीय लोक दल की नीति राइटिस्ट रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक तरफ सीलिंग कानून लागू हो गया। उसको कोई माननीय सदस्य रद्द कर सकते हैं? वह रद्द करेगी सरकार, वह गिर जायेगी। वह तो जिस रफ्तार से जमाना आगे बढ़ा है, वह बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो कानून में खामियां मुझे दीखती हैं, उनको पाइन्ट आउट करने का मुझे जिस हद तक अधिकार है उसी हद तक आपको अधिकार है····

श्री दीपंकर : खामियों के नाम पर पुरानी याद आ रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बाईस निर्धन व्यक्तियों के बारे में आंसू गिराने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप आंसू नहीं गिरायें, आप खुशी मनायें–मुझे आपत्ति नहीं है। आप मर्जी हो जो कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : खुशी तब मनाऊंगा जब बकाया समाप्त हो जायगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपका शासन आये तब बकाया खत्म कर दीजिये–उसका स्वागत करूंगा। आपको जल्दी क्या है वह जमाना आ रहा है, मैं जिन्दा रहूंगा तो वह भी देख लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जिन्दा रहेंगे और देखेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं देखूंगा। हंस कर बात करूंगा और हाथ मिलाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको जिन्दा रखेंगे और दिखायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : जितना दिखायेंगे, देखूंगा।

श्री दीपंकर : आप उदाहरण पेश करें स्वयं सब कुछ देकर !

श्री लक्ष्मण सिंह : बहुत सारा समय हो गया है। मैंने कुछ कहा भी हो और माननीय सदस्यों को खराब लगा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं जरूर कहता हूं, जो कुछ देखता हूं, वह खरी बात कहता हूं। अतएव मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो इस सदन के सम्मुख हुआ है, इस तरह का दर्पण है, जो कार्य और घटनायें, ऐसी महत्वपूर्ण घटनायें पिछले साल हुई हैं, वह नजर आयें। वह इस बात का भी दर्पण है कि अगले वर्ष क्या स्कीम, कौन से कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, उससे राज्य का क्या विकास होगा। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चाहे परम्परागत क्यों न रहा हो लेकिन मैं यह बात निश्चित् तौर से कह सकती हूं कि इस साल जैसा अभिभाषण पिछले कोई सात आठ वर्ष में इतना विस्तृत इस सदन के सम्मुख नहीं रखा गया। इस बार इस अभिभाषण में सारे पहलुओं को बताया गया है, छोटी छोटी बातों को उसमें दर्शाया गया है। इसलिए इस अभिभाषण का मैं स्वागत करती हूं।

इस अभिभाषण में सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने एक स्थिति का विश्लेषण किया है–इस राज्य में अकाल एक हमेशा की परिस्थिति है। अकाल राजस्थान में करीब करीब दस साल में सात बार पड़ जाता है। इस साल अकाल का तीसरा साल रहा है। पिछले साल भी कई बार शुरू शुरू में वर्षा हुई थी तो किसानों को ऐसा लगा था कि अब की बार अकाल नहीं होगा, इसलिए किसानों ने अपनी पूंजी लगा कर जितना जो कुछ उनके पास था, खेती पर लगा दिया। लेकिन एक वर्षा के बाद दुबारा वर्षा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि किसानों की हालत पहले से बदतर हो गई। जो कुछ उनके पास था, वह भी खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने इस बार अकाल की स्थिति को दूर करने के लिए करीब 22 करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की है। उसमें डेढ़ करोड़ रुपया तो प्लान से डाईवर्ट किया है और 10.19 करोड़ का पिछले साल से बनाया गया था यह रकम अकाल के

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

लिए नियत की जायगी, व 10.24 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है। यह रकम इस अकाल की स्थिति को मीट विथ करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। इतने व्यापक अकाल के होने के बाद इतनी रकम से उन लोगों, जिनको दो टाइम खाना नसीब नहीं होता, का टाइम निकालना मुश्किल की बात है। लेकिन राज्य सरकार की मजबूरियां हैं इस बात को जानती हूं, उसके बावजूद मैं चाहती हूं कि जिस तरह बीकानेर जिले, जैसलमेर जिले, बाड़मेर जिले के लोगों को राजस्थान नहर पर भेजने की बात की गई थी–राजस्थान नहर ऐसी योजना है, जो राष्ट्र के महत्व की योजना है, उसमें ऐतराज की बात नहीं है कि लोगों को वहां भेज कर काम दिलाया जाय। लेकिन 1 लाख लोगों को भेजने की बात कही गई थी, उस सम्बन्ध में मैं आज कह सकती हूं कि राजस्थान नहर पर सत्तर हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं, उससे अधिक वहां पर गुंजाइश नहीं है कि ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार दिया जाय। यह बात इसलिए कह रही हूं कि राजस्थान नहर का प्रथम चरण, जो कई वर्ष पहले पूरा होता, के लिए इतना कहा गया था राज्य सरकार की तरफ से कि 72 से पहले पूरा होगा, वह अब जाकर 1975–76 में पूरा करने की बात कहती है। 1976 तक जाकर पूरा नहीं हो, इसलिए वहां पर चूंकी धनाभाव है, 14 करोड़ रुपया पिछले वर्ष व्यय करने की बात कही जाती है लेकिन मैं यह बात कह सकती हूं कि वहां पर जितने लोग लगे हुए हैं, लूणकरणसर लैफ्ट और पूंगल ब्रांच के पास काम है, बाकी कच्चे नाले खोदे हुए हैं, उनके लाइनिंग का काम है इसके अलावा कोई काम नहीं है। वहां पर बाड़मेर से गयी हुई लेबर, जो पूंगल शाखा पर गये थे, को वापिस जाना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगी, राजस्थान नहर एक राष्ट्र-व्यापी नहर है, इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैं मुख्य मंत्री की इस बात का स्वागत करती हूं, उन्होंने इस बात को माना है, इस पंचवर्षीय योजना में किसी तरह इस राजस्थान नहर के काम को पूरा करवाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन राजस्थान नहर का काम है, मैं यह कहूंगी, शुरू से ऐसी मन्द गति से चला, जैसे कछुए की चाल होती है। 182 करोड़ की योजना की एक, डेढ़ करोड़ रुपये से शुरूआत की गई। तो इस तरह से व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी, चाहे इस तरफ बैठने वाले हों चाहे उस तरफ बैठने वाले हों–इस सदन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पुरजोर शब्दों से पारित करके केन्द्रीय सरकार को भेजा जाय कि राजस्थान नहर का जहां तक काम है, इसको तेजी से लिया जाय।

आज अनाज की दिक्कत है, अनाज की दिक्कत की बात करते हैं और बाहर के मुल्कों से अनाज मंगाते हैं, जिसका फौरेन एक्सचेंज में पैसा देना पड़ता है। यह पैसा हम बचा कर राजस्थान नहर पर लगायें तो अनाज बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। उससे हमें काफी सहूलियत मिल सकती है। तो अकाल की जहां तक व्यवस्था है, राजस्थान सरकार ने, पानी की व्यवस्था के लिए 103 सैन्टर से, उसके माध्यम से नल कूप चलाने व पानी की व्यवस्था की है, वहां पर ग्रेचुट्स रिलीफ भी दिया है। पानी के बारे में वेस्टर्न राजस्थान के बारे में

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

निवेदन करना चाहूंगी कि बराबर अकाल की स्थिति में दस मील, बीस मील दूर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। टेंकरों से वहां पानी पहुंचाना पड़ता है। कुछ बेंड्स ऐसे हैं जहां खारा पानी उपलब्ध है लेकिन मीठा पानी का बरसात के अलावा कोई सोर्स नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब कि अकाल निरन्तर पड़ता है, इस बात को पिछली बार, कई बार कहा गया कि जल योजनाओं के माध्यम से, पाइप लाइन डाल कर ऐसे क्षेत्रों में जहां खारा पानी उपलब्ध होता है, मीठा पानी उपलब्ध कराया जाय। टेंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने में रेकरिंग एक्सपेंडीचर हर अकाल में बहुत करना पड़ता है-उससे बच सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र में कई गांव हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं है, वहां वाटर पाइप लाइन डालने के सिवाय पानी पहुंचाने का और कोई चारा नहीं है। कोलायत में मडाल गांव में न कुआ है, न कोई और साधन है। रामेरी का कुआ है उसको चालू करना है। पानी की व्यवस्था के लिए गडियाल स्कीम थी, वहां पानी होना दूर है, वहां पर सोर्स में वाटर है, उसमें डीजल के माध्यम से टयूब वेल चलाते हैं और दस ग्यारह गांवों में जहां पानी जाता है, पानी वहां पहुंचाने और चलाने की रनिंग कास्ट काफी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ऐसी जगह जहां पानी उपलब्ध हो सकता है, वहां पर विशेष ध्यान देकर ऐसी योजनाओं को पहले हाथ में लिया जाय ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाय और पानी की व्यवस्था भी हो जाय। मैं मानती हूं कि ऐसी योजनायें हैं यह पेइंग स्कीम नहीं हैं, लेकिन पानी की स्कीम है वह ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आती है, बिजली की स्कीम है वह घरेलू बिजली कुओं को चलाने के काम में आती है इस बात को देखा जाता है कि वह सिंचाई के काम में नहीं आती है-इसलिए मंहगी पड़ती है। जो एक बात कहते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम की बात करते हैं, मैं समझती हूं, चाहे मंहगी पड़े लेकिन इन्सान के लिए पानी की व्यवस्था तो कम से कम करनी पड़ेगी। कुदरत ने हवा दी है, लेकिन पानी की व्यवस्था तो राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगी कि चाहे मंहगी स्कीम क्यों न हो इनकी वहां पर जल्दी करना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि रोजगार देने की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अकाल में रोजगार देने के अलावा दूसरे भी बेरोजगार यहां बहुत हैं। उस बेरोजगारी के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज पढ़े लिखे बेरोजगार इस प्रान्त में बेकार बैठे हैं, उनकी बेरोजगारी को हमें निश्चित रूप से देखना होगा।

अभी अभी सदन में जन-आन्दोलन की बात कही गई थी, यह कहा गया कि कांग्रेस वाले अधिनायकवाद से सरकार चलाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि विरोधी दल के लोग प्रजातन्त्र को फेल करना चाहते हैं। जनता के मैन्डेट द्वारा चुने हुए लोगों को वापिस लाने की बात उन्होंने कही और बिहार में उत्पात किया। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी, इसके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

मैं राज्य सरकार से आशा करती हूं कि वह निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ कहेंगे ।

राज्य सरकार ने नरोड़ा सैशन में लिए हुए फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीन अलाट करने की बात कही है और गरीब लोगों को, करीब साढ़े पांच लाख आदमियों को जमीन के पट्टे भी अलाट किये हैं । मैं इस बात का स्वागत करती हूं । लेकिन पट्टों के साथ-साथ मकान बनाने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी । इस के बारे में यह बात कही गई कि 15 हजार मकान 1975 तक बना दिये जायेंगे जिस पर हाउसिंग कोआपरेटिव फाइनेन्सिग सोसाइटी से 4 हजार रुपये लोन देने की व्यवस्था की जायेगी । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 4 हजार रुपये प्रति मकान के हिसाब से 15 हजार मकानों के लिए 6 करोड़ रुपये बनते हैं । इसकी व्यवस्था कैसी होगी यह कहीं भी दर्शाया नहीं गया है । राजस्थान की जो आज वित्तीय स्थिति है, उसके अन्दर यह पैसा कहां से उपलब्ध होगा, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं नहीं मिला । इसके लिए मैं राज्य सरकार से जानकारी चाहूंगी कि इस पैसे की व्यवस्था कैसी होगी ।

जहां राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है, उसका भी मैं स्वागत करती हूं । आज ढर्रा की तरह एक एज्युकेशनल सिस्टम चलाया जा रहा है, उसमें एक चेन्ज लाने की, उसको वोकेशनल एज्युकेशन की तरफ मोड़ देने का मैं स्वागत करती हूं प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षा को तो हमने काफी बढ़ावा दिया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी अभिभाषण में दी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में, डाक्टर्स और इन्जीनियर्स की शिक्षा के बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा है । इतने जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में कुछ भी जिक्र नहीं है ।

एक बात का मैं खास तौर से स्वागत करती हूं कि पहली बार राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में हमें श्रमिक वर्ग के बारे में कोई जिक्र मिला है । श्रमिक वर्ग के लिए हमें निश्चित रूप से यह बात देखनी होगी कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन जो दरें न्यूनतम वेतन की तय की गई हैं वह बहुत कम हैं । स्किल्ड और सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम वेतन रखा गया है, 130 रुपये और 160 रुपये की जो दर मुकर्रर की गई है, वह आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है । उसको बढ़ाने के लिये सोचना होगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योगीकरण के बारे में भी कहा गया है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले कई वर्षों से हमारा प्रान्त उद्योगों में बहुत पीछे रहा है । सूती मिलों के लिये 15 लाइसेन्स की बात कही गई है लेकिन मैं महसूस करती हूं कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं वहां पर औद्योगीकरण की तरफ नजर नहीं उठाई गई । जैसे मेरा क्षेत्र बीकानेर आता है, उसमें एक पलाना खान है, जो पहले चला करती थी और उस खान से कोयला उपलब्ध होता था । जब राजस्थान नहीं बना था, उस समय यह खान फायदे में चलती थी लेकिन राजस्थान बनने के बाद इस खान

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

से घाटा होने लगा और वह खान बन्द कर दी गई। आज देश में कोयले की जरूरत है और पावर की जरूरत है लेकिन कई बार इस सदन में इस खान को चलाने की मांग रखने के बावजूद भी यह कहा जाता है कि खान में आग लग जाती है। इसलिये बन्द कर दी गई है। यह बहुत महत्व पूर्ण खान है और इसको चालू करने से हमको कोयला उपलब्ध हो सकता है और थर्मल पावर भी मिल सकता है लेकिन नेतृत्व के अभाव में कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले अधिवेशन में विद्युत मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बनाई जा रही है कि इस खान को किस प्रकार चालू किया जाये। उस अधिवेशन को भी बहुत समय हो गया लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई।

तो राजस्थान के एक हिस्से का औद्योगीकरण करें और दूसरे हिस्से का नहीं करें, इससे असन्तुलन बढ़ जायेगा। पलाना खान से बहुत फायदा हो सकता है। आज कृषि के विकास की बात करते हैं तो फर्टीलाइजर की बात भी आती है। फर्टीलाइजर्स के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान नहर आने से यहां पानी भी मिल जायेगा, वहां श्रम की कोई कमी नहीं, वहां पर जिप्सम भी उपलब्ध है और पलाना से थर्मल पावर भी मिल सकता है, तो वहां पर फर्टीलाइजर फैक्ट्री की व्यवस्था की जा सकती है।

इसके साथ साथ वहां पर एक ऊनी मिल है जिसके लिये पांच हजार स्पिन्डल्स का लाइसेन्स राज्य सरकार को मिला हुआ है लेकिन खेद की बात है कि वहां पर केवल 1200 स्पिन्डल्स का ही उपयोग किया जा रहा है और दूसरी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। आज एक तरफ उस मिल में घाटे की बात कर रहे हैं और मजदूरों को निकालते हैं क्योंकि वहां काम नहीं और दूसरी तरफ वहां पर मशीन्स आइडल पड़ी हुई हैं। इसलिये जब आज औद्योगीकरण की बात करते हैं, तो जहां पहले ही औद्योगीकरण हो रखा है उसको तो पूरा चलाया जाये। पांच हजार स्पिन्डल्स का जो लाइसेन्स उस मिल के लिये मिला हुआ है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिये।

एक बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डेरी के सम्बन्ध में थी। बहुत से जिलों में डेरी का विकास किया जा रहा है और यह खुशी की बात है। लेकिन बीकानेर, जिसको राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्तान का भी डेनमार्क कहा जा सकता है, वहां पर जो राठी नस्ल की गाय है, उसका दूध किसी भी नस्ल की गाय से कम नहीं होता और दूध से बनने वाली जो चीजें हैं, घी, मक्खन, पाउडर आदि उसकी मात्रा भी अधिक है, वहां पर एक डेरी योजना बनाई जा रही है, एक करोड़ 82 लाख की स्कीम है, वह धनाभाव के कारण फेल हो रही है, वहां एक लाख लिटर दूध डेली इकट्ठा किया जा सकता है जिससे घी, मक्खन, दूध का पाउडर आदि चीजें बनाई जा सकती हैं। उस स्कीम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था की जाये।

प्लान की यहां पर कही गई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया है लेकिन यह जो प्लान है वह

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

फिनेन्शियल लिमिटेशन्स के कारण पूरी नहीं हो पायेगी। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की इस साल 105.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है लेकिन पता नहीं चलता कि भारत सरकार इस पांच वर्षीय योजना में कोई पैसा देगी या नहीं। इसलिये हमारा जो विकास कार्य है वह कर नहीं सकते। मैं मानती हूं कि देश में इन्फ्लेशन है और उस इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं यह भी हमको देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का कारण चाहे बंगलादेश की लड़ाई हो, चाहे अरब देशों की तरफ से बढ़ाई हुई तेल की कीमतें हों, यह बात जरूर है कि आज इन्फ्लेशन है और आज गरीब आदमी उससे पीड़ित है। तो प्लान के बारे में मेरा निवेदन है कि 105.50 करोड़ रुपया जो रखा गया है, उससे सारे प्लान वर्क्स पूरे नहीं हो पायेंगे। इसके अलावा वर्क्स का कास्ट भी और बढ़ेगा। इसलिये प्लान पर भी पुनः विचार करना होगा और जैसे भारत सरकार प्लान पर रिव्यू कर रही है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी प्लान पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि हालांकि खरीफ की फसल खराब होगयी थी इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को अनाज वितरित करने के लिये लेवी ली गयी थी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि रबी की फसल आगे अच्छी होने की उम्मीद है और राज्य सरकार काफी मात्रा में अनाज इकट्ठा कर सकेगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आपने जो पिछली बार अनाज की लेवी ली उसमें मोटा अनाज ही अकालग्रस्त एरिया में वितरित किया। इसके साथ साथ मैं यह भी जानती हूं कि अनाज हमारे यहां पर कम पैदा होता है जो अनाज हमें भारत सरकार से मिलता है उतना ही हम वितरण कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य सरकार की वितरण व्यवस्था है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। और खासतौर से रूरल एरिया में तो वितरण व्यवस्था ऐसी खराब है कि लोगों को पूरी चीजें नहीं मिलती हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पैदावार नहीं होती उसके अलावा जो लोगों की गरीबी के कारण क्रय शक्ति बहुत कम है। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह बाजार से अनाज लाकर खरीद सकें। आप जो मोटा अनाज रूरल एरिया में देते हैं वह सिर्फ दो किलो देते हैं तो दो किलो अनाज से गरीब लोगों का कैसे पेट भर सकता है। इधर आप शहरों में शहरी जनता को तीन किलो गेहूं देते हैं। आखिर आप इतना फर्क क्यों रखते हैं? एक तो आप शहरी जनता को तीन किलो गेहूं दें और ग्रामीण जनता को सिर्फ दो किलो माईलो दे। वैसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, शहरी जनता की क्रय-शक्ति ग्रामीण जनता से अधिक है दूसरे शहर के लोग तो जोर जबरदस्ती से रोला करके बन्द वगैरहा करके ज्यादा अनाज ले लेते हैं। लेकिन गांवों की जनता जो कि गरीब है शहरी लोगों की तरह रोला नहीं कर सकती उनको आप गेहूं नहीं दें कोई बात नहीं पर माईलो तो शहर के बराबर दें। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जो जो भी जरूरी चीजें हैं उनका वितरण सही ढंग से ग्रामीण एरिया में नहीं हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

अपने अभिभाषण में यह कह दिया कि अनाज के अलावा राज्य सरकार ने और दूसरी जरूरी चीजें बांटने के इन्तजामात किये हैं, जैसे, चीनी, वनस्पति, केरोसीन आदि। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि मोटा कपड़ा, सीमेन्ट और कोयला भी ग्रामीण क्षेत्र में ठीक ढंग से दिलाया जा रहा है। यह बात मैं मेरे क्षेत्र के लिये तो कह सकती हूं कि हमारे यहां पर ग्रामीण जनता को चीनी, केरोसीन, सीमेन्ट आदि बिलकुल नहीं मिल रही है इसके लिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वह ग्रामीण एरिया में खासतौर से बीकानेर डिवीजन में लोगों को यह जरूरी चीजें उचित मात्रा में दिलायी जायं। हां मोटा कपड़ा कोई एकाध सहकारी समिति को अगर हाथ आगया हो तो बात दूसरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मेरे क्षेत्र के बारे में कह सकती हूं। इसके लिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जरूरी चीजें हैं चाहे चीनी हो, कपड़ा हो, अनाज हो, कुछ भी हो वह प्राईवेट लोगों से नहीं कराकर उसका वितरण कोआपरेटिव के माध्यम से होना चाहिये। क्योंकि प्राईवेट लोग गांवों का अनाज, कपड़ा वगैरह गांवों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं।

इसके अलावा किसानों को राज्य में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कर्ज राजस्थान कोआपरेटिव बैंक्स और केन्द्रीय सहकारी बैंक्स द्वारा 30 करोड़ रुपये का कर्ज सन् 1974 में दिया गया था उसका भी उल्लेख है तथा इस साल 37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पर मैं समझती हूं कि यह टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे यहां पर जो 30 करोड़ रुपया आपने बांटा है वह शार्ट टर्म लोन है और राजस्थान में लगातार अकाल पड़ने के कारण किसानों की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से वह चुका नहीं पायेंगे। इसलिए मेरा यह राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप यह लोन मीडियम टर्म में परिवर्तित करदें तो अच्छा हो। वरना वसूली में दिक्कत आयेगी। मैं राज्य सरकार का ध्यान खासतौर से इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं और निवेदन करूंगी कि वह इस ओर ध्यान दें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चिकित्सा सुविधा के बारे में भी कहा गया है कि जयपुर में एक जनाना अस्पताल जे.के. सिन्थेटिक्स की सहायता से बनना शुरू हो चुका है, तथा साथ में राज्य सरकार रिहेबिलीटेशन रिसर्च केन्द्र भी बना रही है, जो कि करीब 15 लाख रुपये का होगा।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 25 परसेन्ट नेशनेलाईजेशन तो रूट्स का हो चुका है और इस साल के अन्त तक राज्य सरकार 28 प्रतिशत रूट्स का नेशनेलाईजेशन करा सकेगी इसका तो मैं स्वागत करती हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक दो मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उनका इसमें उल्लेख भी नहीं किया गया है जिसकी तरफ ध्यान दिलाना मैं जरूरी समझती हूं। पहला तो यह है कि यह साल इन्टरनेशनल महिला वर्ष है इसमें महिलाओं को समान अधिकार वेतन के मामले में मिलना चाहिये था। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार महिलाओं को

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

भी पुरुषों के समान वेतन दें। यह असमानता जो वेतन में है उसे तुरन्त दूर किया जाना चाहिये।

इसके अलावा राज्य सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं कि पूर्ण शराब बन्दी के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ यही उल्लेख किया गया है कि दो जिलों में शराब बन्दी की गयी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब पूर्ण नशाबन्दी की नीति में विश्वास करती है तो उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्यों नहीं हुआ? इसलिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस ओर कदम उठाये।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनुसूचित जातियों एवं हरिजन बस्तियों में पानी के नल लगाने और जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ व सरदार शहर में गन्दे पानी के निकास की योजनाओं का काम शुरू किया गया है उसका भी उल्लेख किया गया है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि बीकानेर में कोई काम ड्रेनेज के लिये नहीं शुरू हुआ है। एक पुरानी स्कीम जो गिडाणी की चल रही थी जिस पर 27 लाख रुपये राज्य सरकार का खर्च करने का प्रावधान था वह तो काफी वर्ष पहले की स्कीम थी और सन् 67 से चल रही है। बाकी बीकानेर में कच्ची बस्तियों और हरिजन बस्तियों में जहां हालत खराब है काम शुरू होना चाहिये। जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बीकानेर का उल्लेख किया है उसको में सही नहीं मानती हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन लोगों को विशेष रियायत के रूप में राजस्थान नहर क्षेत्र 30 पर्सेन्ट आराजियात (भूमि) इनको दी जायेगी। और करीब 8901 व्यक्तियों को भूमि इसमें एलॉट की जा चुकी है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आपने इनको भूमि तो एलॉट करदी है, लेकिन इन लोगों को आपने इसे खरीदने के लिये ऋण देने की व्यवस्था नहीं की है। चूंकि इनके पास पैसा नहीं है और आपने इन्हें भूमि एलॉट करदी है तो यह पैसे बगैर कैसे भूमि खरीदेंगे? अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इन लोगों को बैंक से लोन दिलावें और उन्हें किश्तों में चुकाने का प्रवधान करावें ताकि यह लोग उस जमीन को उपयोग में ला सकें। वरना उन्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में इन लोगों को जमीनें मिलें और वह लोग उनसे फायदा उठावें तो उन्हें बैंक्स से लोन दिलावें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य स्तर पर मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है जो हर दो महीनों में एक बार इन योजनाओं के तहत हुए काम का जायजा लेगी और उसका लेखा-जोखा देखेंगी। इसका मैं स्वागत करती हूं। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के भाषण में इस बात का उल्लेख है कि राजस्थान नहर क्षेत्र और चम्बल नहर क्षेत्र के लिये विश्व बैंक से

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

139 करोड़ राजस्थान नहर के लिये और 73 करोड़ चम्बल कमाण्ड एरिया के लिये मिला है जो वहां के विकास के लिये काम आयेगा। इसके अलावा वह भी उल्लेख किया है कि इन दोनों क्षेत्रों के लिये दो क्षेत्रीय विकास आयुक्त भी नियुक्ति किये गये हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सिर्फ इन आयुक्तों की नियुक्ति से ही यह काम पूरा नहीं हो जायेगा। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है राजस्थान नहर क्षेत्र और चम्बल कमाण्ड एरिया को एक विभाग की तरह ट्रीट किया जाना चाहिये जब तक आप उन्हें एक विभाग की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकेगा।

मैं राज्य-सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर सिंचाई की हालत हमारे यहां सुधर जाती है तो काफी अच्छी खेती हो सकती है, और हमारी फूड सिचुएशन पर बहुत असर पड़ सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों को आप एक विभागीय स्तर पर ट्रीट करें ताकि इसका सही उपयोग हो सके।

मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के बारे में यह कहा गया कि 16 करोड़ रुपया इसके लिये रखा गया है। जिनमें बुनियादी चीजें जरूरी हैं, जैसे मकान, चिकित्सा आदि इनकी व्यवस्था की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि, जो शिड्यूल्ड वर्ग के लोग हैं उनके लिये सही माने में इसका उपयोग हो सके और निश्चित तौर से इसके लिये व्यवस्था देखनी चाहिये ये 16 करोड़ रुपया उनके लिये सही माने में खर्च हो सके।

पशुपालन के बारे में एक बात कही गयी। बीकानेर में भेड़ों का जहां तक प्रश्न है, जोधपुर और नागौर के लिये अभिभाषण में कहा गया मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बीकानेर में हिन्दुस्तान में जितनी ऊन पैदा होती है उसका 40 प्रतिशत वहां पैदा होती है। लेकिन जोधपुर और नागौर के लिये रखा गया यह बात समझ में नहीं आती है। 66 में जो भेड़ों की संख्या थी वह 72 में कम हो गयी। व्यवस्था की कमी के कारण। पशुपालन की दृष्टि से चाहे भेड़पालन हो या गाय-पालन हो, यह सारा इलाका एनिमल हस्बेन्ड्री पर निर्भर है। राजस्थान नहर के आने पर यह इलाका पनप सकता है तब तक पशुपालन ही आर्थिक व्यवस्था के लिये एक माध्यम है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस इलाके में जहां तक पशुपालन के विकास का सवाल है इस जिले को ठीक तरह से देखा जाय, जो पैसा जोधपुर और नागौर के लिये रखा गया है उसमें से डाइवर्ट करके यहां पर पशुपालन की व्यवस्था की जाय।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जितने कार्यक्रमों का विश्लेषण किया है उसका मैं स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य चाहे परम्परागत तरीका हो या खास तरीका हो मेरा समर्थन करेंगे और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

(श्री अमृत लाल गहलोत)

राजस्थान कृषि प्रधान देश है। किन्तु हमारी कृषि समृद्धि अन्य रियासतों से भिन्न है, हमारा भविष्य और तरक्की सारा निर्भर है बरसात पर। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो राज्य की इनकम बतायी गयी है, स्टेट इनकम बतायी गयी है वह बरसात के साथ घटती बढ़ती जाती है। 72.73 में अकाल था। कृषि उत्पादन गिर गया और हमारी स्टेट इनकम जैसा कि बताया गया है 740 करोड़ रह गयी। प्रति व्यक्ति 281। यह 54–55 के मूल्यों पर आधारित है। एट दी कान्स्टेन्ट प्राइसेज 1954–55।

73–74 वर्षा की दृष्टि से अच्छा वर्ष था। उत्पादन बढ़ा कृषि का और राज्य सरकार की आय 836 करोड़ हो गयी। इसका भी उल्लेख किया गया है अभिभाषण में। प्रति व्यक्ति 281 से बढ़ कर आय 304 हो गयी 8 परसेन्ट पर केपिटा इनकम बढ़ी। परन्तु घड़ी का पैन्डुलम दूसरी तरफ है। सूखा पड़ने से अब तक मूल्यांकन नहीं किया गया कि स्टेट इनकम कितनी होगी। परन्तु जरूर कह सकते हैं कि 12 परसेन्ट नहीं बढ़ी होगी......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 8 रुपया दस रुपया प्रति व्यक्ति। कितना गिनते हैं? 8 बढ़ गया या घट गया क्या पता लगता है?

एक माननीय सदस्य : आंकड़ों के आधार पर ही कह रहे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : राज्य की टोटल आय कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध आय यही तो आय के साधन माने जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बात तो आपकी सही है। मंत्री बनने की बात तो समझ में आयी यह बात समझ में नहीं आयी।

श्री अमृतलाल गहलोत : पूरी जन संख्या का भाग दिया तो प्रति व्यक्ति आय मालूम होती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रुपया पहले कम दिखता था, आज तो बहुत है। पांच दस तो फालतू की बात है।

श्री अमृतलाल गहलोत : इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इकोनामिक सर्वे है, दुनियां भर के लिए जो आधार माना जाता है वह यहां के लिए माना गया है। इनको नहीं मानेंगे तो किन को मानेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रुपया सिकुड़ गया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : पिछले वर्ष 25 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी इस वर्ष 35 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है। मैंने आंकड़े आपको बताये वे 1954–55 के कान्स्टेन्ट प्राइस पर बताये हैं करेन्ट प्राइस पर नहीं बताये हैं।

कृषि उत्पादन के लिए उल्लेख किया। खरीफ की फसल कितनी डाउन हुई। पिछले साल 36 लाख टन हुआ था। इस साल 16 लाख टन हुआ। परन्तु बरसात कुछ हुई, कुछ नहीं भी हुई, नये

Page No. 101

(101)

(श्री अमृत लाल गहलोत)

बिजली के कनेक्शन दिये गये, इन्टेन्सिव फिक्सेशन किया गया, बहुतसी चीजें मोहैया की गयीं इन सबसे यह अन्दाज किया गया है कि रबी 32 लाख टन से बढ़ कर उत्पादन 42 लाख टन हो जायगा । मैं समझता हूं कि आगामी महीनों में प्राइसेज में गिरावट आयेगी और आवश्यक वस्तुएं मिलने में सुगमता आवेगी । आप देख रहे हैं कि तेलों के भाव गिरे हैं यह अच्छी फसल का ही द्योतक है ।

आज का प्राइसेज का बढ़ना घटना यह बरसात के कारण बढ़ना घटना है । हम निरन्तर तरक्की करते रहें तो हमें सोचना पड़ेगा कि कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई साधनों को गतिशील बनायें ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि चम्बल कमाण्ड एरिया के लिए और राजस्थान केनाल एरिया के लिये 7 करोड़ और 140 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ वर्ल्ड बैंक से यह राजस्थान सरकार के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ा अचीवमेंट है । यदि यह सही ढंग से पैसा लगा और जिस प्रकार से उत्पादन चाहते हैं वह बढ़ गया तो राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल जरूर होगा, परन्तु साथ ही साथ यह थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा । 6 करोड़ एकड़ कुल खेती की जमीन है । 27 लाख हैक्टर अर्थात् 10 लाख एकड़ सिंचित है, बाकी असिंचित है । ये कमाण्ड एरिया डेवलप हो जावेंगे फिर भी तीन चौथाई भाग में सूखा रहेगा । हम दो दिशाओं में बढ़े । तीसरी दिशा में भी बढ़ना है एक तो यह है कि बाहर से जितना पानी ला सकें लायें, चाहे नदियों को लाना पड़े । कई बार बताया गया उपाध्यक्ष महोदय ! इसको मूर्तरूप भी देने की कोशिश की । गंगा का पानी कावेरी में ले जाने की योजना है । सूखे राजस्थान में क्यों नहीं गंगा का पानी आये । जो नदियां, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, गुजरात और मध्यप्रदेश में बहती हैं, उन नदियों का पानी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करें । दूसरा, ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गंगा में ही स्नान कर कावेरी का पुण्य लेना चाहते हैं इस गरीब राजस्थान नहर को ही रामगढ़ तक पहुंचा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे बुधवार, दिनांक 19-2-75 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

102.

परिशिष्ट—1

(ता. प्र. सं. 3 की सूची)

(धनराशि लाखों में)

वर्ष	मरम्मत धनराशि	मूल निर्माण धनराशि
1965–66	9.300	6.500
1966–67	11.500	8.100
1967–68	12.230	1.540
1968–69	14.750	0.351
1969–70	14.000	0.700
1970–71	14.000	9.300
1971–72	16.500	17.200
1972–73	21.000	14.880
1973–74	27.480	11.000
1974–75	34.000	16.500
Total:—	174.760	86.071

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं. 7 की सूची)

सूची उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की जिनकी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है

लाल कोठी योजना :-

(1) इन्द्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति।

(2) कृष्णपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति।

(3) साल्ट गृह निर्माण सहकारी समिति।

अजमेर रोड़ योजना :—

(4) लाला लाजपत राय गृह निर्माण सहकारी समिति।

(5) जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति।

(6) रामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति।

बजाज नगर से सांगानेर हवाई अड्डे तक का अवाप्ति प्रोजेक्ट :-

(7) मोजी गृह निर्माण सहकारी समिति।

(8) रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति।

(9) मालवीय नगर गृह निर्माण सहकारी समिति।

(10) जयपुर भवन निर्माण सहकारी समिति।

(11) गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति।

(12) राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति।

(13) लक्ष्मीनारायण पुरी गृह निर्माण सहकारी समिति।

(14) महालेखापाल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति।

(15) प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति।

(16) न्यूलाईट गृह निर्माण सहकारी समिति।

(17) जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति।

(18) जयपुर इन्डस्ट्रियल गृह निर्माण सहकारी समिति।

(19) बजाज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति।

(20) जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति।

(21) जयपुर बिल्डिंग गृह निर्माण सहकारी समिति।

(22) महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति।

(23) मार्डन हाऊसिंग सोसायटी।

राम बाग एवं रेजिडेन्सी क्षेत्र :–

(24) गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति।

अम्बाबाड़ी क्षेत्र :–

(25) जयपुर मेटल्स कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति।

Page No. 105

105

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण प्रश्नकाल में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

बेकन फैक्ट्री अलवर

9. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बेकन फैक्ट्री अलवर की स्थापना कब हुई तथा उसमें कुल कितनी पूंजी लगी है ?

(2) अब तक सरकार को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आमदनी हुई है तथा खर्चा प्रतिवर्ष कितना कितना हुआ है ?

उत्तर

(1) बेकन फैक्ट्री, अलवर की स्वीकृति वर्ष 64–65 में हुई एवं वर्ष 69–70 में कार्य पूर्ण हुआ। इस पर कुल राशि 33.70 लाख व्यय हुई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

बेगन फैक्ट्री, अलवर का वर्ष वार आमद तथा खर्चा निम्न प्रकार है:–

वर्ष	खर्चा	आमद
1969–70	2,26,607.26	5,786.12
1970–71	98,775.78	5,425.50
1971–72	1,03,478.10	34,149.73
1972–73	85,850.77	33,676.40
1973–74	1,35,230.00	55,910.00

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी कमीशन में मिक्समेरीन ऊन के नाम पर चोरी

10. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी कमीशन में मिक्स मेरीन ऊन के नाम पर चोरी की जाती है व ब्लैक में बेची जाती है ?

(2) यदि नहीं, तो मिक्समेरीन के कपड़ों पर मेरीन व देशी का प्रतिशत क्यों नहीं अंकित किया जाता ?

(3) प्रतिशत के प्रमाणीकरण की क्या व्यवस्था है ?

(4) क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार व चोरी को मिटाने के लिए सरकार शुद्ध मेरीन व शुद्ध देशी ऊन के कपड़े बनाने व मिक्स प्रक्रिया को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) खादी में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

(3) मेरीनों व देशी ऊन से मिश्रित कपड़ा बनाने वाली संस्थाएं, मिश्रण का विधिवत रिकार्ड रखती है। जिससे प्रमाणीकरण की जांच की जा सकती है।

(4) जी, नहीं। देशी ऊन में मेरीनो ऊन केवल कपड़े को कुछ मुलायम करने के लिए मिश्रित की जाती है।

श्री गंगानगर के किसानों से धान की लेवी

11. श्री गुरबयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि 11 दिसम्बर 1974 तक राजस्थान के किसानों को विशेषकर श्री गंगानगर के किसानों को धान की लेवी के सम्बन्ध में कोई भी मांग पत्र नहीं दिया गया था और किसानों का धान जो मण्डियों में पहुंचा हुआ था उसे बेचने से रोक दिया गया था।

(2) क्या यह सही है किसानों का धान मण्डियों में कई दिन तक खराब होता रहा जिसे व्यापारियों ने सस्ते भाव पर खरीद कर उसका आगे 172 रुपये के हिसाब से बेचान किया ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला श्रीगंगानगर में धान की फसल पानी की कमी के कारण नष्ट हो चुकी है और तीन क्विन्टल प्रति बीघा लेवी लगा रखी है जो उचित नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि धान की लेवी के भाव व बाजार में धान के भाव में 90 रुपये प्रति क्विन्टल का अन्तर है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

माही बजाज सागर बांध का कार्य

12. श्री **विट्ठल भाई** (पीपलखूंट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) जिला बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि माही बजाज सागर बांध में दरारें पड़ गई हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या जिन अधिकारियों की देखरेख में इसका काम करवाया गया था उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर बांध पर 31 दिसम्बर, 74 तक 1088.29 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है।

(2) माही बजाज सागर के पक्के बांध के कुल 23 खण्डों (Blocks) में से 4 में महीन दरारें (Hair Cracks) दिखाई दी हैं।

(3) इन महीन दरारों की जांच से पता चला है, कि ये साधारण (temprature Cracks) हैं और ऐसी बारीक क्रेक का कंक्रीट के बांधों में पाया जाना असामान्य नहीं है तथा बांध को कोई खतरे का प्रश्न नहीं उठता। इस कारण किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील कुशलगढ में वन विभाग द्वारा चरागाह भूमि पर कब्जा

13. श्री **जीथिंग** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा तहसील कुशलगढ़ में वन विभाग ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर बाउण्डरी वाल बना लिया है ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में कितनी चरागाह भूमि पर वन विभाग ने कब्जा किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील कुशलगढ़ के अधिकांश ग्रामवासियों ने उक्त सम्बन्ध की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

झालरापाटन में लेवी सेंटर के एजेन्ट के विरुद्ध शिकायतें

14. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन में 74–75 में लेवी सेंटर के एजेन्ट के विरुद्ध ज्यादा तोलने की शिकायतें की गई थीं परन्तु आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(2) क्या यह भी सही है कि अभी ज्वार की लेवी तौलने का एजेन्ट भी उक्त व्यक्ति को फिर बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई जो कि सही नहीं पाई गई।

(2) जी हां, शिकायत प्रमाणित न होने पर उसे हटाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

शहरी क्षेत्र में मकानों के लिए भू-खण्डों के वितरण की योजना

15. श्री **ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने राजस्थान में मकानों के लिए भू-खण्डों का वितरण ग्रामीण क्षेत्र की भांति शहरों में किये जाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ब्यावर तहसील में विद्युत लाइन लगाने की योजना

16. श्री **चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में ब्यावर, जवाजा, विद्युत लाइन लगाने की योजना की स्वीकृति कौन कौन से गांवों के लिए स्वीकृत है और इस लाइन का आखरी गांव कौन सा होगा ?

(2) क्या इस योजना के अन्तर्गत रावतमाल व तारागढ़ गांव भी आते हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को विद्युत कब तक मिल जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाजा मिनी आर. ई. सी. योजना में जवाजा सूरजपुरा, लोटियाना, छिलियाबार, कावरा, कोटरा कालिजर एवं राजियावास गांवों के विद्युतिकरण की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा हुई है। इस योजना का आखिरी गांव लोटियाना होगा।

(2) जी नहीं। ये गांव निगम की योजना में सम्मिलित नहीं है।

मारवाड़ शुगर मिल लि. भोपाल सागर शुगर फैक्ट्री को टैक्स की छूट

17. श्री **केशरी मल** (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सारे देश में शुगर केन सेस और शुगर केन परचेजेज नाम के टैक्स शक्कर के कारखाने वालों को देना पड़ता है जिसकी न्यूनतम राशि 19 पैसा शुगर केन सेस और 1) 50 पैसा शुगर केन परचेजेज टैक्स के रूप में प्रति क्विन्टल देना पड़ता है?

(2) क्या दी मारवाड़ शुगर मिल लि. भोपाल सागर शुगर फैक्ट्री उपरोक्त

(श्री केशरीमल)

प्रकार का टैक्स दे रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से ? ये टैक्स किस कारण से छोड़ा गया ? अन्दाज से इस टैक्स की राशि वर्ष में कितनी होती है ? क्या यह सही है कि करीब 15 लाख शुगर केन परचेजेज टैक्स और करीब 3 लाख शुगर केन सेस टैक्स का होता है ?

(3) क्या यह सही है कि ये सारा टैक्स शुगर क्षेत्र डवलपमेन्ट के नाम से और गांव से फैक्ट्री तक सड़कें बनाने के काम पर खर्च करना आवश्यक है ? क्या सरकार अब इस फैक्ट्री से ये टैक्स वसूल करने का इरादा रखती है या अभी भी इस फैक्ट्री को टैक्स की छूट देती रहेगी ?

उत्तर

(1) अलग अलग राज्यों में गन्ना नियंत्रण कानून के तहत अलग अलग नियम बने हुए हैं। राजस्थान में शुगर-केन सेस टैक्स तथा शुगरकेन परचेजेज टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अजमेर जिले के किसानों को पास बुकों का वितरण

18. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में भूमि की तरमीम की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक जो तरमीम की गई थी उसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिले के किसानों को अभी तक पास बुकों का वितरण नहीं किया गया है ?

(4) क्या सरकार इस तरमीम को मान्यता देकर अजमेर जिले के किसानों को पास बुकों का शीघ्र ही वितरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकार की तरमीमों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अजमेर जिले में अभी तक 65,952 पासबुकों का वितरण काश्तकारों को किया जा चुका है।

(4) अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में पुन: बन्दोबस्त कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके पूर्ण होने पर शेष पास बुकें वितरित की जायेंगी।

बीकानेर कैनाल पर कानियावाला माईनर का निर्माण

19. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर कैनाल पर पंजाब सरकार ने कन्यावाली माईनर का निर्माण कब किया

(श्री केदारनाथ)

और राजस्थान सरकार की बिना इजाजत के कितना क्यूसिक पानी सिंचाई के कार्य में उपयोग किया ?

उत्तर

कन्यावाली माईनर का निर्माण कार्य 2-2-74 को शुरू होकर 26-3-74 को पूरा हुआ।

पंजाब सरकार ने 18-12-74 से केवल 10 क्यूसेक पानी लेना शुरू किया और 12-2-75 तक कुल 500 क्यूसेक्ज पानी लिया।

नगरपालिकाओं के चुनाव

20. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान की कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किये हुए हैं ? यदि हां, तो अब इन नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक कराने का विचार है ?

उत्तर

राजस्थान की नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान, न. पा. अधिनियम 1959 की धारा 293 (ए) के अधीन प्रशासक नियुक्त किये गये थे कुछ में चुनाव हो चुके हैं कुछ के होना बाकी हैं। जो शीघ्र किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट-4

(ता. प्र. सं. 2 की सूची)

पंचायत समिति धोद में 3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड वाले ग्राम

1. सुजानपुरा
2. सेवाड़बड़ी
3. सीह्लोतबड़ी
4. शाहपुरा
5. बिन्जासी
6. जासुपुरा

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
10	नीचे से 10	सरकार	–
16	ऊपर से 7	ने	मंत्री जी ने
34	नीचे से 4	गई	गया
43	,, 6	(2)	–
43	,, 7	(1)	–
63	,, 2	बुड्ढा	बुढ्ढा
64	,, 9	बुड्ढे	बुढ्ढे
66	,, 12	पर	की
67	नीचे से 9	सेवा सरदारसिंह	सरदार सेवासिंह
73	,, 14	मीठाराम	मीठालाल मीणा
78	ऊपर से 2	अध्यादेशों की प्रस्तुती	अध्यादेशों की प्रस्तुति–संबंधी
92	नीचे से 3	–	पंचायत विभाग
92	,, 7	अधिसूचनायें	नियुक्ति विभाग
93	ऊपर से 4	–	वन विभाग
93	,, 9	–	राजस्व विभाग
95	,, 3	एवं स्वायत्त शासन	–
95	,, 3	विभागों	विभाग
95	,, 4	की अधिसूचनाएं	–
96	,, 11	–	स्वायत्त शासन विभाग
96	नीचे से 5	की अधिसूचनायें	–
196	,, 2	शेत्र	क्षेत्र
199	शीर्षक वाली पंक्ति में	महो.	महोदय
199	ऊपर से 2	(अमृतलाल गहलौत)	(अमृतलाल गहलोत)
199	,, 3	देश	राज्य